लोक-सभा वाद-विवाद

बुधवार,
३० नवंबर, १९५५

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

130

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . . . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५. ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६ . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ . ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५—शुक्रवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

बुद्धवार, ३० नवम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गोग्रा

*२७०. **श्री बहादुर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की पुलिस द्वारा ऐसे कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने कि पिछले दो महीनों में सत्याग्रह करने के लिये गोग्रा में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था ; और

(ख) क्या सशस्त्र पुलिस का घेरा अब भी भारतीयों को गोग्रा में प्रविष्ट होने से रोक रहा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) १७० ।

(ख) सशस्त्र पुलिस के सिपाही भारत-गोग्रा सीमा पर तस्कर व्यापार को रोकने के लिये नियुक्त किये हुये हैं। गोग्रा में भारतीयों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिये भी उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है ।

श्री बहादुर सिंह : : क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था या उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई थी ; और यदि उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई थी तो क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : : जी नहीं । उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । १३ सितम्बर से ले कर ऐसे दो मामले हुये थे । एक २ अक्तूबर को लकड़कोट में बांदा के समीप हुआ था जब कि ५१ व्यक्तियों ने गोग्रा की सीमा को पार करने का प्रयत्न किया था । उन्हें सावन्तवाड़ी ले जाया गया जहां उन्हें छोड़ दिया गया । २ अक्तूबर को ११६ भारतीयों ने दमन में घुसने का प्रयत्न किया । उन्हें वहां जाने से रोका गया । ३५ साम्यवादी, जो दल में थे, तुरन्त वहां से चले गये । किन्तु ८५ प्रजा-समाजवादी लगभग तीस घंटे तक वहां डटे रहे ।

श्री कामत . क्या यह सच है कि सितम्बर में सरकार की नीति में परिवर्तन किये जाने के शीघ्र पश्चात्, हमारी सीमावर्ती पुलिस ने हमारे सत्याग्रहियों को, जो सीमा पार करने का प्रयत्न कर रहे थे, उसी प्रकार मारा पीटा जिस प्रकार डा० सालाजार की पुर्तगाली पुलिस गोग्रा के अन्दर उनके साथ व्यवहार करती थी, और तब बलपूर्वक तथा निर्दयता के साथ उन्हें पुलिस की गाड़ियों में ठुसेड़ दिया, और यदि ऐसी बात है, तो क्या ये सब बातें ऊपर के आदेशों के अनुसार की गई थीं और क्या उसके पश्चात् ऐसी निर्दयताओं को रोके जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह ठीक नहीं है । पुलिस को कड़ी हिदायतें दी गई हैं कि वे लोगों को गोग्रा में जाने से मना करें और रोकें और यदि वे ऐसा करने में असफल रहें, केवल तभी उन्हें उन क्षेत्रों से हटाया जाये ।

डा० लंका सुन्दरम : उन सत्याग्रहियों के बारे में जो पहले गोआ में प्रविष्ट हो गये हैं, और जिन्हें लम्बी अवधि का कारावास दंड दिया गया है, जिन में एक संसद् सदस्य श्री टी० के० चौधरी भी सम्मिलित हैं, सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सकते ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के बारे में जिनको गिरफ्तार किया गया है और जिन पर अभियोग चलाया गया है, विस्तृत ब्योरा ज्ञात कर लिया है, और यदि हां, तो उन्हें कितनी अवधि का कारावास दंड दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यदि एक पथक् प्रश्न पूछा जाये तो मैं विस्तारपूर्वक उत्तर दे सकता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : कल या परसों जो समाचार प्रकाशित हुआ था क्या वह सरकार के ध्यान में लाया गया है कि गोआ की जेलों में एक भारतीय राष्ट्रजन की मृत्यु हो गई है, और यदि हां, तो क्या उसके बारे में कोई ब्योरे प्राप्त किये गये हैं, और क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि कितने भारतीय राष्ट्रजन जेलों में हैं और उनमें से कितने बीमार हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं समझता हूं कि वह गोआ की जेलों में बन्द भारतीय बन्दियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं । मैंने अभी कहा कि यदि इस सम्बन्ध में एक पृथक प्रश्न पूछा जाये तो मैं विस्तारपूर्वक जानकारी दे सकता हूं । किन्तु सभा की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि वहां के डौम बोस्को संस्था के निदेशक फादर कर्रातो गोआ की जेलों में भारतीय बन्दियों के हितों की देखभाल कर रहे हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : अब भी कौन-कौन से राजनीतिक दल वहां तथाकथित सत्याग्रह करने पर आग्रह कर रहे हैं ?

श्री कामत : जिन्हें स्वतन्त्रता प्यारी है ।

श्री अनिल के० चन्दा : २ अक्तूबर को इन दो जत्थों ने पुर्तगाली राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था । एक जत्थे का संगठन पूना की गोआ विमोचन समिति द्वारा किया गया था और दूसरे जत्थे को साम्यवादियों और प्रजा समाजवादी दल ने संयुक्त रूप से संगठित किया था ।

श्री कामत : वे गोआ को स्वतन्त्र करना चाहते हैं ।

भारत ईराक व्यापार करार

†२७१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत तथा ईराक के बीच वर्तमान व्यापार करार जो ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाला है क्या उसके नवीनीकरण अथवा कुछ परिवर्तनों के साथ पुनर्विचार के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). जी हां । बगदाद स्थित हमारा दूतावास ईराक सरकार से पत्र व्यवहार कर रहा है । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या माननीय मंत्री कुछ अन्दाजा देंगे कि पिछले दो वर्षों में इस व्यापारिक करार से दोनों देशों के बीच

व्यापार की प्रगति में किस हद तक वृद्धि हुई है ?

श्री करमरकर : हम नहीं कह सकते कि हमारे करार से व्यापार बढ़ा है या नहीं। हम दूसरे देशों के साथ व्यापारिक करार इसीलिये करते हैं कि हमारा व्यापार बढ़े। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वास्तव में यह करार हुआ है तब से व्यापार बढ़ गया है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या यह सही है कि बगदाद करार के बाद से दोनों देशों के सम्बन्धों की, विशेषकर व्यापारिक सम्बन्धों की, गति कुछ धीमी हो गयी है ?

श्री करमरकर : ऐसा तो नहीं कह सकते। बढ़ी भी नहीं है और धीमी भी नहीं हुई है।

श्री कासलीवाल : क्या इस व्यापार करार के अस्तित्व की अवधि में भारत का ईराक के साथ व्यापार संतुलन अनुकूल रहा है या प्रतिकूल ?

श्री करमरकर : ईराक के साथ हमारा कुल व्यापार १९५३–५४ में बढ़ गया था किन्तु १९५४–५५ में घट गया था। १९५५–५६ के पहले छः महीनों के आंकड़े व्यापार के बढ़ने का संकेत नहीं करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

*२७३. **श्री बर्मन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोफेसर जे० पी० नियोगी द्वारा कलकत्ता नगर के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का विचार है ; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी अनुसंधान के कुछ भाग के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ख) इस स्तर पर इस प्रतिवेदन को प्रकाशित करने के प्रश्न के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के साथ बातचीत हो रही है।

(ग) कलकत्ता नगर के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में नगर के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू, जैसे आवास, शिक्षा, खपत, सामाजिक चलिष्णुता आदि आ जायेंगे और इन दो विषयों (१) देहाती-नगरीय प्रव्रजन, और (२) अधिक लोगों के नगरों में आ बसने से सम्बन्धित रोजगार के अवसर का विशेष रूप से निर्देश होगा। प्रश्नों के भाग (क) के उत्तर में जिस प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है, उसका सम्बन्ध कलकत्ता नगर में आयोजित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति से है।

श्री बर्मन : क्या अन्तरिम प्रतिवेदन पूर्वी पाकिस्तान से एक बड़ी संख्या में आये शरणार्थियों के कारण कलकत्ता के सामाजिक-आर्थिक जीवन के ऊपर पड़े प्रभाव के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह अन्तिम प्रतिवेदन नहीं है। यह केवल एक अन्तरिम प्रतिवेदन है। इसमें केवल संगठित उद्योग-क्षेत्र में रोजगार की मात्रा के उतार-चढ़ाव का वर्णन किया गया है।

श्री बर्मन : अन्तिम प्रतिवेदन कब तक आने की आशा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं समय नहीं बता सकता। जैसा कि मैंने बताया कि प्रो० जे० पी० नियोगी उसके निदेशक हैं। मैं समझता हूं कि अभी कुछ और समय लगेगा।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : संगठित क्षेत्र में कौन से उद्योग सम्मिलित किये गये हैं?

श्री एस० एन० मिश्र : संगठित क्षेत्र के उद्योगों में वित्तीय संस्थायें भी सम्मिलित हैं और स्वभावतः यह उद्योग वित्तीय संस्थाओं के आस पास ही चलेंगे । सरकारी क्षेत्र के सेवा- नियोजन के अवसरों को भी सम्मिलित किया गया है, पर छोटे पैमाने के व्यापार के एककों को अलग रखा गया है ।

ग्रामोद्योग

*२७४. **डा० सत्यवादी** : क्या **उत्पादन** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिसमें ग्रामोद्योगों का सुधार करने के लिए बनायी गयी "सघन क्षेत्र योजना" के विवरण दिये गये हों ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]**

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस स्कीम (योजना) के मुताबिक हर स्टेट (राज्य) में कितने सेंटर (केन्द्र) खोले जा चुके हैं और पंजाब में कितने सेंटर (केन्द्र) खुले हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : पंजाब में अम्बाला जिले में बराड़ा स्थान पर एक केन्द्र चालू किया गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि स्थानीय उद्योगों को चुनने के लिये स्थान की उपयुक्तता के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है और क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उसके पक्ष में है ?

श्री के० सी० रेड्डी : बोर्ड अपने स्वविवेकानुसार केन्द्रों के लिये मंजूरी देता है । केन्द्रों की मंजूरी देते समय वह कुछ पहलुओं पर विचार करता है जिनका निर्देश मेरे द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में किया गया है । रचनात्मक ग्रामसेवकों की उपलब्धता, ऐसे क्षेत्र, जहां कुछ रचनात्मक कार्य किया जा चुका है और कुछ आधार तैयार किया जा चुका है, तथा योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये ग्रामीणों का उत्साह और सहयोग— ये कसौटियां ध्यान में रखी जाती हैं । विभिन्न केन्द्रों के लिये मंजूरी देते समय बोर्ड इन्हीं कसौटियों को ध्यान में रखता है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बता सकता हूं कि यह योजना उस समय मंजूर की गयी थी जब खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन थे ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो सेंटर (केन्द्र) आपने खोला है, यह स्टेट्स गवर्नमेंट्स (राज्य सरकारों) के इन्तजाम में चल रहा है या सीधे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) के इन्तजाम में चल रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : ग्रामोद्योग केन्द्र का नियंत्रण खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जो उत्पादन मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है, अधीन हैं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार में पायलेट स्कीम (पुरोगामी योजना) की कितने क्षेत्रों में जांच की गई थी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे पास जो विवरण है उसके अनुसार, बिहार में सोखोदेओरा, टिरिल, हंसा और रानीपत्रा में चार केन्द्र मंजूर किये गये हैं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मेरा सवाल यह नहीं था .....

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

इस्पात

*२७५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने अब अपनी जांच खत्म कर दी है और टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी तथा भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी को इस्पात के लिये दिये जाने वाले प्रतिधारण मूल्यों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रशुल्क आयोग को कब निर्देश किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्देश १६ मई को किया गया था ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कोयला क्षेत्र (कोलियरी ब्लाक) को इस्पात कारखाने का एक अंगभूत भाग समझे जाने के कारण इस्पात का फुटकर दाम बढ़ा दिया गया है और इससे कोयला उद्योग पर भी प्रभाव पड़ेगा । उसको ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार उस जांच में शीघ्रता करने का विचार करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझ पाता कि इस जांच से वर्तमान मूल्यों पर किस प्रकार कोई असर पड़ेगा । निर्धारित फुटकर मल्यों का प्रतिधारण मूल्यों पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिधारण मूल्यों और फुटकर मूल्यों में बहुत बड़ा अन्तर है । यदि यह मान भी लिया जाय कि तट कर आयोग वृद्धि की सिफारिश करता है और सरकार उसे स्वीकार भी कर लेती है, तब भी फुटकर मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

गांवों में बिजली लगाना

*२७६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में बिजली लगाने के लिये सरकार ने कोई व्यापक योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या विवरण हैं ;

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में वह योजना किस हद तक पूरी हो जायगी और उसके लिये कितना धन देना निश्चित किया गया ;

(घ) क्या राज्य सरकारें उस खर्च में हाथ बटायेंगी या केन्द्रीय सरकार को ही सारा धन ऋण के रूप में देना होगा ; और

(ङ) क्या गांवों में सरकारों ने विभिन्न राज्य बिजली लगाने की योजनायें अब तक स्वत: चलायी हैं या केन्द्रीय सरकार की सहायता से चलायी गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या २४]**

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में कहा गया है कि प्रथम योजना की अवधि के दौरान में विभिन्न राज्यों में छोटे नगरों और गावों में बिजली लगाने की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल २०·६७

करोड़ रुपये ऋण मंजूर किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान में छोटे नगरों और गांवों में बिजली लगाने के लिये नियतन अलग अलग किये जायेंगे अथवा सम्पूर्ण अनुदान दिया जायगा ?

श्री हाथी : विभिन्न राज्यों ने अपनी योजनाओं में गांवों में बिजली लगाने के लिये विभिन्न धनराशियों की मांग की है । ऐसी सब मांगों का कुल जोड़ लगभग ५० करोड़ रुपये के बराबर है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं देखता हूं कि पश्चिमी बंगाल में गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम में तामलुक के लिये कोई स्थान नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि उसके लिये कोई मंजूरी दी गयी है ?

श्री हाथी : वह राज्य सरकार के विचार का विषय है । वे विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत करती हैं जिनके लिये ऋण दिया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस योजना की मंजूरी के लिये आवेदन पत्र भेजा है और यदि हां, तो उस पर क्या विनिश्चय किया गया है ?

श्री हाथी : मुझे याद आता है कि पश्चिमी बंगाल सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था । वह कदाचित् उस विद्युत् स्टेशन को ले लेने के सम्बन्ध में था ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्यों में विभिन्न विद्युत् शक्ति उपक्रमों से प्राप्त आय गांवों में बिजली लगाने के लिये काम में लायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस शीर्ष के अधीन विभिन्न राज्यों के आंकड़े मुझे बताये जा सकते हैं ?

श्री हाथी : जहां तक बिजली बोर्डों का सम्बन्ध है, सभी प्राप्त धनराशियां उसी उद्योग में लगा दी जानी चाहियें । हमें विभिन्न राज्य सरकारों से लाभ के आंकड़े अभी तक नहीं मिले हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार ने बम्बई में जोग जल प्रपातों की महत्वपूर्ण स्थिति को समझ लिया है और क्या सरकार यह जानती है कि जोग जल प्रपातों से केवल दस मील की दूरी पर के नगर बिजली की कमी के कारण परेशान हो रहे हैं ?

श्री हाथी : वह बम्बई राज्य सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : प्रश्न २८४ को भी इसके साथ लिया जा सकता है ।

श्री हेडा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रश्न एक साथ लिए जा सकते हैं ।

नमक

*२७८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नमक पैदा करने वाले क्षेत्रों में स्थापित प्रादेशिक बोर्डों ने नमक उपकर के आगमों के उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय बोर्ड के पास अपनी सिफारिशें भेज दी हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : अभी तक नहीं ।

प्रादेशिक बोर्ड की प्रथम बैठक, जो सौराष्ट्र और कच्छ के सम्बन्ध में थी, १७ नवम्बर को हुई थी और अन्य बैठकें आगामी दो महीनों में होने वाली हैं ।

नमक उपकर

*२८४. **श्री हेडा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितना नमक उपकर इकट्ठा किया गया है ;

(ख) इस उपकर-निधि में से गवेषणा केन्द्रों पर कितनी राशि व्यय की गयी है ; और

(ग) शेष राशि कैसे व्यय की गयी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १९४७ से सितम्बर, १९५५ के अन्त तक एकत्रित कुल राशि ६९२·७४ लाख रुपये थी ।

(ख) गवेषणा केन्द्रों पर व्यय की गयी राशि के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) इकट्ठा किया गया उपकर सामान्य राजस्व में जमा कर दिया जाता है और नमक-संगठन, नमक-कारखानों के विकास तथा संवारण, आदर्श खेतों, परीक्षण प्रयोग-शालाओं आदि का सभी व्यय सामान्य राजस्व में से ही किया जाता है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस समय नमक-उपकर से प्राप्त राशियों का उपयोग कैसे किया जा रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नमक उपकर से प्राप्त राशियों का उपयोग मोटे तौर पर नमक आयोग के खर्चों को पूरा करने और नमक उद्योग के विकास के लिये किया जाता है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या नमक पर कर लगाने का कोई विचार है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : अन्य प्रादेशिक बोर्डों की बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इन बोर्डों की स्थापना अक्टूबर में हुई थी और इनकी बैठकें एक दूसरे के बाद हो रही हैं ।

श्री हेडा : नमक उपकर से इकट्ठा की गयी राशि में से कितना खर्च किया जा चुका है और यदि राशि खर्च नहीं की गयी है, तो क्या वह व्यपगत हो जाती है या अगले वर्ष इस्तेमाल की जानी है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस समय यह नियम है कि नमक उपकर से प्राप्त राशियों को यह सामान्य राजस्व में जमा कर दिया जाता है और व्यय भी सामान्य राजस्व में से किया जाता है । नमक उपकर की कोई अलग निधि रखने का निश्चय नहीं किया गया है । हम लोग इस मामले के बारे में वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं ।

नदी घाटी परियोजनायें

*२७९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को देश की विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से नियमित रूप से ऐसे विवरण प्राप्त होते हैं जिनमें उनकी आवश्यकताओं से अतिरिक्त मशीनों और औजारों की सूची होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार बची अतिरिक्त मशीनें और औजार अन्य परियोजनाओं को, जिन्हें उनकी जरूरत होती है, दे दिये जाते हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को, जिसे इस कार्य का समन्वय करने का भार सौंपा गया है, विभिन्न परि-योजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सामान की सूचियां प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई मालूम हो रही थी । इस मामले को मंत्रियों के समन्वय बोर्ड के सामने बोर्ड की बैठक में गत अक्टूबर में रखा गया था और फिर इस मामले को उसके बाद राज्य के मंत्रियों के सामने रखा गया । उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये शीघ्र ही हमारे पास जानकारी भेजा करेंगे । इस बीच में कुछ बड़ी बड़ी परियोजनाओं ने अपने विवरण हमारे पास भेजे हैं और उनमें बताये गये अतिरिक्त सामान को अन्य परियोजनाओं को देने का प्रस्ताव किया गया है । ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि अतिरिक्त सामान की प्राप्त सूचियों को उनके आते ही उन परियोजनाओं

के पास परिचालित कर दिया जाय, जिनको उस सामान की आवश्यकता हो ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूची है जिससे यह पता लगता हो कि किन किन परियोजनाओं के पास अतिरिक्त मशीन तथा सामान हैं तथा किन अन्य परियोजनाओं को किन किन मशीनों और सामानों की जरूरत है ?

श्री हाथी : बड़ी परियोजनाओं से सूचियां हमें प्राप्त हो गयी हैं और अन्य परियोजनायें अतिरिक्त मशीनों की सूची और ऐसी मशीनों की सूची, जिनकी उन्हें जरूरत है, हमारे पास भेज रही हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या कुछ परियोजनाओं ने हस्तान्तरण की लागतों के आधार पर इन अतिरिक्त मशीनों का इस्तेमाल करने में आपत्ति की है ?

श्री हाथी : उन्होंने लागत के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं की है; पर कभी कभी वे इस आधार पर आपत्ति करती हैं कि वह मशीन पुरानी है और वह नयी मशीन खरीदना पसन्द करेंगे । पर जहां भी कहीं लागत का प्रश्न उठेगा केन्द्रीय सरकार उसे तय कर देगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या दुर्गापुर बांध की अतिरिक्त मशीनों को किसी अन्य स्थान पर प्रयोग में लाया जायेगा ?

श्री हाथी : दामोदर घाटी निगम में से लगभग ७ मशीनों को कोसी परियोजना के लिए छांट लिया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : हमने देखा है कि बहुत सी परियोजनाओं में ऐसी बहुत सी मशीनें पड़ी हुई हैं जो वहां इस्तेमाल में आई थीं पर अब वहां उनकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि इन मशीनों की कमी के कारण अन्य परियोजनाओं में काम रुका पड़ा है । क्या अखिल भारतीय आधार पर ऐसी मशीनों की कोई प्राथमिकता सूची तैयार की गयी है और क्या ऐसी मशीनों को सुनिश्चित प्राथमिकताओं के आधार पर वितरित करने के लिए कोई केन्द्रीय अभिकरण स्थापित किया जायेगा ?

श्री हाथी : जी हां, इस प्रश्न को उठाने का यही अभिप्राय है । कुछ परियोजनाओं में कुछ मशीनें बेकार पड़ी होंगी । अन्य परियोजनाओं को उनकी आवश्यकता हो सकती है । इसलिए, केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग में एक विशेष निदेशालय को यह काम सौंपा गया है कि वह इस बात की जानकारी प्राप्त करे कि किन किन परियोजनाओं में अतिरिक्त मशीनें बेकार पड़ी हैं और किन किन परियोजनाओं को उनकी आवश्यकता है । यह निदेशालय मशीनों के हस्तान्तरण का प्रबन्ध करेगा ।

इस्पात संयंत्र

*२८२. **श्री झूलन सिंह :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री ६ अप्रैल, १९५५ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या १९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने भारत में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जब वह पिछली बार पटना गये थे, एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि चौथा इस्पात संयंत्र बिहार में बोकारो के स्थान पर लगाया जाएगा जिसे अब उसके लिये विकसित किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस के सम्बन्ध में बाद में एक प्रश्न है । मेरे विचार से यह अनुपूरक उस प्रश्न पर पूछना चाहिए ।

श्री जोकीम आल्वा : पहले एक बार मुझे माननीय मंत्री जी से पूछने का अवसर मिला था कि क्या वह सभा को यह बताएंगे कि विदेशी सरकारों द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से कौन कौन से स्वीकार किये गये हैं और क्या वे उनके द्वारा हमें दी जाने वाली प्राविधिक सहायता किश्तों में किये जाने वाले नकद भुगतानों और संयंत्र के खड़े किये जाने में होने वाली शीघ्रता की दृष्टि से सब से अच्छे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मेरे विचार में वे बहुत विस्तृत प्रश्न पूछ रहे हैं ।

अखबारी कागज का कारखाना

*२८३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये राज्य में अखबारी कागज का एक कारखाना खोलने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य सरकार ने जो संशोधित प्रस्ताव भेजे हैं, उनमें उसने इस प्रकार की किसी योजना को सम्मिलित नहीं किया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय को याद है कि कुछ दिनों पहले इसी सदन में नियोजन मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बतलाया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना रक्खी है उसमें अखबार के कागज के कारखाने का भी जिक्र किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन दोनों मंत्रियों के जवाबों में क्यों अन्तर है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : पहले तो जिक्र हुआ था, लेकिन बाद में प्लैनिंग कमीशन (योजना आयोग) और उत्तर प्रदेश की सरकार के दरम्यान इस बारे में बातचीत हुई और उन्होंने तय कर लिया है कि अभी फैक्ट्री खोलने के लिये रा मैटीरियल (सामान) वगैरह के बारे में और इन्वेस्टिगेशन (जांच) की जरूरत है । इसलिये उन्होंने सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन (दूसरी पंचवर्षीय योजना) में से इस स्कीम (योजना) को विदड्रा (वापिस) कर लिया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस का यह अर्थ है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज के कारखाने के खुलने की अब कोई सम्भावना नहीं है, और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस को अपनी ओर से वापस लिया है या केन्द्रीय सरकार ने जोर डाला था कि इस को वापस लिया जाय ?

श्री करमरकर : मेरे दोस्त का सवाल भी बहुत साफ है और मेरा जवाब भी साफ है । वह उस को पढ़ सकते हैं और अपने सवाल का ज़वाब उन्हें मिल जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में एक ही बात है कि इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयम् वापस लिया या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट (केन्द्रीय सरकार) के दबाव से वापस लिया ।

श्री करमरकर : इसमें दबाव का कोई सवाल नहीं होता है । इस पर सोच विचार हुआ और उन्होंने विदड्रा किया (वापिस लिया) । और सोच विचार करने के बाद अगर पलैनिंग कमीशन एग्री (योजना आयोग सहमत) हो जायेगा तो ऐक्सेप्ट (मंजूर) हो जायेगा ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश के हिमालय के क्षेत्र में नर्म इमारती लकड़ी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, अपने आप एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने की चेष्टा करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे यह नहीं पता कि क्या यह प्रश्न मेरे साथी द्वारा दिये गए उत्तरों से सम्बद्ध है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या प्रश्न था और क्या उस का उत्तर था। खैर, सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

कोयले को गैस

*२८५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो जर्मन विशेषज्ञों डा० एच० एच० कोपर्ज और श्री टाटजिक द्वारा कोक न बनने योग्य कोयले को नई प्रक्रिया से गैस युक्त करने के लिए दी गयी मंत्रणा का परीक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह विषय किस अवस्था में है !

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख) जर्मनी के सर्वश्री ही इनरिच कोपर्ज द्वारा कोयले से तरल ईंधन के उत्पादन सम्बन्धी अपने परियोजना-प्रतिवेदना में कुचले हुए कोयले को गैस युक्त करने के लिए कोपर्ज टाटजिक प्रक्रिया की सिफारिश की है। सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति इस समय इस प्रतिवेदन का परीक्षण कर रही है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रक्रिया से क्या लाभ होंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं इस समय इस प्रश्न का निश्चय से उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि जैसा मैंने बताया पूरे प्रतिवेदन का परीक्षण एक विशेषज्ञ समिति कर रही है। जब तक हमें विशेषज्ञ समिति की राय का पता नहीं चलता हम इस विषय में निश्चय से कुछ भी नहीं कह सकते।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने एक परियोजना प्रतिवेदन भेजा है। तीन ऐसे समवाय हैं, जिनसे सांश्लेषिक तेल उत्पादन के सम्बन्ध में हमें योजना प्रतिवेदन प्राप्त करना है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तीनों समवायों ने प्रतिवेदन दे दिए हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रश्न में निर्दिष्ट समवाय के अतिरिक्त जर्मनी के मैसर्ज कुर्गी ने एक परियोजना - प्रतिवेदन भेजा है। अमेरिका के मैसर्ज केलौग से भी शीघ्र प्रतिवेदन मिलने की आशा है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : विशेषज्ञ समिति द्वारा परीक्षण कब समाप्त होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यह नहीं बता सकता कि यह कब समाप्त होगा। ५ और ६ दिसम्बर को उनकी बैठक होगी। केलौग के प्रतिवेदन के मिलने के पश्चात् वे उसका परीक्षण भी करेंगे। यह आशा है कि प्रतिवेदनों का परीक्षण शीघ्र समाप्त हो जाएगा।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या माननीय मंत्री उस धातुकार्मिक कोयले की जो इस प्रणाली द्वारा बनाया जा सकता है, मात्रा बता सकते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिए।

मितसूई बुस्सन कैशा लिमिटेड

*२८६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास की युद्ध पूर्व की जापानी फर्म कैशा लिमिटेड के विरुद्ध संविदा के भंग करने के लिये हानि के

प्रतिकर के लिए मद्रास सरकार ने कुल कितने रुपये का दावा किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : रु० ३४३११/७/६ ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत-सरकार ने इस राशि को समवाय से या जापान की सरकार से लेने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : यह निश्चित हुआ था कि जापानी फर्म की अधिष्ठापित आस्तियों में से मद्रास सरकार को हानि का प्रतिकर दिया जाना चाहिए । इसके अनुसार आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: जापानी फर्म की आस्तियों की क्या राशि होगी ।

श्री करमरकर : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिए कि ठीक कितनी राशि होगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि वह पूरी राशि का प्रतिकर देने के सम्बन्ध में जापान की सरकार से और इस समवाय से सम्बन्धित व्यक्तियों से बातचीत करने के लिये कार्यवाही करे ?

श्री करमरकर : मुझे किसी भी ऐसी बात का कुछ भी पता नहीं है ।

टायर का कारखाना

*२८७. **श्री चांडक** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३७३ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को एक टायर का कारखाना स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस उपक्रम को प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ विशेष सुविधायें (वित्तीय या अन्य) देगी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां ।

(ख) अभी इस बारे में कुछ नहीं कह जा सकता क्योंकि प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है ।

श्री चांडक : क्या यह सच है कि एक प्रकार के नये कारखाने के लिये एक प्रार्थना पर एक वर्ष से भी अधिक समय से फैसला नहीं हुआ है क्योंकि सरकार दक्षिण में कारखाना बनाने पर आग्रह कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस बारे में मैं अनभिज्ञ हूं । ट्रावनकोर-कोचीन ने निश्चय ही उस क्षेत्र में एक कारखाना बनाने की मांग की है । परन्तु, जहां तक विशिष्ट प्रार्थनापत्र का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य उस प्रार्थनापत्र से है तो, वह मई में प्राप्त हुआ था ।

श्री चांडक : क्या यह सच है कि एक विदेशी समवाय गुट (कम्बाइन) ने दक्षिण में एक कारखाना बनाना स्वीकार कर लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दक्षिण में कारखाना खोलने के लिये अभी किसी भी विदेशी समवाय तथा गुट (कम्बाइन) से नहीं कहा गया है ।

श्री ए० एम० थामस : किस उपक्रम ने प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव का वास्तविक स्वरूप क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्भव है कि अभी हम प्रस्ताव को स्वीकार करें या न करें । अभी तो मैं सभापति महोदय से नाम न बताने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री ओ० पी० नायर : रबड़ की वस्तुओं के उत्पादन में कुछ विदेशी फर्मों के एकाधिकाक का वृद्धि के भयप्रद विवरणों को ध्यान में रखते हुए कि हाल में सभा में प्रस्तुत किये गये प्रशुल्क आयोग के प्रतिवदन में वर्णन है, क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि रबड़ की वस्तुओं के निर्माण के लिए ऐसे स्थान पर एक सरकारी कारखाना खोला जाय जो उसके लिये अत्याधिक उपयुक्त हो ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं उनके बताये गये कारण और परिणाम स्वीकार कर लू तो मेरा ऐसा विचार नहीं है ।

कम्बोडिया को टैकनिकल सहायता

*२८८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैकनिकल विशेषज्ञों का प्रस्थापित दल कम्बोडिया कब भेजा जायेगा ; और

(ख) उस दल को कौनसा विशेष कार्य सौंपा गया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) उम्मीद है कि यह दल जल्द ही कम्बोडिया के लिये रवाना हो जायगा ।

(ख) ये विशेषज्ञ कम्बोडिया जायेंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार कम्बोडिया को किस तरीके टेकनिकल मदद दे सकती है वहां की हालात का निरीक्षण (सर्वे) करेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : इस दल में किन किन विशेष चीजों के जानने वाले विशेषज्ञों को कम्बोडिया भेजा जायेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : सात विशेषज्ञ जायेंगे; एक चिकित्सा विशेषज्ञ, एक व्यापार, तथा वाणिज्य विशेषज्ञ, एक कृषि विशेषज्ञ, एक पशुपालन विशेषज्ञ, दो कुटीर उद्योग और दस्तकारी विशेषज्ञ और एक सामुदायिक परियोजना विशेषज्ञ ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो विशेषज्ञ वहां जायेंगे, कितने दिनों तक इनको वहां पर रखने का सरकार ने इंतजाम किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं नहीं समझता कि जांच पड़ताल करने में उन्हें दो या तीन सप्ताह से अधिक समय लगेगा ।

श्री कासलीवाल : क्या इस प्रयोजन से भारत और कम्बोडिया के बीच कोई औपचारिक करार हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं । अभी तक कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है, परन्तु कम्बोडिया सरकार ने प्रार्थना की है कि हम उन्हें टेक्नीकल सहायता, आदि की सुविधा दें ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

*२८९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने कुछ नये उद्योगों को सहायता देने के लिये एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हाँ, तो वे उद्योग कौन कौन से हैं ; और

(ग) किन शर्तों पर निगम ने इन उद्योगों को सहायता देने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने निम्न उद्योगों का विकास आरम्भ करने का निश्चय किया है :—

(१) इस्पात की फाउंड्रियां, गढ़ाई और इस्पात के ढांचे तैयार करने के कारखाने ।

(२) छपाई की मशीनें ।

(३) एयर कम्प्रैसर तथा तत्सम्बन्धी उपकरण ।

(४) तापसह ईंटें ।

(५) लकड़ी की लुग्दी ।

(६) कालिख ।

(७) रंग बनाने के काम आने वाले मध्यवर्ती पदार्थ ।

(८) पायराइट से गंधक बनाना ।

(ग) आवश्यक योजना रिपोर्ट जब तैयार हो जायेगी, तब राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम उनको क्रियान्वित करने के तरीकों पर विचार करेगा ।

श्री० के० सी० सोधिया : इनके लिए प्राईवेट इंडस्ट्री को इन्वाइट किया जायगा या सरकार खुद इनके बारे में इंतजाम करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह पूछना अभी समय से पहले होगा । यदि कारखाना इस प्रकार का होता है कि उसे अपने हाथ में लेना सरकार के लिये अच्छा हो, तो सरकार उसे ले लेगी ।

श्री के० सी० सोधिया : इनके बारे में क्या कोई डिटेल्ड स्कीम (विस्तृत योजना) बनाई गई है कि कितना कितना खर्चा किस किस काम में होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी योजनायें बनाई जा रही हैं । बहुत से मामलों में जांच भी आरम्भ नहीं हुई है ।

सामुदायिक परियोजना प्रशासन

*२९०. **श्रीमती मायदेव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक परियोजना प्रशासन ने खंड विस्तार पदाधिकारियों को कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) इस वर्ष और तदुपरांत प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण के लिये कितने अभ्यर्थियों को लिया जायेगा ; और

(ग) उनका प्रशिक्षण कहां होगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सामुदायिक परियोजना प्रशासन के परामर्श से एक कार्यक्रम बनाया है ।

(ख) चालू वर्ष में चौंसठ प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे । इसके बाद प्रत्येक वर्ष दो सौ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का विचार है ।

(ग) अभ्यर्थियों को चार प्रादेशिक संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो बम्बई, फरीदाबाद (अस्थायी रूप में नई दिल्ली में काम कर रहा है), कलकत्ता और मद्रास में हैं ।

श्रीमती मायदेव : वे छोटे पैमाने के या कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं जिनके सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने का विचार है ? क्या सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों में कोई विशिष्ट छोटे पैमाने के उद्योग उपयुक्त और सफल रहे थे ?

श्री एस० एन० मिश्र : प्रशिक्षण का प्रयोजन यह है कि इन प्रशिक्षार्थियों को ग्राम तथ्य छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के बहु-प्रयोजनीय रूपोंके सम्बन्ध में भी साधारण जानकारी की आवश्यकता होगी । वे अनेकों एजेंसियों और संगठनों की कार्यवाहियों के बारे में तथा लागू अधिनियमों और विनियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे । जहां तक विशिष्ट उद्योगों का सम्बन्ध है, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में वहां के विद्यमान उद्योगों के अनुसार आरम्भ किये जायेंगे ।

श्रीमती मायदेव : क्या यह सच है कि सामुदायिक परियोजनाओं में से एक में सहकारी तौर पर छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में 'वाटर मीटर' बनाये गये थे तथा एक

वर्ष में, एक लाख के मूल्य के मीटरों का उत्पादन हुआ था ?

श्री एस० एन० मिश्र : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों के लिये कुछ अर्हतायें निर्धारित की गई हैं ?

***श्री एस० एन० मिश्र** : मुझे ज्ञात नहीं कि कोई निश्चित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं परन्तु ये पदाधिकारी राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये जा रहे हैं ।

श्री बी०के० दास : हमारे विकास खण्डों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में, वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, कृषि का प्रमुख स्थान है । क्या यह विचार है कि गांवों में कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने के पश्चात्, कुछ खंडों में कुटीर उद्योग का मुख्य स्थान हो, तथा क्या आय-व्ययक में भी इसी के अनुसार समायोजन होगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : प्रश्न का तात्पर्य आसानी से समझ में नहीं आ रहा है ?

श्रीमती इला पालचौधरी : इस योजना में किसी स्त्री को भी प्रशिक्षित किया गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : वे अपवर्जित नहीं हैं ।

जूट

*२९१. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् पाकिस्तान के द्वारा भारतीय जूट वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंन्द्विता से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने के हेतु सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : भारत सरकार ने जूट वस्तुओं पर से पहले ही निर्यात शुल्क हटा दिया है । उन्होंने भारतीय जूट कारखाने के यंत्रों के आधुनिककरण को प्रोत्साहन देने का भी निश्चय किया है । इस समय भारतीय जूट उद्योग का विदेशी बाजारों में अपना अलग स्थान है ।

श्री विश्वनाथ राय : पाकिस्तान में रुपये के अवमूल्यन के द्वारा क्या भारतीय जूट वस्तुओं के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

श्री करमरकर : मैं ने बताया कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् क्या भारतीय जूट वस्तुओं के मूल्य कम हो गये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी हां । भारतीय जूट वस्तुओं के मूल्य, हमारे द्वारा लगाये गये निर्यात शुल्क तक ही नहीं गिरे हैं अपितु इससे भी कुछ अधिक गिरे हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि गत दो माह में जूट के मूल्य पर्याप्त गिर चुके हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जूट के मूल्य का सम्बन्ध जूट की वस्तुओं के मूल्य से है । इस समय बोरों के मूल्य, जो कि जूट

---

*प्रशिक्षण के लिये चुने जाने वाले व्यक्तियों की निम्नलिखित अर्हतायें योजना उपमंत्री द्वारा बाद में बताई गईं । (देखिये वाद-विवाद भाग–२, दिनांक ३०–११–५५)

(१) यंत्र सम्बन्धी अथवा विद्युत् सम्बन्धी इंजीनियरी में डिपलोमा अथवा डिग्री ;

(२) रासायनिक इंजीनियरों में बी० एस० सी० ;

अथवा

(३) व्यावहारिक भौतिकी में उपाधि

तथा

(४) आयु २५ वर्ष से अधिक न हो, तथा गांवों में रहने की ।

उद्योग द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण वस्तु है, पर्याप्त ऊंचे हैं तथा मेरे विचार से एक की कमी दूसरे से पूरी हो जाती है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार ने, भारतीय जूट वस्तुओं के निर्यात के लिये कोई नयी मंड़ी का पता लगाने का प्रयास किया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारतीय जूट मिल संस्था, लगातार प्रयत्न कर रही है । उनकी एक संस्था अमरीका में भी है तथा यदि नया बाजार पाने की संभावना होगी तो उनको खोजने के प्रयास किये जायें ।

टैपिओका मांड कारखाना

*२९२. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन में एक टैपिओका मांड कारखाना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने का स्वरूप तथा क्षेत्र क्या होगा ?

(ग) क्या इस प्रस्ताव का विरोध मक्का मांड क्षेत्र में किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने, इस मामले में कोई निर्णय किया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) (क) जी हां । सरकार को जानकारी है कि दो प्रस्ताव थे ।

(ख) एक प्रस्ताव टैपिओका मांड कारखाने को विदेशी सहायता के द्वारा स्थापित करने का है जबकि दूसरा प्रस्ताव है कि इसकी पूंजी जुटाने में सरकार को भी भाग लेना चाहिये ।

(ग) और (घ) . मांड उद्योग, एक अनुसूचित उद्योग नहीं है : केन्द्रीय सरकार केवल इस प्रकार सम्बन्धित है क्योंकि प्रस्ताव में विदेशी पूंजी का विनियोजन है तथा दूसरे में, सरकार को, पूंजी में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया है । पहले दो राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त था तथा कुछ शर्तों के अधीन विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी गई थी । अनुमति देने के पश्चात् इस ईकाई के स्थापना के विरुद्ध मक्का मांड क्षेत्र से प्रत्यापत्ति प्राप्त हुई थी ।

श्री ए० एम० थामस : इस कारखाने में कितनी पूंजी लगेगी ? इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी । इस कारखाने में कितने मात्रा में कच्चे टैपिओका की खपत होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विदेशियों द्वारा भाग लेने की यह शर्त मालूम होती है कि दस दस रुपये के १५,००० अंश, इसी अंकित मूल्य के कुल ४५,००० अंशों में से, उन्हें दिये जायें तथा दस वर्ष तक उत्पादित टैपिओका मांड के प्रत्येक टन पर एक डालर अधिकार शुल्क दिया जाये । जहां तक टैपिओका का सम्बन्ध है, प्रस्तावित कारखाने की प्रति दिन की संस्थापित उत्पादन क्षमता ५० टन होगी तथा प्रारंभ में, वर्ष में १२० दिन चालू रहेगी । इस प्रकार कारखाने की कार्य साधक उत्पादन क्षमता लगभग ६,००० टन प्रति वर्ष होगी यदि वह पूरे वर्ष चालू रहें ।

श्री ए० एम० थामस : इस सम्बन्ध में भारत की आवश्यकता का अन्तिम प्राक्कलन क्या है, और इसका कितना भाग स्वदेशी उत्पादन द्वारा किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मक्की से बनाये जाने वाले मांड का सम्बन्ध है, इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है । परन्तु जहां तक प्रश्न द्वितीय भाग का सम्बन्ध है, इस कारखाने के उत्पादन से भारत की खपत को पूर्ण करने की संभावना नहीं की जा सकती ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने यह कहा था कि १० रुपये के मूल्य के १५,००० अंशों की अनुमति उस विदेशी सार्थ को दी गई है जो कि भारतीय सार्थ के साथ सम्मिलित होना चाहती है । मैं यह जानना

चाहता हूं कि किस आधार पर एक विदेशी सार्थ को, टैपिओका से मांड तैयार करने वाले इस उद्योग में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा रही है, जब कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति भी यह अनुभव करता है कि इस उद्योग में कोई ऐसी शिल्पिक ज्ञातव्य बात तो है नहीं, जिसके लिये कि विदेशी धन विनियोग की आवश्यकता हो ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि माननीय सदस्य द्वारा वही प्रश्न पूछा गया था, तब तो लक्षित विशेष प्रकार की वस्तु का निर्माण, प्रश्न के उत्तर भाग के अनुसार नहीं ठहरता। विदेशी सहकारिता की अनुमति इसलिये दी गयी है कि राज्य सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार यह ऐसा उद्योग है जो कि टैपिओका उत्पादन करने वाले व्यक्तियों की सहायता करेगा ; द्वितीय यह कि जहां तक भारतीय उद्योग का सम्बन्ध है, पहले से ही पर्याप्त परित्राण मौजूद है क्योंकि वास्तव में उत्पादित किया हुआ माल निर्यात किया जायेगा ।

बेकारी

*२९३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी की क्या अवस्था है ;

(ख) क्या यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति की अवधि में बढ़ गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार देश में शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी की वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार शिक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति कायम है ;

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) शिक्षित लोगों को बेकारी से मुक्त कराने वाली योजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये विचार किया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रथम पंच वर्षीय योजना की प्रगति ने शिक्षित व्यक्तियों को किस सीमा तक ग्राम्य रोजगार प्रारम्भ करने के लिये प्रोत्साहित किया है ? क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े देंगे ।

श्री एस० एन० मिश्र : प्रथम पंच-वर्षीय योजना द्वारा इस समस्या को हल करने में ठीक ठीक कितनी सहायता की है--इस बात की अभी जांच की जा रही है, और यह कार्य अध्ययन-मण्डल (स्टडी ग्रुप) द्वारा किया जाएगा ।

डा० राम सुभग सिंह : गत वर्ष के प्रारम्भ में शिक्षित नवयुवकों को काम काज दिलाने के लिये १७५ करोड़ रुपये देकर प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र को कुछ समय के लिये बढ़ा दिया गया था । क्या उस राशि ने शिक्षित नवयुवकों को नौकरी दिलाने में किसी सीमा तक सहायता की है, और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री एस० एन० मिश्र : अभी तक हमारे पास केवल स्कूलों में शिक्षकों के रूप में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या की ही जानकारी है । कुल कितनी नौकरियां उत्पन्न की गई हैं--इसके सम्बन्ध में हम कोई भी प्राक्कलन नहीं दे सकते ।

डा० राम सुभग सिंह : अभी दिये गये उत्तर से ही उत्पन्न होने वाला एक प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या लगभग ४५ लाख व्यक्तियों को कुटीर उद्योगों और दस्तकारियों में काम काज दिलाने के लिये

कार्वे समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिये सरकार की क्षमता पर निर्भर किया जा सकता है ?

श्री एस० एन० मिश्र : कार्वे समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी : और उचित तथा उपयुक्त बातों के लिये सरकार पर सदा निर्भर किया जा सकता है।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि ये प्रबन्ध इसलिये किये जा रहे हैं क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने नये रोज़गारों के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किये थे ; और कार्वे समिति की प्रस्थापनायें देश में नौकरी के लिये नये अवसर दिलाने के इन प्रबन्धों का ही एक भाग है ।

डा० लंका सुन्दरम् : बेकारी को दूर करने के लिये गत वर्ष जो १७५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई थी, क्या सरकार ने उसमें से कोई विशेष भाग शिक्षितों में बेकारी को दूर करने के लिये भी निश्चित किया है ? यदि हां, तो क्या वह निश्चित राशि खर्च की जा चुकी है, और यदि खर्च की जा चुकी है तो उससे अभी तक क्या परिणाम निकले हैं ? मैं केवल शिक्षितों में बेकारी के सम्बन्ध में ही प्रश्न पूछ रहा हूं ।

श्री नन्दा : जहां तक शिक्षितों में बेकारी की समस्या को हल करने के लिये विशेष अवसर प्रदान करने का सम्बन्ध है, मेरे माननीय साथी ने पहले ही उत्तर दे दिया है कि ग्राम क्षेत्रों में शिक्षकों की अधिक भर्ती की गई है । इसी बात की आशा भी की गई थी और वह लगभग पूर्णरूपेण पूर्ण हो गई है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या योजना-आयोग ने कार्वे समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है ? क्या कार्वे समिति द्वारा दी गई प्रस्थापनाओं का वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा विरोध किया गया है और इस सम्बन्ध में जनता के सम्मुख वक्तव्य दिये गये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : जहां तक योजना आयोग द्वारा विचार किये जाने का सम्बन्ध है, हम अभी तक इस पर विचार कर रहे हैं, परन्तु माननीय सदस्य ने जिस विवाद के सम्बन्ध में निर्देश किया है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है ।

हाथियों का निर्यात

***२९४. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४ और १९५५ में अब तक विदेशों को कितने हाथी भेजे गये हैं ; और

(ख) इस निर्यात के कारण भारत को कितनी आय हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**

सरदार इकबाल सिंह : दूसरे देशों को अब तक जितने हाथी उपहार के रूप में दिये जा चुके हैं उनकी और जितने बेचे जा चुके हैं उनकी संख्या क्या है ?

श्री करमरकर : मैं पहले ही आंकड़े बता चुका हूं । संभवतः मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में कितने बिके हैं । इस सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़ नहीं हैं । परन्तु मैं ने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि हमारी सरकार द्वारा बहुत थोड़ी संख्या में कुछ हाथी दूसरी सरकारों को भेंट किये गये थे ।

श्री फीरोज गांधी : क्या उन में कुछ श्वेत हाथी भी थे ?

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को इस तथ्य का ज्ञान है कि दूसरे देशों को अपने

चिड़ियाघरों के लिये इतनी अधिक संख्या में हाथियों की आवश्यकता है कि हम उनकी मांग पूरी नहीं कर सकते और यही कारण है कि हाथियों के निर्यात के सम्बन्ध में स्याम भारत के साथ होड़ करने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री करमरकर : हाथियों के सम्बन्ध में निर्यात की संख्या सम्भवतः नियत है। अभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न पूछा गया है उस के बारे में मैं जांच करूंगा और यदि कोई काम की बात हुई तो मैं सदन को उस स्थिति से सूचित करूंगा।

श्री कामत : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से मुझे मालूम हुआ है कि १९५३ में जितनी संख्या में हाथियों का निर्यात हुआ था १९५४ में विदेशों को उस से १३ हाथी अधिक भेजे गये थे, लेकिन उनसे बहुत कम आय हुई। हाथियों की कीमत में इस अवमूल्यन का कारण क्या है, और क्या इसका सम्बन्ध किसी प्रकार विदेश से श्वेत हाथियों के आयात की वृद्धि से तो नहीं है ?

श्री करमरकर : श्वेत हाथियों के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र मुझ से अधिक जानते हैं। जहां तक कीमत का प्रश्न है, वह आयु, पशु की किस्म, (क्या वह बेकार है अथवा लाभकारी) इत्यादि बातों के अनुसार भिन्न होती है इस लिये प्रत्येक पशु के मूल्य में अन्तर होता है।

सूती सामान का निर्यात

*२९५. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जून १९५६ के अन्त तक सूती कपड़े और सूत से निर्मित सभी अनुमति योग्य वस्तुओं को, जिन में रद्दी रूई से बने कम्बल भी हैं, बाहर भेजने के लिये अबोध लाइसेंस देना स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें मिल में और शक्ति चालित करघे पर निर्मित दोनों प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी हां।

श्री अमजद अली : 'हां' में उत्तर होने के कारण क्या आप बतायेंगे कि इस से भारत में भीतरी खपत के लिये इन वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव हुआ है ?

श्री करमरकर : इन वस्तुओं के निर्यात के कारण देश में इन के दामों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ है ?

श्री अमजद अली : इन वस्तुओं के निर्यात से क्या व्यापार अन्तर में कोई सुधार हुआ है ?

श्री करमरकर : उदाहरण के लिये १९५४ में सूती सामान के निर्यात के कारण हमने ५७ करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की जब कि १९५३ में केवल ४६ करोड़ रुपये की विदेशी मद्रा अर्जित की गई थी। इस हद तक निश्चय ही व्यापार अन्तर में सुधार हुआ है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि सरकारी सूत्रों ने जो विवरण दिया है उसके अनुसार कुल प्राप्त कपड़े की मात्रा केवल पांच सप्ताह के लिये ही पर्याप्त है ? और यदि हां, तो क्या यदि भविष्य में कपड़े के और अधिक निर्यात की अनुमति दी गई तो इस से देश के उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न होगी ?

श्री करमरकर : सूती कपड़े की मंडी में दृढ़ स्थिति के सम्बन्ध में हमें संतोष है क्योंकि इस से यह सिद्ध होता है कि उपभोक्ता मांग अधिक है। यदि किसी प्रकार की कमी

की संभावना हुई तो निश्चय ही हम उस पर विचार करेंगे । स्वाभाविक रूप से हमारा कर्त्तव्य अपने उपभोक्ताओं के प्रति है ।

भारत का वैदेशिक व्यापार

*२९७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से नवम्बर, १९५५ के महीनों में वैदेशिक व्यापार के क्षेत्र में भारत की पूर्णतः स्थिति क्या थी ; और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्तियों के अध्ययन के पश्चात् जो कमियां पाई गई थीं उन्हें पूरा करने के लिये क्या कोई कार्यवाहियां की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). केवल अक्तूबर १९५५ में समाप्त होने वाली अवधि के लिये व्यापार के आंकड़े प्राप्त है । इन आंकड़ों से पता चलता है कि कुल व्यापार जुलाई—अक्तूबर १९५४ में ४०० करोड़ रुपये का हुआ था और इस वर्ष इसी अवधि में कुल व्यापार उस की तुलना म ४०५ करोड़ रुपये का हुआ । जुलाई—अक्तूबर १९५४ की अवधि में हमारे लिये प्रतिकूल व्यापार अन्तर १८ करोड़ रुपये का था और जुलाई—अक्तूबर १९५५ में ७ करोड़ रुपये अनुकूल था । भुगतान शेष स्थिति अनुकूल बनी हुई है । व्यापार निबन्धनों में भी सुधार बनाये रखा गया है । निर्यात को बढ़ावा देने के लिये और देश की बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिये और देश के वैदेशिक व्यापार को विकसित करने के लिये सरकार अपने प्रयत्न बराबर कर रही है ।

श्री डी० सी० शर्मा : : वे वस्तुएं कौन सी हैं जिन का सब से अधिक व्यापार हुआ और जिनके व्यापार में वद्धि प्रवत्ति दिखाई पड़ी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : दामों में आम सुधार हुआ है और समय समय पर दिये जाने वाले आंकड़ों में चाय और पटसन जैसी प्रमुख वस्तुओं के सम्बन्ध में कीमत में वृद्धि होना महत्वपूर्ण है । मेरे विचार में कुल मिलाकर लगभग १५ प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इंगलैण्ड, अमरीकन और इस के साथ हमारे व्यापार अन्तर की स्थिति क्या है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में इस प्रश्न के लिये मुझे तफसील में जाना होगा । माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में एक पृथक प्रश्न पूछना होगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : हाल में हाउस आफ़ कौमन्ज में श्री बटला के आय-व्ययक के नए प्रस्तावों से क्या हमारे व्यापार अन्तर पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में जहां तक इंगलैण्ड के साथ हमारे व्यापार—इंगलैण्ड के साथ हमारे निर्यात—का सम्बन्ध है, इंगलैण्ड के चान्सलर आफ एक्सचैकर के आय-व्ययक के नये प्रस्तावों से इस पर अधिक प्रभाव होने की संभावना नहीं है । इंगलैण्ड भेजी जाने वाली हमारी मुख्य वस्तुओं में चाय मुख्य वस्तु है, और इसकी मांग इतनी लचीली नहीं है कि उस पर कुछ प्रभाव पड़ सके ।

श्री कासलीवाल : हाल में निर्यात मंत्रणा परिषद में भाषण देते हुये माननीय मंत्री ने कहा था कि आगामी पंचवर्षीय योजना में एक निर्यात योजना सम्मिलित किये जाने का उनका सुझाव है । इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने परसों एक वक्तव्य दिया था ; मैं आज उसका ब्यौरा नहीं दे सकता । उस पर अभी सोच विचार किया जाना है ।

इस्पात का कारखाना

*२९८. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में इस्पात का चौथा कारखाना स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). इस्पात का एक चौथा कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में इस समय सरकार किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है। परन्तु यह निश्चय किया गया है कि जब ऐसी कोई योजना तैयार हो तब इस्पात का एक चौथा कारखाना स्थापित करने के दृष्टिकोण से बिहार में बोकारो के निकटवर्ती स्थान के विकास के लिये कार्यवाहियां की जायें ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : बोकारो का विकास कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा, इस सम्बन्ध में क्या सरकार का कोई निश्चित विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, अभी मैंने कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या यह बात ठीक है कि बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही की है और इस्पात के इस चौथे कारखाने की स्थापना के लिये लगभग ३० या ३४ वर्ग मील भूमि को अपने अधिकार में ले लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास ठीक जानकारी नहीं है । परन्तु यदि बिहार सरकार ने ऐसा किया है तो यह कार्यवाही उस क्षेत्र के विकास सम्बन्धी योजना का एक भाग होगी ।

श्री भागवत झा आजाद : इस्पात का चौथा अथवा पांचवां कारखाना भारत में स्थापित करने के लिये क्या कुछ देशों ने सहायता देने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, वे देश कौन से हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : समय समय पर समाचारपत्रों में यह जो समाचार छपते रहते हैं यह अधिकतर कपोलकल्पित कल्पनायें ही होती हैं । किसी देश से मुझे कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

श्री भागवत झा आजाद : बोकारो में स्थान के चुनाव के समय जो कठिनाइयां वर्तमान थीं क्या उन्हें अब दूर कर दिया गया है, और इस्पात के चौथे कारखाने के स्थान के विकास के सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब हम इस्पात के तीसरे कारखाने के लिये स्थान का निर्णय कर रहे थे उस समय जो कठिनाइयां देखी गई थीं उन्हें दूर करने के प्रयत्नों में ही और बातों के साथ-साथ इस स्थान के लिये विकास प्रयत्न भी शामिल हैं , जब हम इस स्थान का विकास करेंगे, तब ये कठिनाइयां जैसे कि सडक परिवहन की कमी, रेल परिवहन की कमी, नदी पर पुल न होने की बातें भी दूर हो जायेंगी ।

नमक

*२९९. **श्री कामत** : क्या **उत्पादन** मंत्री २९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से सेंधा नमक मंगाये जाने के सम्बन्ध में नमक साफ़ करने वालों की अखिल भारतीय संस्था का जो अभ्यावेदन विचाराधीन था, क्या तब से उस पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). इस पर अभी विचार समाप्त नहीं हुआ है। परन्तु पाकिस्तान से मंगाये जाने वाले नमक को बांटते समय उन बातों का ध्यान रखा जायेगा जो इस संस्था ने उठाई है ?

श्री कामत : क्या यह सच है कि नमक साफ़ करने के उद्योग में पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति ही काम कर रहे हैं जिन्हें सरकार ने स्पष्टतया प्रोत्साहन दिया था और यह कहा था कि भविष्य में बाहर से नमक नहीं मंगाया जायेगा जिससे कि उनके हितों की रक्षा हो ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह सच है कि नमक साफ़ करने के उद्योग को मुख्यतया विस्थापित व्यक्ति ही चला रहे हैं। परन्तु मेरे विचार में, माननीय सदस्य ने जिस आश्वासन का उल्लेख किया है सरकार ने वह नहीं दिया।

श्री कामत : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हम पिछले दो वर्ष से जापान और इण्डोनेशिया को नमक भेजते रहे हैं, भारत में बाहर से नमक मंगाना क्यों आवश्यक समझा गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक व्यापार करार हुआ है जिसका उद्देश्य यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े। हम कुछ वस्तुयें पाकिस्तान भेजना चाहते थे और पाकिस्तान कुछ सेंधा नमक भारत को देना चाहता था। तो यह तो वस्तुओं की अदला-बदली हो रही है।

श्री कामत : पाकिस्तान के उद्योगों को सहायता देते समय क्या सरकार इस बात को महसूस नहीं करती कि इससे पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे विचार में शरणार्थियों पर बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। सच तो यह है कि विभिन्न राज्यों को सेंधा नमक बांटते समय नमक साफ़ करने के उद्योग के हितों का ध्यान रखा जायेगा और नमक इस प्रकार बांटा जायेगा जिससे कि सेंधा नमक साफ़ करने के उद्योग पर बुरा प्रभाव न पड़े।

उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालेज

*३००. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालिज के सम्बन्ध में ५ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस सम्बन्ध में सरकार किसी निर्णय पर पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना को अस्थायी रूप से दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

श्री संगण्णा : क्या अभी दूसरे राज्यों में इंजीनियरिंग संस्थाओं में उड़ीसा के इंजीनियरी पढ़ने वाले छात्रों के लिये कोई स्थान सुरक्षित किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति यही है कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है ; परन्तु इसी कमी को पूरा करने के लिये तो यह इंजीनियरिंग कालिज खोला जाने वाला है।

श्री संगण्णा : अब तक भारत के कितने भाग 'क' राज्यों में इंजीनियरिंग कालिज हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : केन्द्र के धन में से उड़ीसा के इस इंजीनियरिंग कालिज के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस पर विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग विचार करेगा ।

इमारती इस्पात

*३०१. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इमारती इस्पात पर फिर से नियंत्रण लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस इस्पात की किन किन प्रकारों पर नियंत्रण लगाया जायेगा ; और

(ग) ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का संकेत भारी इमारती इस्पात की ओर है। यदि हां, तो उस पर १५-११-५५ से फिर नियंत्रण लगाया गया था ।

(ख) जो अधिसूचना जारी की गई थी उसकी प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६**]

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस सामान की मांग बहुत बढ़ गई है और मिलता यह कम है सरकार ने इस पर फिर से नियंत्रण लगाना आवश्यक समझा ।

श्री गिडवानी : भारत में कितना इमारती इस्पात बनता है और अगले दो वर्षों में कितने ऐसे इस्पात की आवश्यकता का अनुमान है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो निर्माता आजकल यह इस्पात तैयार करते हैं वे लगभग २४ हजार टन प्रति मास ऐसा इस्पात तैयार कर सकते हैं । मैं ठीक ठीक यह नहीं कह सकता कि इसकी कितनी मांग होगी । अब तक १,७६,००० टन की मांग ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकी है और इस में से अधिकतर मात्रा बाहर से मंगानी पड़ेगी ।

श्री गिडवानी : क्या चीन और रूस ने इस्पात देने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां तो अब तक कितनी मात्रा स्वीकार की गयी है और क्या उसका मूल्य वर्तमान मूल्यों से कुछ कम है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस्पात देने के प्रस्ताव का तो प्रश्न ही नहीं है । भारत को इस्पात की आवश्यकता है और हमें जहां से भी इस्पात मिल सकता है लेने की कोशिश कर रहे हैं । और मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिला दूं कि कोई भी उस मूल्य से कम में इस्पात देने के लिये तैयार नहीं होगा जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित है और न ही इस बात की संभावना है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रचलित मूल्य से अधिक पर इस्पात खरीदेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बंगलौर प्रसारण केन्द्र

*२७२. **श्री एन० राचय्या** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आल इंडिया रेडियो बंगलौर से कन्नड़ भाषा में प्रादेशिक समाचार प्रसारित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो किस तिथि से ये समाचार प्रसारित किये जाने लगेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). आल इंडिया रेडियो के बंगलौर स्टेशन से जो कि २ नवम्बर, १९५५ को चालू हुआ है कन्नड़ में प्रादेशिक समाचार प्रसारित करन का प्रश्न विचाराधीन है ।

बन्दर

*२७७. **श्री डाभी** : : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को भेजे जाने वाले बन्दरों के साथ जो क्रूरता बरती जाती है क्या उसके सम्बन्ध में उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने के बाद से पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सूडान को टेकनीकल सहायता

*२८०. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सूडान को कितने न्याय और शिक्षा सम्बन्धी तथा टेकनीकल कर्मचारी (उन की राज्यवार संख्या) भेजे गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : सूडान सरकार ने अपने वित्त, न्याय, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, लोक निर्माण कार्य और संचार विभागों में कुछ पदों पर ५५ भारतीयों को नियुक्त किया है ।

२. एक विवरण जिसमें इन व्यक्तियों के नाम और पद और अन्य बातें दी हुई हैं सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]**

चावल का निर्यात

*२८१. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में निर्यात करने के लिये चावल का कितना कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) ३० सितम्बर, १९५५ तक कितने चावल का निर्यात किया जा चुका है ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां इसका निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जुलाई १९५४ में दो लाख टन का कोटा निर्यात के लिये छोड़ा गया था । अभी तक इस कोटा के भीतर निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) जनवरी और सितम्बर १९५५ के भीतर ८२·२३२ टन ।

(ग) सऊदी अरब, मारिशस, लंका, अदन, कुवैट, इंगलैण्ड, मलाया फेडेरेशन, कम्बोडिया और फ़ीजी ।

कपड़े के मूल्य

*२९६. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के कुछ कपड़ा व्यापारियों ने, पूजा उत्सव के ठीक पहले, शालीमार गुड्ज़ शेड से माल उठाने में जान बूझ कर विलम्ब किया और इस प्रकार मूल्यों की दर को गिरने नहीं दिया और इस प्रकार मूल्यों को ऊंचे स्तर पर बनाये रखा ; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिये सरकार कौन से उपाय करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सरकार ने समाचार पत्रों में यह समाचार देखा है कि पूजा उत्सव के आस पास शालीमार गुड्ज़ शेड में कपड़े की गांठें इकट्ठी हो गई थीं। परन्तु सरकार को इसके सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि इसका ठीक ठीक कारण क्या है। कहा जाता है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने कुछ उपाय किये जिनके फल-स्वरूप जो स्टाक जमा हो गया था वह भी निकाल दिया गया।

वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

*३०३. **श्री श्री नारायण दास :**
चौधरी मुहम्मद शफी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया के अधीक्षण तथा नियंत्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के सभापति के रूप में भारत को जो कार्य और उत्तरदायित्व पूरा करना अभी शेष है वह किस प्रकार का है ;

(ख) अभी तक भारत ने इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय किया है ; और

(ग) इन आयोगों में अभी और कितने समय तक भारत के प्रतिनिधि रहेंगे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जेनेवा करार के अनुसार, जब तक वियतनाम के सारे निर्वाचन न हो जायें तथा उस देश का एकीकरण न हो जाये, अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को सीमा रेखा तथा उन क्षेत्रों का अपना अधीक्षण, जहा से सेनायें हटा ली गई हैं, जारी रखना है, युद्ध सामग्री के आयात पर नियंत्रण रखना है तथा युद्ध बन्दियों और असैनिक नज़रबन्दों से सम्बन्धित शेष कार्य को पूरा करना है। वियतनाम और लाओस में जब तक राजनैतिक व्यवस्था न हो जाये, आयोग का कार्य सामान्य प्रकार से समाप्त नहीं होगा। कम्बोडिया में निर्वाचन हो चुके हैं और इस आयोग ने अन्य दोनों आयोगों के परामर्श से अपने सेविवर्ग को कम करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) ३१ अगस्त, १९५५ तक भारत ने कुल ३१,१३,९८० रुपये का खर्च किया है। सामान्य समूह से उस राशि को प्राप्त हो जाने पर जो कि जेनेवा शक्तियों के हिस्से का खर्च है, यह राशि कुछ कम हो जायेगी।

(ग) वियतनाम और लाओस में जेनेवा करारों के परिपालन की अनिश्चितताओं पर ध्यान देते हुये यह बत ना सम्भव नहीं है कि उनको हिन्दचीन में अभी कितने समय तक रहना पड़ेगा।

गण्डक परियोजना

*३०४ **श्री झूलन सिंह :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५५ में जब वे बिहार गये थे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गण्डक घाटी सिंचाई तथा विद्युत परियोजना के सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने कोई वक्तव्य दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होने वाला है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) यह विषय अभी विचाराधीन है।

कोयना जल-विद्युत परियोजना

*३०५. **श्री एल० एन० मिश्र** : **क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयना जल-विद्युत विकास परियोजना को कार्य रूप देने के लिये विश्व बैंक से किसी ऋण के लियें बातचीत की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): हां, श्रीमान् ।

निर्यात संवर्धन परिषद

*३०६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल के सामान के उद्योग के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या इस उद्योग में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये किन्हीं भी राज्यों में कोई प्रशिक्षण केन्द्र हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् । सरकार खेल के सामान के उद्योग के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना में सहायता देने को तैयार होगी यदि व्यापार उद्योग से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि इस उद्योग के मजदूरों के प्रशिक्षण केन्द्र और अध्यापन कक्षायें कुछ राज्यों में विद्यमान हैं ।

अचल निष्क्राम्य सम्पत्ति

*३०७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :**
श्री जेठा लाल जोशी :
श्री गिडवानी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू और सिख विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई निष्क्राम्य अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के साथ समझौता करने में क्या प्रगति, यदि कोई हो, हुई है ; और

(ख) क्या इस बहुत समय से चलते आ रहे मामले पर चर्चा करने तथा उसे तय करने के लिये दोनों देशों के मंत्रियों की शीघ्र भेंट होने का कोई प्रस्ताव है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) निष्क्राम्य अचल सम्पत्ति पर पाकिस्तान सरकार के साथ कोई समझौता अभी तक संभव नहीं हो सका है ।

(ख) मामले के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

खादी की हुंडियां

*३०८. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष विभिन्न राज्यों में डाक घरों के जरिये गांधी जयंती के दौरान में खादी की हुंडियों की कुल कितनी बिक्री हुई ; और

(ख) क्या अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड में डाकघरों को कोई कमीशन दिया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) खादी की हुंडियों की बिक्री, जो ८ सितम्बर, १९५५ को प्रारम्भ हुई, ३१-३-५६ तक खुली रही । खादी की हुंडियों की कुल बिक्री के आँकड़े अप्रैल, १९५६ के बाद किसी समय उपलब्ध होंगे ।

(ख) खादी की हुंडियों की बिक्री के लिये डाकघरों को कोई कमीशन नहीं दिया गया है और न देने का विचार है । फिर भी डाकघरों द्वारा कर्मचारियों और संगठन पर जो अतिरिक्त व्यय किया गया है उसका परिशोध किया जायेगा ।

दिल्ली में जल संभरण

*३०९. **श्रीमती माथादेव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जल संभरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये अन्तर्विभागीय समिति कब निर्मित की गई थी ?

(ख) अभी तक उसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं ; और

(ग) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं।

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तदर्थ समिति जनवरी, १९५५ में स्थापित की गई थी।

(ख) समिति की बैठक केवल एक बार फरवरी, १९५५ में हुई।

(ग) (१) दिल्ली के वजीराबाद पम्पिंग स्टेशन को अस्थायी तौर से गर्मी के महीनों में अत्यधिक कमी के दौरान में स्थायी योजना के क्रियान्वित किये जाने तक मुनाक द्वारक[1] के जरिये पानी का संभरण करने के लिये पंजाब सरकार के साथ प्रबन्ध। (२) पश्चिमी जमुना नहर का अधीक्षक इंजीनियर स्थायी आवर्धन के लिये दो वैकल्पिक योजनायें तैयार करेगा, अर्थात्

१. मुनाक द्वारक को नहर बनाना, और

२. दिल्ली पुच्छ उपकल्यिका[2] में सुधार और बुरारी द्वारक को नहर बनाना,

और तत्पश्चात् अपनी सिफारिशें समिति को प्रस्तुत करेगा।

अधीक्षक इंजीनियर (१) मुनाक (२) नदी का प्रतिस्रोत जहां मुनाक जमुना नदी में मिलती है और (३) वजीराबाद पम्पिंग स्टेशन के दो मील प्रतिस्रोत पर उन्मोक[3] लेने के लिये भी प्रबन्ध करेगा।

भारतीय उद्योग मेला

*३१०. **श्री ए० एम० थामस :**
श्री बी० डी० शास्त्री :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में हो रहे भारतीय उद्योग मेले पर कितना व्यय किये जाने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपने स्टालों की स्थापना में किये गये व्यय के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अष्टकोणीय दर्शकमंडप के निर्माण, बिजली के सब स्टेशनों की स्थापना और पुरानी इमारतों के पुनर्नवीकरण पर किये गये कुल व्यय का अनुमान १६,३०,५०० रुपय लगाया जाता है।

वस्त्र उद्योग

*३१२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इसका निश्चय करने के लिये देश के वस्त्र उद्योग का सर्वेक्षण कर लिया है कि अगले पांच वर्षों में कपड़े का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिये मिल की मशीनरी तथा उसके उपकरणों की कहां तक ठीक करने की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि सर्वेक्षण पूरी तरह से कर लिया गया है, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) वस्त्र सम्बन्धी कारखानों में मशीनरी का सर्वेक्षण आजकल किया जा रहा है, किन्तु इस सर्वेक्षण के इतने सारे प्रयोजन नहीं हैं, जिनका प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

(ख) ७७ कारखानों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

(ग) सर्वेक्षण अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है।

---

[1]Escape.

[2]Delhi Tail Distributry.

[3]Discharges.

महाराजा किशनगढ़ मिल्ज, लिमिटेड

१४९. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने महाराजा किशनगढ़ मिल्ज, लिमिटेड के निरन्तर कुप्रबन्ध और उसकी दीर्घकालीन तालाबन्दी की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पहले दो अवसरों पर सरकार ने इन मिलों की स्थिति की जांच की थी । मिलों की मशीनरी की दशा और वित्तीय हालत को देखते हुये सरकार का यह विचार है कि उद्योग अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर मिलें पुनः चालू नहीं हो सकेंगी ।

गोआ

१५०. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** २९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अदन से हो कर गोआ को माल भेजने वाले बम्बई के व्यापारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक जो कार्यवाही की गई है, वह किस प्रकार की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) (क) और (ख). बम्बई सरकार और भारत सरकार के उपयुक्त विभागों को यह अनुदेश दिया गया है कि वे अदन से हो कर गोआ को बम्बई से भारतीय माल के निर्यात के सम्बन्ध में निगरानी रखें। जो ऐसा व्यापार करते हुए पकड़े जायेंगे उनके खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

तावा जल-विद्युत् परियोजना

१५१. **श्री कामत** : क्या **योजना मंत्री** २६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तावा जल-विद्युत परियोजना को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). तावा बहु-प्रयोजनीय परियोजना की द्वितीय योजना में शामिल करने के लिये अस्थायी रूप से स्वीकृति दे दी गई है ।

विस्थापित व्यक्तियों के मकान

*१५२. **सरदार हुक्म सिंह** :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर में भारी वर्षा के कारण दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के मकान अथवा निष्क्रान्त मकान कितनी संख्या में गिरे; और

(ख) कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) २०८ निष्क्रान्त मकान गिरे ।

(ख) लगभग एक लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई ?

अभ्रक का निर्यात

१५३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ और १९५४-५५ में विदेशों को अभ्रक के निर्यात करने के सम्बन्ध में सरकार ने किस नीति का अनसरण किया?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अभ्रक के निर्यात पर नियन्त्रण नहीं है और इसलिए उसके निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है।

चन्दन की लकड़ी

१५४. श्री एन० राचय्या : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसूर राज्य से १९५४–५५ के दौरान चन्दन की कुल कितनी लकड़ी विदेशों को भेजी गई;

(ख) उससे कुल कितनी रकम प्राप्त हुई; और

(ग) किन-किन देशों को यह चन्दन की लकड़ी भेजी गई है?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). विभिन्न राज्यों से विदेशों को अलग-अलग भेजी जाने वाली चन्दन की लकड़ी के आंकड़े दर्ज नहीं किये जाते। इस लिये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारत से विदेशों को भेजी जाने वाली कुल चन्दन की लकड़ी के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

१९५४–१००९ टन, जिसका मूल्य ३३ लाख रुपये होगा।

१९५५ (जनवरी से सितम्बर तक) ७२४ टन, जिसका मूल्य २५ लाख रुपये होगा। जिन देशों को उसका निर्यात किया गया है, उनमें से मुख्य ये हैं :—

अमेरिका ।
इंगलैन्ड ।
पाकिस्तान ।
हाँगकाँग ।
सूडान ।
बर्मा ।
अदन ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर

१५५. डा० सत्यवादी : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी में कितने कर्मचारी काम करते हैं, उनकी श्रेणीवार संख्या क्या है, और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या कितनी-कितनी है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): मांगी गई जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

१५६. डा० सत्यवादी : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के नीचे काम करने वाले, बन्दोबस्त आयुक्तों, सहायक बन्दोबस्त आयुक्तों, बन्दोबस्त प्राधिकारियों और सहायक बन्दोबस्त प्राधिकारियों में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या क्या है, और दूसरों की तुलना में उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि सहायक बन्दोबस्त आयुक्तों के कुछ और भी पदों के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी जगह खाली हैं; और

(घ) इन जगहों के लिये प्रार्थना-पत्र भेजने वालों में अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार हैं?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) इन जगहों पर काम करने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या इस प्रकार है:—

(१) बन्दीबस्त आयुक्त — एक भी नहीं

(२) सहायक बन्दोबस्त आयक्त — १

(३) बन्दोबस्त प्राधिकारी एक भी नहीं

(४) सहायक बन्दोबस्त प्राधिकारी १४

अन्य पदाधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :—

(१) बन्दोबस्त आयुक्त २

(२) सहायक बन्दोबस्त आयुक्त १४

(३) बन्दोबस्त प्राधिकारी ५५

(४) सहायक बन्दोबस्त प्राधिकारी १२२

(ख) गृह-कार्य मंत्रालय से इन पदों के लिये उपयुक्त प्राधिकारियों का सुझाव देने को कहा गया है।

(ग) पाँच।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दमन

१५७. श्री हेडा : : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दमन के भारतीय निवासियों के भारतीय प्रदेश में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : भारत में पुर्तगाली बस्तियों से सम्बन्धित तमाम घटनाओं के कारण, इन बस्तियों को जाने वाले भूमि मार्ग आवागमन के लिये बन्द कर दिये गये थे। वहां एक बड़े पैमाने पर चलने वाले तस्कर व्यापार को भी देखते हुए यह करना आवश्यक हो गया था। फिर भी, यदि उन बस्तियों के भारतीय निवासी चाहें तो बाहर आ सकते हैं।

मोटर उद्योग

१५८. श्री एन० एम० लिंगम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मोटर उद्योग के विकास का क्या कार्यक्रम है;

(ख) मोटर-पुर्जे और हिस्से बनाने के लिये चलने वाले वर्तमान सहायक उद्योगों और आरंभ चालू किये जाने वाले सहायक उद्योगों की क्या संख्या है; और

(ग) आजकल कौन से पुर्जे भारत में ही बनते हैं, और कितनों का आयात किया जाता है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति तक मोटर गाड़ियों के वे अधिकांश हिस्से और पुर्जे अपने देश में ही तैयार होने लगेंगे जिनके निर्माण के कार्यक्रम का सरकार ने अनुमोदन किया है। केवल मोटर की काया के ढांचे (बॉडी पैनल्स) निर्मित नहीं हो सकेंगे। पूरी गाड़ी में इनका मूल्य कुल १० प्रतिशत से १५ प्रतिशत तक रहता है।

(ख) आजकल केवल सोलह सार्थ हैं, जो एक संगठित रूप में मोटर गाड़ियों के सहायक हिस्से बनाते हैं। ग्यारह और परियोजनाओं की अनुमति मिल चुकी है और आशा है कि निकट भविष्य में ही उनका काम-चालू हो जायेगा।

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या २९]**

सिन्द्री फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड

१५९. श्री झूलन सिंह : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन्द्री उर्वरक कारखाने में कितने प्रतिशत (प्रवीण और अप्रवीण) स्थानीय कर्मचारी भर्ती किये गये हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सिन्द्री और पास के थानों के इलाकों से भर्ती किये गये प्रवीण कर्मचारियों की संख्या सात प्रतिशत और अप्रवीण कर्मचारियों की संख्या ५५ प्रतिशत है

चाय

१६०. श्री के० पी० सिन्हा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९५५ तक दक्षिण भारत में कुल कितने परिमाण में चाय उगाई गई थी, और पिछले वर्ष के इसी काल के आँकड़ों से इसकी क्या तुलना होगी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : दक्षिण भारत में जनवरी से जुलाई १९५५ तक कुल ७५८ लाख पौंड चाय उगाई गई थी। १९५४ में इसी अवधि में ७८७ लाख पौंड चाय उगाई गई थी। १९५५ में जनवरी से सितम्बर तक की अवधि में १९५४ की इसी अवधि के मुकाबिले में चाय के उत्पादन में कुछ बढ़ती हुई है।

गोआ में भारतीय

१६१. श्री बी० के० दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गोआ स्थित वाणिज्य दूतावास के बन्द होने तक कितने भारतीय गोआ से भारत आये थे; और

(ख) अब भारत आने के इच्छुक भारतीयों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सितम्बर १९५४ में गोआ और भारत के बीच यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद सभी गोआवासियों और भारतीयों को भारत में प्रवेश करने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी। चूंकि इन अनुज्ञाओं में राष्ट्रीयता का उल्लेख नहीं रहता था इसलिये गोआ से भारत आने वाले भारतीयों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

(ख) गोआ-निवासी भारतीयों को भारत में आने की निर्बाध रूप से अनुमति है।

औद्योगिक उत्पादन

१६२. श्री इब्राहीम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९४६ की अपेक्षा १९५२, १९५३ और १९५४ में औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ; और

(ख) औद्योगिक उत्पादन की इस वृद्धि के लिए कौन-कौन से तत्व जिम्मेदार हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) औद्योगिक उत्पादन में यह वृद्धि मुख्यतः विभिन्न चीजों की अधिक मांग, विशेषकर उपभोग की वस्तुएं, वित्त प्रबन्धक संस्थाओं की स्थापना तथा सरकार द्वारा नई औद्योगिक संस्थाओं को आयकर तथा अधिकर के मामले में दी गई विशेष रियायतों के कारण हुई है।

कागज

१६३. श्री एस० के० रज़मी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५–५६ में ३० सितम्बर, १९५५ तक देश में कागज का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितनी खपत हुई; और

(ख) इसी अवधि में बाहर से मंगाए गए कागज का परिमाण तथा मूल्य क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कागज तथा गत्तों (पेपर बोर्ड्स) (अखबारी कागज को निकाल कर) का कुल उत्पादन अप्रैल से सितम्बर १९५५ तक ९१,१७२ टन हुआ। इस अवधि में हुई खपत के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध नहीं।

(ख) समस्त प्रकार के कागज, अखबारी कागज, कागज से बनी वस्तुओं तथा पुराने नए कागज को निकाल कर ।

अप्रैल-सितम्बर, १९५५ में बाहर से आयात	
मात्रा	(मूल्य रुपयों में)
२३,९४६ टन	३,१२,५०,०००

सीमा घटनायें

१६४. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुलिस व पाकिस्तानी पुलिस के बीच १ जनवरी, १९५५ से अभी तक कितनी बार मुठभेड़ हुई ;

(ख) दोनों पक्षों के कितने व्यक्ति हताहत हुये ; और

(ग) इन मुठभेड़ों के क्या कारण थे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) १ जनवरी, १९५५ से १५ नवम्बर, १९५५ तक भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारतीय व पाकिस्तानी सीमा-पुलिस दलों के बीच दो भिड़न्तें हुईं ।

(ख) किसी भी पक्ष से हताहत की सूचना नहीं आई ।

(ग) ये भिड़न्तें पाकिस्तान सीमा-पुलिस द्वारा भारतीय राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा करने के प्रयत्न करने के परिणामस्वरूप हुईं ।

पारपत्र

१६५. सरदार इकबाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ और १९५५ में जाली पारपत्रों के कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके लिये ये पारपत्र जारी किये गये थे ;

(ग) इन मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और दोषी ठहराये गये ; और

(घ) सरकार द्वारा इस जालसाजी को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा के पटल पर रखी जायेगी ।

(घ) यह जानकारी जनहित में नहीं होगी ।

एल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया स्थित भारतीय

१६६ { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में रहने वाले भारतीयों की वर्तमान संख्या क्या है ;

(ख) क्या उन में से किन्हीं को उन देशों के दंगों-द्रोहों अथवा अन्य अशान्तियों में कोई क्षति पहुंची है ; और

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या उनकी जान माल की सुरक्षा के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) उत्तरी अफ्रीका, जिब्राल्टर और कैनेरी द्वीपों में लगभग ३,००० भारतीय हैं । एल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया की अलग संख्यायें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) उन देशों के उपद्रवों आदि में भारतीयों को क्षति पहुंचने की अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) अभी तक ऐसी कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है ।

भारतीय फिल्में

१६७. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी भारतीय फिल्मों की संख्या और उनके नाम क्या हैं जिनके प्रदर्शन पर १ अप्रैल से लेकर ३१ अक्तूबर, तक विदेशों में रोक लगाई गई ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

घानी का तेल

१६८. **ठाकुर युगलकिशोर सिंह :**
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **उत्पादन** मंत्री उन सुविधाओं का ब्योरा बताने की कृपा करेंगे जो कि तेलियों की सहकारी संस्थाओं को घानी का तेल तैयार करने के लिये दी जाती हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सरकार द्वारा तेलियों को सहकारी संस्थाओं और अन्य रजिस्टर्ड संस्थाओं को निम्नांकित आर्थिक सहायतायें घानी तेल उद्योग के विकास के लिये दी जाती हैं :—

(१) उन्नत घानियों की स्थापना के लिये अनुदान तथा ऋण ;

(२) खादी बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड घानियों में निकाले गये व प्रमाणपत्रित विक्रय अभिकर्ताओं के द्वारा बेचे गये तेल पर २ रुपये ८ आने प्रतिमन की दर से उत्पादन सहायता;

(३) तिलहन की खरीद व जमा करने के लिये ऋण ; और

(४) तेलियों के सहकारी थोक बिक्री गोदामों द्वारा तेलियों को बाज़ार-भाव पर देने के लिये खरीदे गये व इकट्ठा किये गये तिलहन के मूल्य में फर्क आ जाने से होने वाली क्षतियों की पूर्ति के लिये आर्थिक सहायता । तेलियों को उपरोक्त प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के अतिरिक्त आदर्श प्रदर्शन केन्द्रों और प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये भी प्रबंधन रखा जाता है, जिनमें तेल निकालने के उन्नत तरीकों व घानियों आदि के निर्माण का प्रशिक्षण कामकरों को दिया जाता है ।

गोआ

१६९. **श्री कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाली शासन द्वारा अभी तक गोआ, दू तथा दमन में सिद्धदोष अथवा हिरासत में रखे गए भारतीय सत्याग्रहियों की संख्या, उनके नामों सहित, क्या है ;

(ख) अक्तूबर १९५५ में और उस के बाद गिरफ़्तार किये गये अथवा अन्यथा पुर्तगाली बस्तियों में प्रवेश करने से रोक लिये गये भारतीय सत्याग्रहियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या उन समस्त भारतीय सत्याग्रहियों का हिसाब रखा गया है जिन्होंने गोआ, दू तथा दमन में प्रवेश किया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनमें से कितने अभी लापता हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]

(ख) १७०

(ग) और (घ). जी हां, केवल श्री शेष नाथ वादकर को छोड़कर जिन्होंने १५ अगस्त को तेराखोल में प्रवेश किया था। उनके लापता होने की सूचना मिली थी परन्तु ऐसा माना जाता है कि वह गोली से मारे गये हैं। इसकी पुष्टि करना संभव नहीं हो सका।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन

१७०. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में हुए आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के संबंध में विभिन्न मदों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): आकाशवाणी संगीत सम्मेलन पर हुए व्यय की ठीक धनराशि का आकलन संभव नहीं है चूंकि वह उन समस्त केन्द्रों के कार्यक्रम व्यय का ही एक अंश है जिन्होंने सम्मेलन का कार्यक्रम प्रसारित किया।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४१३१–७४ स्तम्भ

ता० प्र० संख्या विषय स्तम्भ

२७० गोआ . . ४१३१–३४
२७१ भारत-इराक व्यापार करार . . ४१३४–३५
२७३ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण . . ४१३५–३७
२७४ ग्रामोद्योग ४१३७–३८
२७५ इस्पात . ४१३९–४०
२७६ गांवों में बिजली लगाना ४१४०–४२
२७८ नमक . ४१४२
२८४ नमक उपकर ४१४२–४४
२७९ नदी घाटी योजनायें ४१४४–४६
२८२ इस्पात संयंत्र . ४१४६–४७
२८३ अखबारी कागज का कारखाना . ४१४७–४९
२८५ कोयले की गैस ४१४९–५०
२८६ मितसुई बुस्सन कैरम लिमिटेड . ४१५०–५१
२८७ टायर का कारखाना ४१५१–५३
२८८ कम्बोडिया को टेकनिकल सहायता . . ४१५३–५४
२८९ राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम . . ४१५४–५५
२९० सामुदायिक परियोजना प्रशासन . ४१५५–५७
२९१ जूट . . ४१५७–५९
२९२ टैपिओका खाँड कारखाना ४१५९–६१
२९३ बेकारी . ४१६१–६४
२९४ हाथियों का निर्यात ४१६४–६५
२९५ सूती सामान का निर्यात ४१६५–६७
२९७ भारत का वैदेशिक व्यापार. . ४१६७–६८
२९८ इस्पात का कारखाना ४१६९–७०
२९९ नमक . . ४१७०–७२
३०० उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालेज . ४१७२–७३
३०१ इमारती इस्पात ४१७३–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४१७४–९६

ता० प्र० संख्या

२७२ बंगलौर प्रसारण केन्द्र ४१७४–७५
२७७ बन्दर . . ४१७५
२८० सूडान को टेकनिकल सहायता . ४१७५
२८१ चावल का निर्यात ४१७६
२९६ कपड़े का मूल्य . ४१७६–७७
३०३ वियत नाम में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग. . .४१७७–७८
३०४ गण्डक घाटी परियोजना ४१७८
३०५ कोयना जल विद्युत् परियोजना . ४१७८–७९
३०६ निर्यात संवर्धन परिषद् ४१७९
३०७ अचल निष्क्रान्त सम्पत्ति ४१७९–८०
३०८ खादी हुन्डियां . ४१८०
३०९ दिल्ली में जल संभरण ४१८०–८१
३१० भारतीय उद्योग मेला ४१८१–८२
३१२ वस्त्र उद्योग . ४१८२

अ० ता० प्र० संख्या

१४९ महाराजा किशनगढ़ मिल्स लिमिटेड . ४१८३
१५० गोआ . . ४१८३–८४
१५१ तावा जल-विद्युत परि-जोजना . . ४१८४
१५२ विस्थापित व्यक्तियों के मकान . ४१८४
१५३ अभ्रक का निर्यात . ४१८४–८५
१५४ चन्दन की लकड़ी . ४१८५
१५५ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर . ४१८६
१५६ अनुसूचित जातियों के कर्मचारी . ४१८६–८७
१५७ दमन . . . ४१८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

ता० प्र० संख्या		स्तम्भ
१५८	मोटर उद्योग . .	४१८७–८८
१५९	फर्टिलाइजर एन्ड कैमिकलस लिमिटेड .	४१८८
१६०	चाय . .	४१८९
१६१	गोआ में भारतीय .	४१८९
१६२	औद्योगिक उत्पादद .	४१९०
१६३	कागज . .	४१९०–९१
१६४	सीमा की घटनायें .	४१९१
१६५	पारपत्र . .	४१९१–९२
१६६	एल्जीरिया तथा ट्यूनिसिया स्थित भारतीय	४१९२–९३
१६७	भारतीय फिल्में	४१९३
१६८	घानी का तैल	४१९३–९४
१६९	गोआ . .	४१९४–९५
१७०	आकाशवाणी संगीत सम्मेलन	४१९६

विषय स्तम्भ

लोक-सभा

वाद-विवाद

बुधवार,
३० नवंबर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ९ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५६४३–४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५६४४–४७
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक	५६४७
नदी बोर्ड विधेयक	५६४७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	५६४८
नागरिकता विधेयक	५६४८, ५७१७
संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक	५६४८–४९
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	५६४९
समवाय विधेयक	५६४९–५३
नागरिकता विधेयक	
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५६५४–५७१७
खंडों पर विचार—खंड २ से १९	५७१७–४६
दैनिक संक्षेपिका	५७४७

संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई की स्थिति	५७५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५२
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	५७५२
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)—	
खंड १९	५७५२–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५७५५
समवाय विधेयक	५७५५–७३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५७७३–५८१०
खंड २ से ५ और १	५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५८१९–२७

	स्तम्भ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८२७–३२
दैनिक संक्षेपिका	५८३३–३४
संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
बम्बई की स्थिति . .	५८३५–४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
उनतालीसवां प्रतिवेदन . .	५८४०
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८४०–५९१६
दैनिक संक्षेपिका	५९१७–१८
संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र . .	५९१९–२१
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . .	५९२१
आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण	५९२१–२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	५९२२–२३
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	५९२३–६०१०
विचार करने का प्रस्ताव	५९२३
खंडों पर विचार . .	५९८७–६०१०
खंड २ . .	५९८७–९५
खंड ३ और ४ .	५९८७–९५
खंड ५ .	५९९५–६०१०
दैनिक संक्षेपिका .	६०११–१४
संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रख गये पत्र .	६०१५–१६
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . .	६०१६–२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२	६०२२–५५

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

बालीसवां प्रतिवेदन

	स्तम्भ
कार्य मंत्रणा समिति—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	६२१२
कशाघात उत्सादन विधेयक	६२१५—३७
विचार करने का प्रस्ताव	६२१५
खंड १ से ४	६२३७
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक	६२१३–१५, ६२३८–८०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६२३८
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६२८०–८८
विचार करने का प्रस्ताव	६२८०
दैनिक संक्षेपिका	६२८९–९२
संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६२९३–९७
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक	६२९७
बीमा (संशोधन) विधेयक	६२९७–९८
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न	६२९८–६३००
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६३००–१२
विचार करने का प्रस्ताव	६३००
खंडों पर विचार—	
खंड २ से ४६ और १	६३११–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६३१२
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३१२–७२
विचार करने का प्रस्ताव	६३१२
खंडो पर विचार—	
खंड २ से ४ और १	६३५८–७२
पारित करने का प्रस्ताव	६३७२
दैनिक संक्षेपिका	६३७३–७६
संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३७७, ६३८४
स्थगन प्रस्ताव—	
अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति	६३७८–८१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३८१–८

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक ६३८३–८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४–६४१८
विचार करने का प्रस्ताव ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९–३९
विचार करने का प्रस्ताव ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९, ६२
विचार करने का प्रस्ताव ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका ६४६३–६६

संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७–६९
सभा का कार्य ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९–६५५६
विचार करने का प्रस्ताव ६४६९
दैनिक संक्षेपिका ६५५७–५८

संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०–६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१–६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३–५२
दैनिक संक्षेपिका ६६५३–५४

स्तम्भ

संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका ६७४५–४६

संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–९९२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–९४

संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा . ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक . . . ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव . ७०१८

खंड २ और १ . . . ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन . ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . . ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका . ७०८९–९०

अनुक्रमणिका (१-४९)

लोक-सभा

बुधवार, ३० नवम्बर १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

---

१२ मध्यान्ह

स्थगन प्रस्ताव

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उस स्थगन प्रस्ताव को लेता हूं जिसकी सूचना श्री दशरथ देव तथा श्री बीरेन दत्त ने दी है। यह प्रस्ताव अगरतला (त्रिपुरा) में राताचेरा की गम्भीर स्थिति के विषय में है। बताया जाता है कि वहां २१ नवम्बर, १९५५ को पुलिस ने मकान जला डाले हैं, स्त्रियों के साथ छेड़-छाड़ की है और लोगों को निर्दयता पूर्वक पीटा है, और इस के फलस्वरूप छः गांवों में आतंक छाया हुआ है और दमन सहन न कर सकने के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिये इन गांवों से भाग खड़े हुए हैं।

मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो आरोप लगाये हैं उनका आधार क्या है--मैं व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य प्रकार से मिली सूचनाओं का निश्चित सूत्र नहीं जानना चाहता हूं--या उनके ये आरोप केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों अथवा किसी अन्य बात पर आधारित हैं ?

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा-पूर्व) : यह समाचार कलकत्ते के दैनिक "**स्वाधीनता**" में प्रकाशित हुआ था और मुझे दो तार भी मिले हैं, एक उस क्षेत्र के निर्वाचक-गण के एक सदस्य से और दूसरा उन गांवों के कुछ उत्तरदायी निवासियों--मोहन चन्द्र और बकुलसिंह--से मिले हैं। हम समझते हैं कि यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिपुरा केन्द्रीय प्रशासन में रहा है और हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि यह उस क्षेत्र की जनता की नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनके पास इन तथ्यों के अतिरिक्त, जो वह बता चुके हैं, कुछ और तथ्य हैं ?

श्री दशरथ देव : अब तक समाचार पत्रों से मैं जो कुछ जान सका हूं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव में ये तथ्य आप दे ही चुके हैं।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम) : मैं उन व्यक्तियों के नाम बता सकता हूं जिनके साथ छेड़ छाड़ की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से वस्तु स्थिति जानना चाहूंगा।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : सरकार ने सूचना मांगी है और उसके मिलने पर ही मैं वक्तव्य दे सकूंगा। संभवतया वह सूचना कल तक आजायगी और यदि आप इसे परसों के लिये स्थगित कर दें; तो अधिक सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय : हमें तथ्य मिलने चाहियें; मैं इसे परसों के लिये स्थगित करता हूं।

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : तारांकित प्रश्न संख्या २९० से उत्पन्न एक अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में—जो प्रशिक्षणार्थियों के लिये निर्धारित अर्हताओं के विषय में था—मैं यह कहना चाहता हूं कि अर्हतायें ये हैं :

(१) मेकैनिकल (यंत्र-संबंधी) अथवा विधुत सम्बन्धी इंजीनियरी में डिप्लोमा अथवा डिग्री;

(२) रासायनिक इंजीनियरी में बी० एस० सी; अथवा

(३) व्यवहारिक भौतिकी में उपाधि; और

(४) आयु २५ वर्ष से अधिक नहीं तथा गांवों में रहने की रुचि ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दशमलव मुद्राओं के नामाकन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अधिसचनाओं के मसौदे

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर चर्चा के समय २९ जुलाई, १९५५ को दिये वचन के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय की दशमलव-मुद्राओं के नामांकन तथा मूल्याँकन संबंधी दो अधिसूचनाओं के मसौदों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

श्री कामत (होशंगाबाद) : क्योंकि कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये इन दोनों प्रारूप अधिसूचनाओं की प्रतियां इस सभा को सदस्यों में परिचालित की जानी चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा किया जायेगा । मैं समझता हूं कि इस सभा में इन पर चर्चा होगी, अतः यह अवश्य दी जायें ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति क प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि में वृद्धि

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०, में अग्रेतर संशोधन करने और भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में कतिपय आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थान के लिये नियुक्त समय को ६ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ा दिया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम्) : क्या हम समय बढ़ाये जाने के कारण जान सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : समिति के सभापति कारण बता सकते हैं । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि समय बढ़ाने का अनुरोध क्यों किया गया है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वास्तव में समिति ने अपना कार्य समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया है । किन्तु सभा ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा माननीय सदस्यों को नये सुझाव भी प्रस्तुत कर सकने की अनुमति दे दी थी, इस कारण पूरा प्रयास करने पर भी कार्य पूरा नहीं किया जा सका है । इसलिये समय बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है । सभा को यह ज्ञात है कि समय की कमी के कारण सरकार इस सत्र में इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर रही है और अवधि एक सप्ताह के लिये बढ़ जाने से हमें अपना कार्य पूरा करने का समय मिल जायगा ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम. १९५० में अग्रेतर संशोधन करने और भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में कतिपय आनुषंगित संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियुक्त समय को ६ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ा दिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि में वृद्धि

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने और भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम १९५१ में कतिपय आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियुक्त समय को १५ फरवरी, १९५६ तक बढ़ा दिया जाय । "

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकलपों सम्बंधी समिति

चालीसवां प्रतिवेदन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरूपति) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चालीसवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अठाईसवें प्रतिवेदन से, जो २८ नवम्बर, १९५५ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा को स्मरण होगा कि २८ नवम्बर, १९५५ को सभा की जो सर्वसम्मत राय प्रगट की गई थी, उसकी दृष्टि से कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर औपचारिक संशोधन आवश्यक है ।

इस लिये मैं संशोधित प्रस्ताव को मतदान के लिये सभा के समक्ष रखता हूं :

प्रश्न यह है :

" कि यह सभा इन रूप-भेदों के साथ कार्य मंत्रणा समिति के अठाईसवें प्रतिवेदन से, जो २८ नवम्बर, १९५५ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है——

(क) कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये तीन घंटों के स्थान पर दो घंटे दिये जायेंगे, और

(ख) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये एक घंटे के स्थान पर दो घंटे दिये जायेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम) : आपके विनिर्णय के लिये प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मैं इस विधेयक के संबंध में एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

इस मास की २१ तारीख को जो संविधान पंचम तथा षष्ठ संशोधन विधेयक इस सभा में पुरःस्थापित किये गये थे, उन के संबंध में स्वीकृत दिवस कार्यक्रम में, चालू सत्र में उन पर विचार के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था । इस का अर्थ यह हुआ कि संविधान पंचम तथा षष्ठ संशोधन विधेयकों को पारित करने से पूर्व ही सदन को सप्तम संशोधन विधेयक पारित कर देना पडेगा । यह अत्यंत ही असाधारण स्थिति है ।

मेरा दूसरा निवेदन उस प्रक्रिया के संबंध में है जिसमें यह विधेयक क्रम पत्र पर लाया गया है । यह विधेयक परसों पुरःस्थापित किया गया था और इस माननीय सभा के सदस्यों को संबंधित पत्रादि कल प्रातः ही प्राप्त हो सके हैं और उन्हें यह भी अवसर नहीं दिया गया कि वे परिचालन प्रस्ताव को भी प्रस्तुत कर सकें । श्रीमान् आप सभा के कार्य-संचालन नियम बनाने के लिये उत्तर-दायी हैं और कमसे कम मैं तो यह समझता हूं कि यह सदस्यों के अधिकारों का संक्षिप्तीकरण है और मैं इस औचित्य प्रश्न के इन दोनों पहलुओं पर आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात नहीं कि सोमवार, २८ तारीख को जब इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी तब माननीय सदस्य उपस्थित थे या नहीं ?

विधेयक

उस दिन स्वयं सदन ने पूरी कार्यविधि के संबंध में निर्णय कर लिया था । सभी इस बात से सहमत हैं कुछ समय बाद जो कार्य इस सभा के समक्ष आने वाला है उसकी दृष्टि से इस विधेयक का यथासंभव शीघ्रतापूर्वक पारित किया जाना आवश्यक है । यह १९५७ में निर्वाचन कराने के प्रश्न से संबंधित है । कार्य मंत्रणा समिति ने एक स्वर से यह राय दी थी कि यह विधेयक महत्वपूर्ण है ।

जहां तक कि संशोधनों के परिचालित किये जाने आदि के सम्बन्ध में सदस्यों के अधिकारों का प्रश्न है, यह पूर्णतया सैद्धांतिक प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य परिचालन के लिए कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मैं पूर्वसूचना का प्रतिबंध हटा कर उन्हें संतुष्ट कर सकता हूं । किसी सदस्य को उसके अधिकारों से वंचित करने का प्रश्न नहीं है । वरन सदस्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही सभा ने यह निर्णय किया था कि प्रवर समिति का प्रतिवेदन कल १, दिसम्बर को, प्रस्तुत कर दिया जाय और परसों इस पर विचार करके इसे पारित कर दिया जाय ।

डा० लंका सुन्दरम् : संविधान पंचम तथा षष्ठ संशोधन विधेयकों को पारित किये बिना ही हम संशोधन (सप्तम संशोधन) विधेयक कैसे पारित कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में विशेष दुराग्रह उचित नहीं है । विधेयकों की क्रम संख्या उनके पुरःस्थापित किये जाने के क्रम के अनुसार लगा दी जाती है । यह आवश्यक नहीं है कि विधेयक उसी क्रम से पारित किये जायें जिससे कि वे पुरःस्थापित किये गये थे । यह संभव है कि कोई विधेयक आज पुरःस्थापित किया जाय परन्तु फिर काफी समय तक उस पर विचार ही न किया जाये । इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी०, कृष्णमाचारी) : सामान्यतया साज-संवार सम्बन्धी औपचारिकतायें तृतीय वाचन के समय पुर्ण की जाती हैं । मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय सहयोगी, प्रस्तुतकर्त्ता, तृतीय वाचन के समय यह प्रस्तुत करेंगे कि इस अधिनियम का नाम संविधान (पंचम संशोधन) अधिनियम हो । मुझे इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं कि वह समय आने पर उचित व्यवस्था कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) यदि यह विधेयक अभी लिया गया तो इस पर मतदान एक और ढाई बजे के बीच में हो पायेगा । मैं आप से अनुरोध करुंगा कि आप मतदान का समय निर्धारित कर दें । कार्यक्रम के अनुसार तो यह सवा दो बजे के लगभग होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हम अब कशाघात उत्सादन विधेयक पर विचार करेंगे ।

कषाघात उत्सादन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम कशाघात उत्सादन विधेयक पर विचार कर रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन-दक्षिण) : उस दिन मैं बोल रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मुझे यह ज्ञात नहीं था । वह अपना भाषण जारी रखें ।

पंडित डी० एन० तिवारी : उस दिन जब कि इस बिल पर विचार किया जा हा था, मेरे दो मित्रों ने इसके समर्थन में एक अपराधी व्यक्ति के जीवन की व्याख्या की और एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि कोई भी कसूर, कीई भी क्राईम (अपराध) मन से नहीं किया जाता बल्कि मानसिक रोग के कारण किया जाता है । मैं मानता हूं कि बहुत से अपराध मन के न रहते हुए भी मानसिक दोष से या जिस को हम बीमारी के लक्षण कहते हैं उससे होते हैं और बहुत से अपराध लाचारी की वजह से किए जाते हैं । जैसे कोई बहुत दिनों का भूखा है और उसको खाना नहीं मिला है और वह चोरी कर लेता है, तो ऐसे अपराधों को हम लाचारी के अपराध कहते हैं । ऐसे मामलों में कोड़े की सजा देना अन्याय होगा ।

लेकिन बहुत से ऐसे अपराध हैं जो जान बूझ कर किये जाते हैं । अपराधों में बहुत से ऐसे हीनस क्राईम्स हैं, जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा, जिनकी तरफ से दृष्टि हटायी नहीं जा सकती । जैसे रेप का केस होता है । बहुत से सफेद पोश लोग जेंटिलमैन के रूप में सड़कों पर घूमते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़) : कैसे जेंटिलमैन?

पंडित डी० एन० तिवारी : जैसे आप हैं ।

इस तरह के लोग औरतों या लड़कियों से छेड़ छाड़ करते हैं । बहुत बार आपने अखबारों में देखा होगा कि लड़कियों का बाहर निरापद घूमना मुश्किल हो जाता है । अगर ऐसे अपराधियों को दो चार महीने की जेल की सजा हो जाती है तो वे बड़े आनन्द से उसे भुगत कर फिर बाहर आकर उसी अपराध को करने की कोशिश करते हैं । ऐसे अपराधों के लिए कोड़े की सजा को उठा देना मैं मुनासिब नहीं समझता । मैं समझता हूं कि खासकर रेप (बालात्कार) के लिए और इस प्रकार के लोगों के लिए जिनका मस्तिष्क इतना खराब हो गया है कि वे औरतों के साथ छेड़ छाड़ करते हैं, कोड़े की सजा कानून में जरूर होनी चाहिए । यहां पर मैं ऐसी जूलियट्स की बात नहीं कहता हूं जिनको आध दर्जन रोमि याज़ चाहिए ।

[पंडित डी० एन० तिवारी]

मेरा यही कहना है कि जिन लोगों का मैंने ऊपर जिक्र किया है उनके लिए कोड़े की सजा जरूर होनी चाहिए।

दूसरा अपराध है ब्लैक मार्केटिंग (चोर बाजारी) का। आपको याद होगा कि सन् १९४६ में जब ब्लैक मार्केटिंग बड़े जोरों पर था तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि ब्लैक मार्केटियर्स (चोर बाजार वालों) को नियरेस्ट (समीप) लटकाकर पोल से फांसी दे देनी चाहिए। उनको कोई क्वार्टर (प्रश्रय) नहीं मिलना चाहिए।

श्री कामत (होशंगाबाद) उस वक्त वह प्राइम मिनिस्टर नहीं थे।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस बारे में हम पीछे बात कर लेंगे।

तो मैं कह रहा था कि ऐसे लोग जो अनसोशियल ऐक्टिविटीज (समाज विरोधी कार्य) करते हैं और जो कि हजारों लाखों लोगों की जिन्दगी को तबाह करने के कारण बन जाते हैं, ये लोग मानसिक अस्वास्थता के कारण इन अपराधों को नहीं करते बल्कि जान बूझ कर करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के लिए कोड़े की सजा लाजिमी होनी चाहिए।

आपने देखा होगा कि कंट्रोल के जमाने में बहुत से बड़े बड़े लोग जो समाज में प्रतिष्ठित बने घूमते थे, लाखों लोगों को तबाही और बरबादी के कारण बन जाते थे। मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए केवल जेल की सजा उचित नहीं है।

तो मैंने इस सजा के लिए आपको दो तरह के केसेज़ बतलाये, एक तो रेप केसेज़ और दूसरे ब्लैक मार्केटिंग करने वाले। तीसरा एक और वर्ग इसी श्रेणी में है। ये वे लोग होते हैं जो कि अपने देश के खिलाफ विश्वासघात करते हैं और देश के दुश्मनों से मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को भी कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। खास कर लड़ाई के जमाने में हम लोगों ने देखा है कि फिफ्थ कालमिस्ट (देश द्रोही) दुश्मनों से मिलकर देश को गुलाम बनाने में सहायता करते हैं। ऐसे लोगों को भी पबलिक फ्लागिंग (सार्वजनिक स्थान पर बेंते मारना) हो तो उचित है।

यह कहना कि कोड़े की सजा बहुत कम अवसरों पर इस्तेमाल हुई है। इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमारे माननीय मंत्री जो यह विधेयक लाये हैं कि कोड़े की सजा उठा दी जाय, उसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वे इस पर पुर्नविचार करें और यदि इस समय इस बिलमें यह संशोधन करना सम्भव न हो तो भविष्य में ऐसा बिल लावें जिसमें इन तीन प्रकार के अपराधों के लिए कोड़े की सजा जायज समझी जाय और दूसरे अपराधों के लिए उसको उठा दिया या वर्जित कर दिया जाय। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है कि सारे हिन्दुस्तान में कितने अपराधों के लिए इस कोड़े की सजा का प्रयोग किया गया। लेकिन यह आंकड़ों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि जो कानून हम आज बनाने जा रहे हैं उसमें हम ऐसी धारायें जोड़ें या नहीं। मेरी राय यह है कि इन तीन प्रकार के अपराधों के लिए कोड़े की सजा होनी चाहिये और दूसरे अपराधों के लिए वर्जित होनी चाहिए।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ, मध्य) : मैं बड़े हर्ष के साथ इस बिल का स्वागत करती हूं। मेरी समझ में तो यह बिल. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि नारियां कशाघात से मुक्त हैं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : नारियों को कशाघात दण्ड नहीं दिया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट करना चाहता था कि कहीं ऐसी धारणा तो नहीं है कि नारियों को भी यह दण्ड दिया जाता है ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : मैं इस बिल का बड़े हर्ष के साथ स्वागत करती हूं । वास्तव में इस बिल को आज से पांच वर्ष पहले ही आ जाना चाहिए था । इस बिल के लक्ष्य में लिखा है कि आज संसार की सभी जातियों ने कोड़े की सज़ा को बन्द कर दिया है । सजा देने का यह रूप वास्तव में असभ्यता का प्रमाण है । आज हमारी सभ्यता का मुख्य लक्ष्य यह है कि हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करें । हमको अपराधी को सजा देने में, चाहे वह कैसा भी क्यों न हो, समाज को एक स्तर से नीचे नहीं लेजाना चाहिए । हमको तो अपराधियों में आत्म सम्मान की चेतना को जाग्रत करना चाहिए, उनमें आत्म सम्मान के भाव को उत्पन्न करना चाहिए । अगर हम उनके साथ पाशविकता का व्यवहार करेंगे, अगर हम उनके साथ जानवरों का सा व्यवहार करेंगे, तो उनका आत्म सम्मान का सदा के लिए उनके दिल से लोप हो जायेगा । समाज उनको सजा अवश्य दे परन्तु वह सजा ऐसी होनी चाहिए कि जो मानव जाति के एक सदस्य के योग्य हो । वह सजा पैशाचिक नहीं होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय सजा तीन लक्ष्यों से दी जाती है । एकातो सुधार करने का लक्ष्य है । दूसरे हम अपराधी को और दूसरे लोगों को सबक देने के लिए भी सजा देते हैं उस सजा का लक्ष्य यह होता है कि उस अपराधी को सबक हो जाय ताकि आयन्दा (आगे) वैसा अपराध न करे, और दूसरे लोग भी उससे सबक हासिल करें । तीसरे समाज बदला लेने के लिए भी अपराधी को सजा देता है, पर इसका जो सुधारक लक्ष्य है, वही लक्ष्य आज सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उत्तम, ठीक और सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है । यदि हम बेंत लगाने को इस कसौटी पर रख कर देखें तो हमको तुरन्त ही इस प्रकार का दंड देने की प्रथा का एक मूलहीन रूप और उसकी बुराई हमें बिलकुल अच्छी तरह मालूम हो जायगी, क्योंकि कोई भी अपराधी जिसको कि बेंत लगाये जाते हैं, वह बेंत खाने के बाद सुधार के समीप जरा भी नहीं पहुंचता, उलटे वह कोड़े खाने के बाद और भी कट्टर और कठोर प्रकार का एक एंटी सोशल (समाज विरोधी) व्यक्ति बन जाता है ।

हमने आज पशुओं को मारना बंद कर दिया है और जो लोग पशुओं को मारते हैं उनके लिए हमने एक सोसाइटी; संस्था "प्रीवेंशन आफ क्रुएलिटी टु एनिमल्स" (पशुओं के प्रति अत्याचार निवारण) बनाई है और जिसके कि द्वारा जो कोई पशुओं को बहुत मारता पीटता है, उसको उस अपराध के लिए सजा भी दी जाती है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यदि पागल हाथी हो तो उसे गोली मार दी जाती है । तब अत्याचार का प्रश्न नहीं होता ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : परन्तु जैसा कि उन्होंने कहा कि पबलिक विहिंग (खुले आम कशाघात) एक इंसान पर करें, तो यह कितनी नीचता का काम होगा और यह बिलकुल मनुष्यता और इंसानियत से बरी होगा । यही बात छोटे बालक और बालिकाओं के लिए भी लागू होती है । यह देखने में आया है कि बालकों को यदि सजा देकर हम उन्हें सुधारना चाहें तो वह सुधरते नहीं हैं, बल्कि मार खाने से वह और भी ज्यादा हठी, जिद्दी, निडर और बेहया हो जाते हैं और इसका एक सच्चा उदाहरण मैं आपको दे सकती हूं । हमारी एक मित्र बहन थीं । उनके एक बच्चा था । उसको यह आदत थी कि वह अपनी माता के कैश बाक्स में से १, २ पैसे निकाल लिया करता था और उस को इस कारण काफी मार पड़ती थी, परन्तु उसकी वह बुरी आदत छुडाने के लिए उसको प्यार से कभी नहीं समझाया गया ।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

वह छोटा बच्चा यह नहीं समझता था कि माता के १, २ पैसे ले लेने में क्या दोष है। जब बच्चा ८, ९ वर्ष का हुआ तब बजाय १, २ पैसे के उसने मां के कैश बाक्स में से २ आने, ४ आने, और ८ आने निकालने शुरू किये। माता ने उसको इस बुरी तरह मारा कि वह बच्चा सहम गया और सहम कर वह बुरी तरह सिसक २ कर रोया, परन्तु उसका नतीजा उलटा हुआ और वह और भी ढीठ हो गया और एक दिन अवसर पाकर उसने अपनी माता के कैश बाक्स में से ५ रुपये का नोट निकाल लिया और उसको पतंगें, डोर और चर्खी आदि खरीद लाया। जब माता को पता लगा तो माता ने बुला कर उस लड़के को बुरी तरह पीटा और उसके सिर पर खूब जोर जोर से मुक्के लगाये, परन्तु वह बच्चा अब तक इतना ढीठ हो चला था कि न तो वह रोया न वहां से हटा बल्कि चुपचाप खड़ा मार खाता रहा और जब पिट चुका तो उसने एक ठंडी सांस लेकर अपने सिर पर दोनों हाथ रख कर यह कहा कि "मुक्क पड़ो जस व्रज समाना"। उसकी मां प्रतिदिन रामायण का पाठ करती थी उसमें एक चौपाई थी, "मुक्क पड़ो जस व्रज समाना" उस बालक ने उसी को दुहरा दिया और माता को भी ऐसा सुन कर मुस्कराहट आ गई। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार मारने से कोई नहीं सुधरता।

किसी देश और समाज की सभ्यता का माप इस बात से जाना जाता है कि इस देश के जो कैदी हैं, बंदी हैं और अपराधी हैं, उनके साथ किस तरह का वर्ताव किया जाता है उस कसौटी पर भी हम अपने देश को अत्यंत सभ्य देश प्रमाणित करें यह हमारी इच्छा है। और यह सन्तोष का विषय है कि हमारे देश में स्वतन्त्रता आने के पश्चात् सरकार का ध्यान अपने बंदीगृहों को सुधारने की ओर गया है और जेलों को सुधारगृह बनाने की चेष्टा में वह लगी है। राज्य सरकारें भी इस विषय में गाफिल नहीं हैं और कुछ ने अपने वहां इस दिशा में कुछ कदम उठाये भी हैं और अपने वहां के बंदीगृहों में काफी सुधार किये हैं। विशेषकर उत्तरप्रदेश की सरकार तो इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गयी है और वह स्वागत योग्य कार्य है। मैं आशा और विश्वास करती हूं कि सरकार यह जो विधेयक हाउस के सामने ला रही है, वह हमारे देश में एक आवश्यक सुधार का कार्य पूरा करेगा और इस नाते इस बिल का पास होना अति आवश्यक है और मैं उसके साथ अपनी पूरी सहमति प्रकट करती हूं।

श्रीमती इला पाल चौधरी (नवद्वीप) : यह एक अच्छी बात है कि स्वतंत्र भारत में हमने इसका अन्त करने की बात सोची है। हमारा विचार है कि इस प्रकार का अधिनियम इतने दिनों तक स्वतंत्र भारत की संविधि पुस्तक में नहीं रहना चाहिये था और इसका अन्त काफी दिन पहले ही हो जाना चाहिये था।

जब हम स्वयं काशाघात के संबंध में सोचते हैं, उस समय यदि आप अपनी जेलों की ओर देखें तो समझ पायेंगे कि इसका भयावह रूप क्या है और यह बन्दियों के लिये क्या कर देता है। जो लोग जेल हो आये हैं उन्हें जेलों में रखे कोड़ों और डण्डों की पंक्तियां याद होंगी। राजनीतिक बंदियों पर कशाघात का उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था जितना कि साधारण अपराधों पर पड़ता था। इस दंड की कठोर मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है। इसीलिये मुझे प्रसन्नता है कि इसका अन्त किया जा रहा है।

हमारे संविधान में भी कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को आत्म सम्मान प्रदान किया जाय, यह उससे छीना न जाय। अपराध करने का आवश्यक परिणाम यह नहीं है कि किसी की नागरिकता ही छीन ली जाय। वह तब भी भारत का नागरिक रहेगा और

दण्ड इस प्रकार का होना चाहिये जो उसे सुधार सके, उस के मस्तिष्क को दूषित न कर दे । यह भी देखा गया है कि अधिक मानवीय व्यवहार का शीघ्र और अच्छा प्रभाव पडता है । इसीलिये मुझे आशा है कि दण्ड देने के लिये वकीलों और न्यायाधीशों की अपेक्षा अधिक से अधिक डाक्टरों और कलाकारों को बुलाया जायगा क्योंकि वेही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपराधीयों के मनों में बैठ कर उन का उचित उपचार कर सकते हैं ।

जब उस दिन मेरे सामने बैठी हुई मेरी एक माननीय मित्र एक महिला सदस्या ने यह कहा था कि छडी का उपयोग न करने से बच्चे बिगड़ते हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ था । उसमें और जेलों में दिये जाने वाले कशाघात के दण्ड में तुलना ही क्या हो सकती है ? यह बात तो केवल उन्हीं बच्चों के बारे में कही जा सकती है जिनके लिये घर का प्रेममय वातावरण है । कभी कभी पड़ने वाले चांटों और जेल में पड़ने वाले कोड़ों में आकाश पाताल का अंतर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्या अब भी इस कहावत का अनुमोदन करती हैं कि "छड़ी का प्रयोग न करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं ।"

श्रीमती इला पाल चौधरी : नहीं । अधुनिक मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यदि माता-पिता भी बच्चों को मारते पीटते हैं तो यह उनकी गलती है, इसे रोका जाना चाहिये । जलों में भी जो कुछ होता है उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रविधिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित जो लोग भारत आये थे और यहां की जेलों को देखा था तो उनमें से एक ने बताया था कि दरिद्रता के होते हुए भी अभ्यस्त तथा निम्न स्तर के अपराधियों का यहां प्रायः अभाव था उन्होंने कहा था कि भारतीय जेलों के अपराधी स्वभाव के बहुत अच्छे थे । अतः हमें इस मानवीय तथ्य में और अधिक सुधार करना चाहिये । यह विधेयक इसी के संबंध में है और मुझ आशा है कि जेलों की बहुत सी बुराइयां इससे दूर होजायेंगी । न केवल कशाघात ही समाप्त कर दिया जायेगा वरन् इसके साथ ही पुलिस पर भी प्रतिबन्ध लगवाया जायेगा जिससे कि वह कोई ऐसा कार्य न कर सके जो कशाघात समाप्त करने के विरोध में हो ।

इटली के एक विधिवेत्ता, बेल्टानी स्कालियो, ने कहा है कि "दण्ड देने से पूर्व व्यक्ति का अध्ययन करो ।" यह बहुत अच्छा सिद्धान्त है और सदैव ऐसा किया भी जाना चाहिये । वातावरण का अध्ययन भी किया जाना चाहिये । जिन कारणों से अपराध किये जाते हैं यदि उन्हें समाप्त कर दिया जाय तो जेलों की दशा ऐसी नहीं होगी जैसी कि स्वतंत्र भारत में इस समय है ।

मैं विधेयक का हृदय से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही प्रगति की जायेगी ।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : महिला सदस्यों का मत यह है कि यह उपबंध बहुत अच्छा है । मैं यह नहीं चाहता कि इस सम्बन्ध में कुछ गलत धारणा बने । इस में किसी भी राजनीतिक विचार को स्थान नहीं दिया जाना चाहिये । मेरे मस्तिष्क में यह बात क्षण भर के लिये भी नहीं आती कि १९०९ का कशाघात अधिनियम राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित था । अतः इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण उद्देश्यात्मक होना चाहिये ।

इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ? यह विधेयक दण्ड के तरीकों में से कशाघात को समाप्त कर देना चाहता है । एक वकील और अपराधिक न्याय-शास्त्र के संबंध में कुछ ज्ञान रखने की हैसियत से मैं तो यह कहूंगा कि यह महान परिवर्तन है जिस पर भली प्रकार से सोच-समझ कर कार्य करना

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

चाहिये । कहा यह जाता है कि कशाघात एक बर्बरतापूर्ण दण्ड है । किन्तु वास्तव में यह अपनी अपनी सम्मति का प्रश्न है । मैं समझता हूं कि उन महिला सदस्यों ने जिन्होंने इस विधान का समर्थन किया है, न तो इस अधिनियम के उपबंधों का और न दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन दिये गये प्रतिबन्धों का ही अध्ययन किया है । कशाघात के दण्ड पर बहुत से प्रतिबन्ध हैं । केवल प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी ही कशाघात का दण्ड दे सकता है और ४५ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को यह दण्ड नहीं दिया जा सकता है । वेत्राघातों की संख्या पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि सभी सभ्य देशों ने कशाघात को बन्द कर दिया है । विद्यमान अधिनियम के अनुसार और अत्यधिक सभ्य देशों में कशाघात का दण्ड उन अपराधों में दिया जाता है जिनमें किसी विशेष प्रकार की क्रूरता या पतितावस्था दिखाई गई हो । कशाघात का दण्ड पूर्ण नयायिक विवेक के द्वारा दिया जाता है । और उसको न्यायिक रूप से लागू किया जाता है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य दाण्डिक संहिताओं में जो थोड़ा थोड़ा करके और बिना किसी क्रम के जो संशोधन किये जा रहे है उन का मैं विरोध करता हूं । जब कि एक विधि आयोग है तो यह कार्य उसे क्यों नहीं सौंपा जाता है ? मृत्यु दण्ड का विरोध समस्त जनता करती है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे समाप्त कर दिया जाये । मैं स्वयं फांसी के दंड को बर्बरतापूर्ण समझता हूं किन्तु क्या सरकार इसे समाप्त करना चाहेगी ? अतः कुछ सिद्धान्त बहुत दिनों से चले आ रहे हैं जिन के आधार पर दाण्डिक न्याय किया जाता है । अपराध करने वाले को ऐसा दण्ड मिलना चाहिये जो औरों के लिये एक उदाहरण का काम दे । यदि आप कशाघात को समाप्त करने जा रहे हैं तो कठोर कारावास दंड को भी क्यों समाप्त नहीं करते हैं ? इसमें कुछ अंशों का ही अन्तर है । मैं कशाघात को बर्बता नहीं समझता हूं । बर्बता तो इसे तब समझा जायेगा जबकि बिना सोचे विचारे यह दंड दिया जाये । कशाघात का दण्ड तो डकैती, हिंसा अथवा बलात्कार जैसे घोर अपराधों में दिया जाता है । मैं तो चाहूंगा कि खाद्यानों की चोर बाजारी करने वालों को भी कशाघात का दण्ड दिया जाये । हम भ्रमवश यह महसूस करते हैं कि कशाघात अहिंसा के सिद्धान्त का उल्लंघन करता है । यदि ऐसा है तो फिर फांसी का दण्ड क्यों दिया जाता है ? कठोर कारावास दण्ड को भी फिर तो समाप्त कर दिया जाना चाहिये । उसे क्यों नहीं समाप्त करते हैं ?

मैं माननीय गृहकार्य उप मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें क्योंकि इसको भली प्रकार सोच विचार कर प्रस्तुत नहीं किया गया है । दूसरी बात यह है कि क्या यह तरुणों के लिये अपमानजनक है ? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं समझता । तरुणों के लिये कशाघात तो सुधारक दण्ड है । अभी मैंने एक बालक की ओर से वकालत की थी जिसका अपराध यह था कि वह एक बालिका को चाकू दिखा कर उसका रास्ता रोक रहा था । उसको तीन वर्ष का कारावास दण्ड दिया गया । यह कारावास दण्ड उसे एक अभ्यस्त अपराधी बना देगा । बोर्सटल संस्थायें तो और भी कठोर और अभ्यस्त अपराधी पैदा कर रही है क्योंकि इस देश में उनका संचालन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है । क्या एक तरुण को तीन वर्ष का कारावास दण्ड देने से अच्छा उसके १५ कोड़े लगा देना नहीं है क्योंकि जेल में और अभ्यस्त अपराधियों के साथ रह कर वह और भी बदमाश हो जायगा ।

राजनीतिक बन्दियों से इस प्रकार के दण्ड का कोई संबंध नहीं है। चूंकि कारावास से कशाघात का दण्ड अच्छा है, इस कारण इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान पूर्वक विचार करे। यदि यह विधेयक अभी पारित न हुआ तो कोई हानि नहीं होगी। अतः या तो गृह-कार्य मंत्री इसे वापस ले लें या फिर विधि आयोग को सौंप दें।

श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला-पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व) : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री को बधाई देता हूं। मृत्यु दण्ड को छोड़कर इस विधेयक द्वारा समस्त बर्बता-पूर्ण दण्डों का अन्त हो जायेगा।

इस देश में कशाघात का प्रादुर्भाव अंगरेजों के समय से हुआ था। जेलों में स्थान की कमी होने पर कोड़े लगाने का दण्ड देना आरम्भ किया गया था जिससे कि जेलों में कम भीड़ रहे। अंगरेज शासकों का कहना यह था कि छोटे-छोटे अपराधों के अपराधियों को जेल में नहीं रखा जा सकता है या उस समय भी कई बार इसे समाप्त कर के पुनः लागू किया गया था। सन् १८३४ में लार्ड विलियम बेंटिंक ने इसे समाप्त कर दिया था। जेल अनुशासन समिति की यह राय थी कि जेलों में अनुशासन रखने के लिये कशाघात का रहना आवश्यक था। विधि आयोग ने इस दण्ड के न रखे जाने का कारण यह बताया था कि यह दण्ड केवल कुछ ही अपराधों के लिये उचित था किन्तु इसका होना अनिवार्य नहीं था। यह अमानवीय भी था इस कारण देश के विभिन्न लोगों में इसे समाप्त कर दिया गया था।

प्रवर समिति ने कशाघात के दण्ड को रखने की सिफारिश की थी किन्तु प्रशासन ने इसे स्वीकार नहीं किया था। तत्पश्चात स्थानीय पदाधिकारियों के पक्ष में होने के कारण इसे स्वीकार करना पड़ा था। इंग्लिस्तान में १९३७ में नियुक्त की गई एक विभागीय समिति ने कशाघात के प्रश्न पर यह कहा था कि कशाघात के दण्ड की व्यवस्था अस्ट्रिया, बेलजियम, चेकोस्लावेकिया, डेनामार्क, फ्रांस, इटली, आदि में नहीं है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका के ३४ राज्यों में कशाघात के दण्ड की व्यवस्था नहीं है। कुछ राज्यों में जेलों में अनुशासन रखने के लिये कशाघात का सहारा लेना पड़ा था। इस समिति ने ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के देशों में पता लगा कर यह बताया था कि आस्ट्रेलिया, कवीन्सलैण्ड, तस्मानिया, कनाडा और न्यूजीलण्ड आदि में यह दण्ड नहीं दिया जाता है। इंग्लिस्तान में सन् १९४८ के अधिनियम द्वारा कशाघात समाप्त कर दिया गया था और १९३७ से अन्य देशों में भी इसे समाप्त कर दिया गया है। इंग्लिस्तान की विभागीय समिति का कहना है कि समस्त उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् हम कोई भी ऐसी बात ज्ञात करने में असमर्थ रहे हैं जिससे कि यह प्रतीत हो कि कशाघात के अधिकार की प्राप्ति से उन अपराधों में कमी हुई है जिनके लिये यह दण्ड दिया गया था। समिति ने अग्रेतर यह कहा है कि शारीरिक दण्ड से क्रोध और ऐसी कटु भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक है जिससे कि अपराधी और भी अधिक समाज विरोधी बन जाये और अधिक अपराध करने लगे।

तरुण न्यायालय तालिका के सदस्य श्री लियो पेज का कहना है कि उनकी दृष्टि में बालक को शारीरिक दण्ड देने से उसकी मनोवृत्ति में स्थायी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समाजिक विज्ञान विश्वकोश में उल्लेख है . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : बात केवल यह है कि क्या हम अपने बालकों पर कशाघात करेंगे यदि हम अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं तो दूसरों की रक्षा क्यों न करें ? विधेयक के पक्ष में मेरा यह कहना है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : शरिरिक दण्ड के विरोध में अत्याधिक सारगर्भित तर्क यह है कि जिस दण्ड को न्यायाधीशयक न्याया-धिकारी केवल पर्याप्त या हल्का समझता है उसे दण्ड देने वालों के द्वारा पाशविक बनाया

[श्री एम० एल० अग्रवाल]

जा सकता है । अन्त में मैं मंत्री महोदय के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : इस प्रकार का विधेयक पारित करने से पूर्व हमें इस पर भली भांति सोच विचार लेना चाहिये । मेरे विचार से तो दो वर्ष के कठोर कारावास दण्ड की अपेक्षा छः कोड़े लगाना कहीं अच्छा है । यदि उन्हें करावास दंड दिया गया तो वे और भी पक्के अपराधी बन जायेंगे ।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार ने विधि आयोग की स्थापना किस लिये की है । इसमें उच्च न्यायालयों के ख्यातिप्राप्त भूतपूर्व न्यायाधीश और देश के विभिन्न भागों के प्रसिद्ध वकील हैं । जब कि गृह-कार्य मंत्री डा० काटजू दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे तो हम ने यह बताया था कि किस प्रकार के समुचित दण्ड की व्यसस्था की जानी चाहिये । दिल्ली की जेल के बारे में मैं जानता हूं । एक व्यक्ति को एकान्त कोठरी में पांच मास से अधिक समय तक रखा गया था और केवल घंटे-आध घंटे के लिये ही उसे बाहर निकाला जाता था । ऐसा करना क्या कशाघात से अधिक बर्बरता पूर्ण नहीं है इस के अतिरिक्त क्या हम फांसी या मृत्यु दण्ड को समाप्त कर रहे हैं? अतः मनोवैज्ञानिक तथा सुधार करने के दृष्टिकोण से भी हमें सोचना चाहिये कि क्या यह चीज़ ठीक है । देश में आज क्या हो रहा है--चारों ओर कोई एक राज्य बनाने के लिये चिल्ला रहा है तो दूसरी ओर कुछ लोग एक दूसरा राज्य बनाने की चिन्ता में हैं । आज इस प्रकार के पागलपन को समाप्त करने के लिये कशाघात का दण्ड दिया जाना चाहिये ।

बंगाल के प्रसिद्ध वकील श्री जे० एम० सेन गुप्ता ने कहा था कि कशाघात का दण्ड केवल कुछ ही अपराधों में दिया जाना चाहिये । महिला सदस्यायें यह समझती हैं कि वह दण्ड सभी अपराधों को दिया जाता है । कशाघात अधिनियम में कुछ ही प्रकार के अपराधों के लिये इसका उपबन्ध किया गया है । कशाघात अधिनियम, १९०९ की धारा ४ के अधीन यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति बलत्कार करने के लिये प्रोत्साहन देता है या बलात्कार करता है तो उसे कशाघात का दण्ड दिया जा सकता है । श्री सेन गुप्ता का कहना था कि अविभाजित बंगाल के कुछ पूर्वी जिलों में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार आदि कई प्रकार के भयानक अपराध किये जा रहे थे और इस लिये कशाघात के दंड का रखा जाना आवश्यक था । उन्होंने कहा था "कि हमें सहानभूति और भावुकता के वश हो कर कशाघात को समाप्त नहीं कर देना चाहिये इसे अभी जारी रखना चाहिये ।"

धारा ४ में लिखा है कि बलात्कार, धारा ३७७ के अन्तर्गत आने वाले अपराधों तथा हिंसात्मक डकैतियों के मामलों में कशाघात का प्रयोक किया जा सकता है । मेरे मित्र श्री एन्थनी ने बताया है कि केवल अनुभवी दण्डाधिकारी तथा प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी ही इस दंड को दे सकते हैं । अतः यह कहना कि राजनैतिक अपराधियों को भी कोड़े लगाये जा सकते हैं उपहासास्पद है ।

श्रीमान् आप जानते हैं कि बंगाल में मुजफरपुर में मुख्य दण्डाधिकारी श्री किंग्सफोर्ड पर पहला बम फैंका गया था क्योंकि उन्होंने 'बन्दे मातरम्' पुकारने वाले एक लड़के को कशाघात का दण्ड दिया था । किन्तु क्या आप समझते हैं कि गणतन्त्र भारत में कोई मुख्य दण्डाधिकारी ऐसी बातें करेगा और उसका ऐसा करना पूर्णतया वैध होगा ? मेरा यह निवेदन है कि यदि आवश्यकता हो तो कशाघात अधिनियम में संशोधन कर लिया जाये किन्तु इस को समाप्त न किया जाये ।

पंडित पन्त ने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा है कि जहां कहीं भी इसे जारी रखा गया है वहां इसे बड़े घृणित अपराधों तक ही सीमित रखा गया है । अतः क्या यहां भी इसे ऐसे ही घृणित अपराधों के लिये नहीं रखा जा सकता है ? अतः मैं कहूंगा कि इस प्रकार शीघ्रता से बनाये गये विधान पर विचार करना युक्ति युक्त नहीं है । इन विषयों को विधि आयोग को सौंप देना चाहिये । हमने माननीय मंत्री से इस सम्बन्ध में और भी बहुत सी बातें कहीं थीं जैसे कि इस दण्ड का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा, क्या प्राणदण्ड समाप्त कर दिया जाना चाहिये अथवा नहीं आदि । इसलिये विधि आयोग नियुक्त किया गया था । फिर अब इस प्रकार का विधेयक क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है ? उसे न्यायाधीशों, दण्डाधिकारियों विधिजीवी संस्थाओं से परामर्श करके अपना निर्णय देने दीजिये ।

वास्तव में कशाघात के विषय में अंगरेजी सरकार ने एक संकल्प पास किया था जिस में कहा गया था कि "अनेक प्रान्तों में जिस सीमा तक यह दण्ड दिया जाता है उसका स्थानीय सरकारों द्वारा भली भांति निरीक्षण किया जाना चाहिये", तथा अग्रेतर उस में यह भी कहा गया था कि, कुछ "ऐसे अपराध हैं जो इसी प्रकार की दण्ड व्यवस्था से ठीक किये जा सकते हैं ।" उस समय इस देश में सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने इस दण्ड के सम्बन्ध में कुछ परिजाय भी रखे थे, क्या कोई माननीय सदस्य, अथवा उप मंत्री ऐसा उदाहरण दे सकता है जब कि दण्डाधिकारियों ने इस शक्ति का दुरुपयोग किया हो जहां उन्होंने अंधाधुंध लोगों पर कशाघात किया हो ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जेल में अनेक राजनैतिक बन्दियों पर कशाघात किया गया था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या रक्षा मन्त्री ने सेना में कशाघात बन्द कर दिया है ? वास्तव में कुछ कशाघात के बिना सेना कार्य ही नहीं कर सकती है । यदि हेंरो और इटन में कोड़े न लगाये जाते होते तो आपको चर्चल और वैलिंगटन जैसे व्यक्ति नहीं प्राप्त हो सकते थे । इंग्लैंड के बड़े बड़े लोगों का कथन है कि इससे उन्हें बडा लाभ हुआ है । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के खण्डशः विधान के स्थान पर पहले विधि आयोग को अपना निश्चित मत देने का अवसर दिया जाये फिर जब एक सुविच रित योजना हमारे सामने रखी जायेगी हम उस पर विचार विमर्श करेंगे ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मुझे श्री एन्थनी और श्री चटर्जी जैसे मित्रों से विरोध की आशा नहीं थी और न ही एक महिला सदस्य से । इन तीन चार माननीय सदस्यों के अतिरिक्त सदन ने भारत के ढांचे में एक नये परिवर्तन के रूप में इस विधेयक का स्वागत ही किया है । इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं ।

मेरे माननीय मित्रों ने जो प्रश्न उठाया है वह यह है कि क्या यह विधेयक हितकर है तथा क्या इसे संविधि पुस्तक में रहने दिया जाना चाहिये ? मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह निस्सन्देह एक बर्बर उपबन्ध है । इसके लिये सरकार को विधि आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विषय बहुत ही स्पष्ट है । मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि जहां तक इंग्लैंड और अमरीका का सम्बन्ध है उन्होंने इसे पहले ही समाप्त कर दिया है । इंग्लैंड ने कशाघात को १९४८ से पूर्णतया समाप्त कर दिया है । जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है एक छोटे से राज्य के अतिरिक्त शेष ४७ राज्यों में कशाघात को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है ?

श्री त्यागी : किन्तु उनकी विधान सभाओं में नहीं ।

श्री कामत : हमारे नये मित्रों, रूस और चीन, की क्या अवस्था है ?

श्री दातार : जहां तक रूस का सम्बन्ध है मैं अपने माननीय मित्र को रूस के एक महान व्यक्ति डास्टोवस्की का मत बताता हूं । वह कशाघात को अपराधी की प्रवृत्ति का बिल्कुल गलत समझा जाना समझता था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का उन्होंने उल्लेख किया है वह लेनिन, स्टालिन और बुल्गानिन से पहले के युग का है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिये ।

श्री दातार : वह इस बात को कि अतिशय शरीर दुःख का भय उसकी दुर्भावना अथवा आवेश को प्रगट होने से रोक सकेगा अपराधी की प्रकृति का गलत अध्ययन समझता था ।

अब मैं माननीय सदस्य को १८३८ में प्रगट किया गया डा० बार्निस के मत को पढ़कर सुनाता हूं: "मैं किसी भी ऐसे अपराधी को नहीं जानता हूं जिसे कशाघात से लाभ हुआ हो । मार खाया हुआ व्यक्ति और भी दुसहः प्रकृति का बन जाता है ।"

हमारे पास मानसिक विज्ञान के भारतीय अधिकारियों के मत भी हैं । अपराध की वृत्ति को एक रोग समझना चाहिये और यदि इसे रोग समझा जाये तो उसका उपचार भी होना चाहिये । अतः यदि हम इस सिद्धान्त विशेष को मान लेते हैं तो केवल प्रौढ़ व्यक्तियों के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु अपराधी बालकों के सम्बन्ध में भी कशाघात को हमें समाप्त कर देना होगा ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): प्राण-दण्ड भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

श्री दातार : मैं यहां एक बड़े मानसिक रोग विशेषज्ञ की सम्मति उद्धृत करता हूं । उसका कहना है : "कशाघात बालकों को अपराधी और घोर अपराधी बना देता है । यह न तो निरोधात्मक है, न सुधारक है और न पुनर्संस्थापक है । भावुक बालकों में यह समान तथा स्वयं उनके विरुद्ध तीव्र विरोध की भावना भर देता है ।"

अब अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह घृणित अपराधों के लिये नितान्त आवश्यक है । सभा में इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मैंने सभा को बताया था कि ऐसे बहुत ही कम अपराध थे जिन में कशाघात का प्रयोग किया जाता था अब ऐसी परिस्थितियों में प्रश्न यह है कि क्या कशाघात को जारी रखा जाये अथवा नहीं । सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करके इस परिणाम पर पहुंची है कि कशाघात सर्वथा अनावश्यक है । क्योंकि एक ओर जहां तक अपराधों का सम्बन्ध है इसका कोई भयोत्पादक प्रभाव नहीं पड़ता है, और दूसरी ओर दण्ड पाने वाले व्यक्ति और भी कठोर हो जायेगा, वह अमानव बन जायेगा और उसका चरित्र बड़ा बुरा और दुसहः हो जायेगा । इसी कारण मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है और उन्हें इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई दी है ।

इस विधेयक के पीछे किसी प्रकार की मतभ्रांति नहीं है । इसके पीछे कोई दयालुता की भावना भी नहीं है परन्तु आधुनिक समाज में यह भावना फैली हुई है कि यदि नितान्त आवश्यक मामलों में भी कशाघात का आश्रय लिया गया तो यह उपचार स्वयं रोग से भी अधिक भयानक सिद्ध होगा । यही कारण है कि सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि कशाघात को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये । जिस क्षण भी यह विधेयक विधि बन जायेगा उसी समय से कोई भी दण्डाधिकारी कशाघात का दण्ड नहीं दे सकेगा

इस विधेयक के सम्बन्ध में दो प्रश्न उठाये गये थे । पहला यह कि क्या हम इस विधेयक के द्वारा विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित कशाघात अधिनियम को समाप्त कर रहे हैं । मैं ने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह केवल १९०९ के कशाघात अधिनियम को समाप्त करता है जो कि एक केन्द्रीय विधान था । साथ ही यह दण्ड प्रक्रिया संहिता से भी कशाघात को हटाना चाहता है । संसद् इतना ही कर सकती है क्योंकि जेल तथा यह प्रश्न राज्य सरकारों का विषय है । हम राज्य सरकारों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे भी इसी भांति आगे बढ़ें और अभी तक उन्होंने कशाघात के सम्बन्ध में जो भी विभिन्न विधान बनाये हैं उन्हें सामाप्त कर दें ।

इसके पश्चात् मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने से कुछ भी नहीं होगा । उस दिन माननीय महिला सदस्य ने बताया था कि अपराध बढ़ रहे हैं । अच्छा होता कि उन्होंने यह ज्ञात किया होता कि अपराधों की वर्तमान स्थिति क्या है ? अभी कुछ ही दिन पहले **भारत में १९५४ में अपराध**' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य): उस पुस्तक की एक प्रति सदस्यों में परिचालित की जानी चाहिये ।

श्री दातार : इसकी एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में है । जहां तक उसमें दिये हुये आंकड़ों का सम्बन्ध है, मैं इस सभा को बताना चाहूंगा कि १९४९ में हस्तक्षेप्य अपराधों की संख्या ६,५४,०१९ थी वहां १९५४ में यह एक लाख कम हो गई अर्थात् लगभग ५,५६,००० रह गई, और यह १९५३ की संख्या से लगभग ४५,००० कम थी । इससे विदित होता है कि अपराधों की संख्या नहीं बढ़ी है, अपितु जैसा कि यह आंकड़े बताते हैं, उनकी संख्या निरन्तर घटती जा रही है । अतः मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि यदि इस विधेयक को पारित कर दिया जायेगा और कशाघात को पूर्णतया समाप्त कर दिया जायेगा तो कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री गिडवानी (थाना) : जेलों में दिये जाने वाले कशाघात दंड के विषय में क्या होगा ?

श्री दातार : जहां तक जेलों में कशाघात का सम्बन्ध है, मैं ने पहले ही स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया है । जेल राज्यों का विषय है अतः इस प्रश्न पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ही विचार किया जाना है । मुझे दृढ़ निश्चय है कि जेलों में भी कशाघात हितकर नहीं है । इसका विपरीत प्रभाव ही पड़ता है । मैं अपने माननीय मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे जा कर देखें कि जेलों में क्या हो रहा है । मैं स्वयं तीन वर्ष तक जेल में रहा हूं । मुझे विदित है कि अनेक व्यक्ति कोड़े लगाने के बाद और कठोर अपराधी बन जाते हैं । यह बड़ी लज्जा की बात थी कि स्वतन्त्रता संघर्ष के समय में बहुत से भारतीयों को कोड़े लगाये गये थे । मुझे यह जान कर बहुत दुःख हुआ था कि कुछ माननीय संसद् सदस्यों को भी पहले कोड़े लगाये गये थे ।

श्री त्यागी : संसद् में श्री सत्यनारायण सिंह हम पर प्रति 'दिन विष' का प्रयोग करते हैं ।

श्री दातार : इसके अतिरिक्त यह प्रश्न उठता है कि क्या सामान्य अपराधियों को कशाघात का दण्ड देना आवश्यक है और क्या इसका कोई भयोत्पादक भाव होगा ? खूब विचार करने और पूर्ण अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् सरकार का यह मत है कि कशाघात का कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अतः अन्य सब बातों के अतिरिक्त अब केवल यह छोटा सा प्रश्न रह जाता है कि क्या अब भी ऐसे बर्बर उपबन्ध को संविधि पुस्तक पर रहने दिया जाये अथवा इसको विधि आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल ही हटा दिया जाये ।

[श्री दातार]

अन्त में मुझे प्रसन्नता है कि इस सभा ने कुछ अपवादों को छोड़ कर, इस विधेयक का बड़ा अच्छा स्वागत किया है, और मुझे विश्वास है कि १९०९ का कशाघात अधिनियम अब केवल अतीत की स्मृति रह जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कशाघात अधिनियम, १९०९, का निरसन करके और दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में और आगे संशोधन करके कशाघात को दंड के रूप में समाप्त करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रुप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि कोई भी संशोधन नहीं प्रस्तुत किया गया है अतः मैं सभी खंडों को मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री कामत : मैं खण्ड ३ पर बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समय समाप्त हो चुका है । मैं मुखबन्ध लगाता हूं क्योंकि हमने पहले ही आवंटित समय से १५ मिनट अधिक ले लिये हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खड १ से ४, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ४, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जायेगी । मतदान ३।। बजे होगा ।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : "मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को इन २१ सदस्यों—डा० कैलाश नाथ काटजू, श्री कोथा रघुरामैया, श्री देबेश्वर शर्मा, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री नरेन्द्र पी० नथवानी, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री श्रीमन्नारायण, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री वीर किशोर रे, श्री दीवान चन्द शर्मा, पडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, डा० सुशील रंजन चटर्जी, श्री के० टी० अच्युतन, स्वामी रामानन्द तीर्थ, श्री शिवराम रंगो राने, श्री अशोक मेहता, श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री फ्रैंक एन्थनी, डा० लंकासुन्दरम् और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे १ दिसम्बर, १९५५ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है । विधेयक की प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों को पहले ही भेजी जा चुकी हैं । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस विधेयक से माननीय सदस्यों को आश्चर्य नहीं होना चाहिये क्योंकि इस विधेयक का विषय संविधान

(पंचम संशोधन) विधेयक का, जिसे मैंने इस सत्र के प्रथम दिवस संविधान (षष्ट संशोधन) विधेयक के साथ इस सदन में पुरःस्थापित किया था एक अंग था ।

यदि आप इस विधेयक के उपबन्धों की तुलना संविधान (पंचम संशोधन) विधेयक के तत्सम्बन्धी खंडों से करें, तो आप देखेंगे कि दोनों प्रायः एक से ही हैं । जो कुछ प्रस्तावित किया गया है वह केवल इतना ही है कि— संविधान के तीसरे अनुच्छेद में उल्लिखित उद्देश्य के लिये जब कोई विधेयक तैयार किया जाये तब उसके पुरःस्थापन के लिये सम्बन्धित राज्यों की विधान सभाओं की सम्मति प्राप्त होने तक ठहरना आवश्यक नहीं होगा । यदि आप अनुच्छेद तीन के वर्तमान परन्तुक से उस परन्तुक को, जिसे उसके स्थान पर रखे जाने का प्रस्ताव है, तुलना करें तो आप देखेंगे कि पहला उपबन्ध यह था कि विधेयक के पुरःस्थापित करने विधेयक प्रताव और तद्विषयक उपबन्ध के राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चित किये जाने इनके सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों की विधान सभाओं की सम्मति ज्ञात किये जाने से पूर्व विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता था । उसके स्थान पर अब यह सुझाव दिया गया है कि कोई ऐसा विधेयक उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक में निहित प्रस्ताव प्रथम अनुसूची में उल्लिखित भाग क और भाग ख के राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं अथवा नामों को प्रभावित न करता हो, और जब तक कि वह विधेयक उस राज्य की विधान सभा को निर्देश में निर्धारित अवधि के भीतर अपनी सम्मति व्यक्त करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो ।

समग्र उद्देश्य यह है कि किसी भी राज्य को असहयोगात्मक नीति अपनाना और इस तरह की नीति को अपनाकर नये राज्यों के निर्माण अथवा सीमाओं के परिवर्तन आदि से सम्बन्धित मामलों में इस विधेयक की क्रियान्वय में बाधा पहुंचाना संभव नहीं होगा । वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा वह अवधि निर्धारित कर दी जायेगी जिसके अन्दर राज्य विधान सभाओं से अपनी सम्मति व्यक्त करने की आशा की जायेगी और हम यह माने लेते हैं कि राष्ट्रपति उचित अवधि निश्चित करेंगे जिसमें सम्मति व्यक्त की जा सके । किसी राज्य द्वारा विलम्बकारक उपायों के अपनाये जाने की संभावित स्थिति से बचने के लिये ही हम यह परिवर्तन कर रहे हैं जिससे किसी एक राज्य द्वारा भी ऐसा रुख अपनाये जाने पर विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने में कोई बाधा न पड़े । इसका अर्थ यह नहीं कि हम ऐसी स्थिति का पूर्वावधारण कर रहे हैं, किन्तु यह अच्छा ही है कि ऐसी स्थिति आ जाने की संभावना से हम अपनी रक्षा करें । जैसा कि आप जानते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन इस सदन के समक्ष विचारार्थ आयेगा और उसमें निहित सिफारिशों पर सरकार को कोई निर्णय करना होगा । राज्य विधान सभाओं का मत जानने के लिये यह मामला उन्हें निर्दिष्ट करना होगा । विधान सभाओं को अपनी सम्मति व्यक्ति करने के लिये पर्याप्त समय दिया जायेगा । हम यह कार्यवाही इसलिये कर रहे हैं जिससे कि सम्बन्धित राज्यों में से किसी एक राज्य के भी द्वारा असहयोगात्मक रुख अपनाये जाने के कारण विधेयक की प्रगति में कोई अनावश्यक बाधा न पड़ जाये ।

मेरे लिये और कुछ कहना आवश्यक नहीं है । यह एक साधारण सा विधान है और मैं आशा करता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । माननीय अध्यक्ष महोदय का सुझाव था कि इस पर चर्चा की जाये और एक ही बैठक में इसे समाप्त कर दिया जाये और इसे प्रवर समिति को सौपने की कोई आवश्यकता नहीं थी । किन्तु कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार था कि क्योंकि ये विधेयक संविधान के संशोधन से सम्बन्ध

[श्री विशवास]

रखता है, चाहे संशोधन कितना ही छोटा क्यों नही यह अच्छा ही होगा कि हम प्रवर समिति को सौंपे जाने के अभि समय का पालन करें। पूरा मामला और उस बारे में व्यक्त सभी प्रकार के विचारों पर प्रवर समिति में चर्चा कर ली जाये। इस सदन में चर्चा के लिये दो घंटे का समय दिया गया है। अतएव यह सुझाव दिया गया है कि प्रवर समिति, जिसके सदस्यों का नामोल्लेख मैंने अभी किया है, ,आज अपरान्ह में अपनी बैठक करेगी क्योंकि उसे कल इस सदन को अपना प्रतिवेदन देना होगा। इसलिये किसी भी समय जब भी माननीय सदस्यों को सुविधा हो प्रवर समिति की बैठक हो सकती है। बैठक बहुत देर तक चलेगी ऐसी आशा मैं नहीं करता। यह विषय बहुत शीघ्र ही निबटाया जा सकता है। इस अवस्था पर मैं और कुछ नहीं कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री उत्तर के लिये कितना समय लेंगे।

श्री विशवास : कितनी बातें. उठाई जाती हैं उस पर यह निर्भर करेगा। मेरे ख्याल मैं यह एक सरल विधान है और मुझे दस मिनट से अधिक समय लेना आवश्यक नही होगा। किन्तु यदि माननीय सदस्य इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो मुझे थोड़ा समय और लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : में आपको पन्द्रह मिनट दूंगा जिसमें मतदान का समय भी शामिल है। मैं सवा तीन बजे माननीय मंत्री से भाषण देने के लिये कहूंगा। चर्चा में कितने माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं ताकि मैं समय का विभाजन कर सकूं। निश्चय ही इससे बाद में किसी माननीय सदस्य के खड़े होने पर रोक नहीं लगती है और न कसी माननीय सदस्य को मेरे द्वारा भाषण देने के लिये कहे जाने पर प्रतिबन्ध ही लगता है।

श्री डी ० सी० शर्मा (होशियारपुर) : आपका अन्तिम वाक्य बहुत खतरनाक है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों को इसमें दिलचस्पी है वह पहले ही खड़े हो चुके हैं। हमारे पास १०५ मिनट का समय है।

श्री कामत (होशंगाबाद) : प्रत्येक को दस मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच से ले कर दस मिनट।

श्री कामत : जैसा आपका निर्णय हो।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच से ले कर दस मिनट जैसी सुविधा हो या जैसा वांछनीय हो।

श्री त्यागी : इससे पूर्व कि आप अग्रेतर कार्यवाही करे मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। संविधान के निर्माण में मुझे दिलचस्पी रही है और चूंकि कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं इसलिये मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री कामत : आप एक मंत्री हैं।

श्री त्यागी : क्या मैं एक सदस्य नहीं हूं। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक सांवैधानिक बात उठा रहे हैं।

श्री त्यागी : जो अनुच्छेद है और जो प्रस्तावित है इन दोनों की वाक्य रचना में क्या अन्तर है इस बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। पुरानी वाक्य रचना यह है : "विधेयक को पुरःस्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में और उसके उपबन्धों का राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चय किये जाने के बारे में।" जिस समय संविधान बनाया जा रहा था कि दोनों बातें .....

श्री कामत : क्या आप भाषण दे रहे हैं ?

श्री त्यागी : एक है उसके उपबन्धों के बारे में और दूसरा है विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के बारे में। ये शब्द भी परिवर्तित किये गये हैं। इसलिये इन दोनों में क्या अन्तर है इसका स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा।

श्री कामत : आप तो सरकार के ही एक अंग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री एक साथ ही दोनों पक्षों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देंगे। मेरा ख्याल है कि यद्यपि उक्त खंड मौजूदा खंड जैसा ही है तथापि सदन के लाभ के लिये उन्हें यह बता देना चाहिये था कि इन दोनों में क्या अन्तर है तथा इस अन्तर का क्या उद्देश्य है।

श्री विश्वास : मैं ने यह नहीं कहा था कि वह मौजूदा खंड जैसा ही था ; मैंने यह कहा था कि यह उपबन्ध २१ नवम्बर को पुरःस्थापित किये गये संविधान (पंचम संशोधन) विधेयक में समाविष्ट किये गये खंड जैसा है।

उपध्याक्ष महोदय : क्या उस पर विचार किया जा चुका है ?

श्री एस० एम० मोरे : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : उस विधेयक पर अब तक विचार नहीं हुआ है।

श्री विश्वास : मैं जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये यह खंड पहली बार इस सदन में विचार के लिये आया है। तब क्या यह आवश्यक नहीं है कि माननीय मंत्री यह बतायें कि वास्तविक अंतर क्या है और मौजूदा खण्ड को वह किस उद्देश्य से परिवर्तित करना चाहते हैं। वास्तव में मैं आशा कर रहा था कि वह ऐसा करेंगे किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। फिर भी चर्चा किये जाने की मैं अनुमति दूंगा। अन्त में वह अंतर को स्पष्ट करेंगे। इन सभी बातों से यह मान लिया नहीं जा सकता कि प्रस्तावक का मन्तव्य क्या है।

श्री विश्वास : मेरा ख्याल था कि इस परिवर्तन का कारण मैंने बता दिया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : माननीय विधि मंत्री ने हमें बताया है कि इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य राज्यों को असहयोग की नीति को न अपनाने देना है जिससे कि अंतिम विधेयक के इस सदन में आने में कोई विलंब न हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के निर्माण के समय यह सोचा गया था कि जब तक राज्य विधान सभाओं से परामर्श न लिया जाये तब तक राज्यों के नाम अथवा सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाये। हमारे समक्ष जो विधेयक है उसके अनुसार यदि कोई राज्य अपना मत व्यक्त नहीं करना चाहता है तो राज्य विधान सभाओं का मत ज्ञात किये बिना ही राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जा सकेगी। राज्यों के असहयोगात्मक नीति का जहां तक प्रश्न है, मेरा ख्याल है कि ऐसी स्थिति नहीं आवेगी। फिर भी इसमें दो पक्ष हैं—राष्ट्रपति या केन्द्रीय सरकार और राज्य विधानसभायें। मेरा ख्याल है कि विधेयक को पारित कर लेने में कोई हानि नहीं है। फिर भी, जहां राज्य विधान सभाओं पर अपने मत को व्यक्त करने का दायित्त्व है तब केन्द्रीय सरकार पर भी यह दायित्त्व होना चाहिये कि मत व्यक्त किया जाये। ऐसा भी हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विधेयक ऐसे समय प्रस्तुत किया जाये जबकि राज्य विधान सभाओं के लिये उसके बारे में अपना मत व्यक्त करना संभव न हो। अतएव प्रवर समिति शब्द "अवधि" के स्थान पर "पर्याप्त अवधि के अंदर" शब्दावलि रखे जाने के सुझाव पर विचार करने की कृपा करे। दूसरी बात जिसपर मैं यहां जोर देना चाहता हूं वह यह है कि आप को दो बातों का उपबन्ध यहां करना चाहिये—एक तो यह कि अवधि पर्याप्त हो और दूसरे यह कि यदी किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हो तो वह बढ़ाई जाये अन्यथा मूल संविधान का जो उद्देश्य है उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा । इन सुझावों के साथ मैं विधेयक के सिद्धांत का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब सरकार और संपूर्ण देश कोई परिवर्तन किये जाने का इच्छुक हो तो किसी राज्य या विधान सभा को उसके मार्ग में बाधास्वरूप न आने दिया जाये ।

श्री त्यागी द्वारा एक प्रश्न उठाया गया है । वह जानना चाहते हैं कि मौजूदा और प्रस्तावित उपबन्धों में क्या अंतर है । यदि आप दोनों प्रावधानों की तुलना करें तो पहले अनुच्छेद में "क्षेत्रफल आदि" शब्द नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वहां शब्द "नाम" है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : शब्द 'सीमायें' और 'नाम' वहां हैं, किन्तु शब्द क्षेत्रफल नहीं है । यदि सीमायें बदलती हैं तो क्षेत्रफल भी निश्चय ही बदलेगा ।

श्री त्यागी : शब्द 'क्षेत्रफल' और 'सीमायें' दोनों आवश्यक नहीं हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं केवल यही बता रहा हूं कि जहांतक पहली ७ या ८ पंक्तियों का प्रश्न है, कोई परिवर्तन नहीं है; वह केवल इस परन्तुक को रखना चाहते हैं । जहां तक परन्तुक का प्रश्न है शब्द 'क्षेत्रफल' उस में नहीं है, किन्तु सीमाओं में परिवर्तन होने से वह स्वतः आ जाता है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : कभी-कभी क्षेत्रफल बराबर ही रह सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्षेत्रफल का निर्देश अनुच्छेद के पूर्व भाग में किया जा चुका है । मूल परन्तुक में यह शब्द नहीं था इसलिये उसे यहां रखने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह कहना चाहता था कि सीमा में परिवर्तन होने के साथ क्षेत्रफल भी बदल जाता है । यह कोई इतना भयंकर परिवर्तन नहीं कि हम इसे स्वीकार न करें । मैं विधेयक के सिद्धांत का समर्थन करता हूं और मेरा ख्याल है कि प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर सदन भी सहमत होगा ।

श्री एन० श्री कान्तन (विवलोन व मावेलिक्करा) : इस अवसर को मुझे देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस विधेयक के बारे में जो कुछ कहा है उसी के सम्बन्ध में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं । पर्याप्त समय का प्रश्न है । किन्तु जब एक बार राज्य सरकारों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है तब उन्हें अवधि में वृधि किये जाने के लिये आवेदन नहीं करने देना चाहिये । विधेयक का सबसे प्रमुख दोष यह है कि पर्याप्त समय की सीमा निर्धारित करने के लिये उसमें कोई उपबन्ध नहीं है । यदि समय पयप्ति हो तो पंडित भार्गव के दूसरे सुझाव अथवा संशोधन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है । यदि पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त राज्यों द्वारा समय बढ़ाये जाने की प्रार्थना की गई तो विधि निर्माण की प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी ।

संविधान बनाने वाले निकाय का यह आशय था कि राज्य विधान सभाओं की सम्मत्ति प्राप्त की जाये । सभी राज्यों में एक सी प्रक्रिया का पालन नहीं होता है । क्या किया जाना है यह भी पूरी तौर से स्पष्ट नहीं है । यदि कोई राज्य विशेष यह कहता है कि पुनर्गठन न किया जाये तो ऐसी स्थिति में संसद् को, उसके मत की उपेक्षा कर के विधि को पारित करने का अधिकार भी प्राप्त है । बहुमत क्या है इस बात की जानकारी सरकार को हो सके इसलिये सम्भवतः यह अनुच्छेद यहां रखा

गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस आशय का निश्चित वक्तव्य उसमें क्यों नहीं है कि यदि निर्दिष्ट समय के भीतर राज्य विधान सभा अपना मत व्यक्त नहीं करेगी तो ऐसी स्थिति में संसद् द्वारा विधेयक सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही यह मानकर की जायेगी कि विधानसभा द्वारा अपना मत व्यक्त किया जा चुका है। यह उपबन्ध परन्तुक के अन्त में निश्चय ही जोड़ा जाना चाहिये जिससे कि अर्थ पूरा हो सके। इन दोनों संशोधनों का समावेश किया ही जाना चाहिये ।

कई अनुच्छेदों में, जैसे मूलभूत अधिकारों विषयक अनुच्छेदों के बारे में, संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके द्वारा इन अधिकारों का प्रवर्तन किया जा सके। यहां भी हमने ऐसा परन्तुक रखा है जिसका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है। तद्-विषयक अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य विधानसभा द्वारा मत अवश्य प्रेषित किया जाना चाहिये। मान लीजिये कि मत नहीं भेजा जाता। इसलिये हम इसे निष्कर्ष के रूप में क्यो छोड़ दें कि मत न भेजे जाने की स्थिति में संसद् विधेयक के बारे में अग्रेतर कार्यवाही करेगी। इसलिये इस बारे में निश्चित वक्तव्य दिया जाना चाहिये नहीं तो इस से उलझन और भी बढ़ जायेगी ।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम) : यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है। इस विधेयक के बारे में मुझे कुछ शंकायें हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति उन पर ध्यान देगी ।

संविधान निर्माताओं को यह आशा थी कि प्रभावित राज्य निश्चित अवधि में अपनी सम्मति व्यक्त कर देंगे। सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि राज्यों के पुनर्गठन की समस्या पर दल बन्दी के कारण हो सकता है कि राज्यों की विधान सभायें मत व्यक्त करने में विलंब कर दें और विधान की प्रगति रुक जाये, इसलिये सरकार ने अवधि निश्चित करने का निश्चय किया है जिसके अन्दर विधान सभायें अपनी सम्मति व्यक्त कर दें। जहां मेरा मत यह है कि राज्यों की विधान सभाओं को अपने मत व्यक्त करने में विलंब नहीं करना चाहिये वहां मैं यह भी समझता हूं कि शासन और समन्वय सम्बन्धी इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य विधान सभाओं के मत की उपेक्षा न की जाये । किन्तु जिन शब्दों में यह अनुच्छेद रखा गया है उसे इस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है कि विधान सभाओं के मत की उपेक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह से कोई समय सीमा निश्चित कर देंगे और संभव है कि समय के अभाव के कारण विधान सभायें अपने विचार व्यक्त न कर सकें। अनुच्छेद ३ में यह उपबन्ध है कि विधेयक का समुचित प्रचार किया जाये और उसके सम्बन्ध में राज्य सभाओं के विचार जाने जायें, किन्तु इस विधेयक में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इसके लिये पर्याप्त समय दिया जायेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस "समुचित" शब्द के स्थान पर "दो महीने से कम नहीं" शब्द रखे जायें। एक तो इतने समय में राज्य विधान सभाय विधेयक के सब उपबन्धों पर अच्छी प्रकार चर्चा कर सकेंगी और दूसरे "समुचित" शब्द के सम्बन्ध में विवाद उठने की जो संभावना है वह भी नहीं रहेगी। यह भी हो सकता है कि विधान सभायें कोई वकल्पिक उपबन्ध प्रस्तुत करें जिन पर संसद् विचार कर सके। राज्यों के आकार को घटाने बढ़ाने या उन में परिवर्तन करने के इतने बड़े मामलों पर विधान सभाओं के द्वारा जनता के विचार संसद् को अवश्य मालूम होने चाहियें।

श्री एस० एस० मोरे : संघानीय संविधान के अन्तर्गत संघ में शामिल होने वाले राज्यों की सीमाओं म परिवर्तन करने के मामले म शामिल होने वाले राज्यों के

[श्री एस० एस० मोरे]

विचार जानना और उनका अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद ३ में भी यही उपबन्ध है तथा विदेशों के उदाहरण भी मौजूद हैं। जम्मू तथा काश्मीर राज्य के मामले में अनुच्छेद ३७० में यह सद्धान्त स्वीकार किया जा चुका है कि उस राज्य की विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त किये बिना उसकी सीमा में परिवर्तन करने वाला कोई विधेयक संसद में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा।

काश्मीर के बारे में यह उपबंध किया गया है तो निश्चय ही संघानीय राज्य में शामिल होने वाले सभी राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिये, अन्यथा राज्य केन्द्रीय सरकार के भाग मात्र बनकर रह जायेंगे और संसद उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी सीमा में मनचाहा परिवर्तन करती रहेगी। यह अनुच्छेद ३ की भावना के विरुद्ध है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विधान सभाओं के व्यक्तिगत सदस्यों के मत जानने से काम नहीं चलेगा। विधान सभा का सामूहिक मत जो बहुमत पर निर्भर होगा, जानने की आवश्यकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में भिन्न-भिन्न दलों और एक ही दल के अन्दर भिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी विचार रखने वाले लोग होते हैं। इतने भिन्न-भिन्न विचारों के होते हुए, यदि हम इस विधेयक को स्वीकार कर लेते हैं, तो इसके क्या परिणाम होंगे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। मान लीजिये कोई मंत्रिमंडल समझता है कि इस विषय में विधान सभा में उसके विचार स्वीकार नहीं होंगे तो वह विधान सभा को समवेत ही नहीं करेगा और अवधि समाप्त हो जाने पर ही राष्ट्रपति सभा को सिफारिश कर सकेगा। ऐसी अवस्था में विधान सभा के विचार मालूम नहीं हो सकेंगे। परिणाम यह होगा कि ढोरों के विक्रय के समान लोगों को अनिच्छा पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल दिया जायेगा। संसद, इस विधेयक को पास अवश्य कर सकती है, किन्तु केन्द्र की ओर से लागू की जाने वाली व्यवस्था के फल अवश्य भुगतने पड़ेंगे।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : जनता के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं।

श्री एस० एस० मोरे : प्रत्येक सदस्य भिन्न-भिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिये एक उपबन्ध के बारे में किस किस का परामर्श लिया जा सकता है। इसीलिये संविधान के अनुच्छेद ३ में राज्यों की विधान सभाओं का सामूहिक मत जानने का उपबंध किया गया था, जो एक प्रकार का रक्षाकवच था, किन्तु अब उसे भी हटाया जा रहा है। मेरे राज्य में इस बारे में काफी बेचैनी है, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिये सभा को कोई हल निकालने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान को अवश्य अवसर देना चाहिये। इस दृष्टि से संविधान में संशोधन करना होगा।

श्री एस० एस० मोरे : कुछ राज्यों में कार्यपालिका में भी मतभेद हैं। ऐसी अवस्था में जब मंत्रिमंडल का ही एकमत नहीं है, विधान सभा को समवेत करने के लिये कौन अग्रसर होगा? परिणामतः उन राज्यों की विधान सभायें अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकेंगी, और वहां की सरकारें अपना सारा उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर डाल देंगी, और इसकी भलाई बुराई हमारे ऊपर आयेगी। इसलिये इतने महत्वपूर्ण तथ्य की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहियें।

मेरा सुझाव यह है कि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की गई अवधि के अन्दर राज्यों की विधान सभाओं को अपना मत व्यक्त करने के लिये कहा जाये। इतने गम्भीर मामले में शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि शान्ति और व्यवस्था के भंग हो जाने और

लड़ाई-दंगे होने की संभावना है । इसलिये हमें अनुसूची के अनुसार निर्वाचन आदि कराने की बात को प्रधानता न देकर इस समस्या को ठीक ढंग से सुलझाना चाहिये । सरकार और संसद् को कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिये । और हमारे प्रधान मंत्री का समस्त देश में बहुत अधिक प्रभाव है इसलिये उनको चाहिये कि वह देश भर में घूम कर शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा आपस में समझौता और समन्वय कराने का प्रयत्न करें । रक्षा के लिये श्री त्यागी पर निर्भर रहना बेकार है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

श्री कामत : इस विषय में श्री त्यागी सरकार की अपेक्षा हमारी ओर अधिक झुके हुए प्रतीत होते हैं ।

संविधान सभा के सामने एक प्रारूप उपबन्ध था, किन्तु इस सभा के सदस्यों ने कुछ परिवर्तन करके राज्यों के अधिकारों और शक्तियों को कम कर दिया था । डा० अम्बेडकर ने इस पर यह कहा था कि विधेयक के द्वारा जिस राज्य की सीमाओं में अन्तर पड़ता हो, उस राज्य की विधान सभा का बहुमत राष्ट्रपति से अभ्यावेदन करे या इस सम्बन्ध में कोई संकल्प पारित करे । इसके स्थान पर यह परिवर्तन किया गया कि भाग 'ग' में के राज्यों के साथ परामर्श करना और भाग 'ख' में के राज्यों का अनुमोदन पर्याप्त है । यद्यपि मेरा दल इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य सेसहमत है किन्तु हम इससे पूर्णतः सहमत नहीं हैं, क्योंकि इसके द्वारा राज्यों को दी गई शक्ति को कम किया जा रहा है ।

मूल विधेयक में उपबंध था कि विधेयक को पुरःस्थापित किया जाये या नहीं, इसके बारे में राज्यों का मत जानना आवश्यक है । फिर विधेयक के उपबंधों के बारे में मत जानना अनिवार्य है । किन्तु इस विधेयक में इसे पुरः-स्थापित किये जाने के बारे में राज्य विधान सभाओं को अपना मत व्यक्त करने का कोई अवसर देने का कोई उपबंध नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : "विचार अभिव्यक्ति" के अन्तर्गत वे यह भी कह सकते हैं " विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिये ।" मूल अनुच्छेद में भी "विचार" शब्द है ।

श्री कामत : "विचार" बहुत ही व्यापक शब्द है । किन्तु मूल अनुच्छेद में विधेयक को पुरःस्थापित करने और उसके उपबंधों के बारे में विचार अभिव्यक्त करने की दो पृथक् बातें हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक में दूसरी बात शामिल है ।

श्री कामत : क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा यह अभिप्राय है कि मूल अनुच्छेद और संशोधक विधेयक दोनों में "विचार" शब्द आया है ।

श्री कामत : किन्तु हम मंत्री महोदय के मुख से इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं कि "विचार" शब्द का क्या अर्थ है । क्या इसका अर्थ सभी का संकल्प है या सभा की समस्त कार्यवाही ? राज्यों को दो महीने का समय देने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था । किन्तु मैं यह सुझाव दूंगा कि राज्य सरकार द्वारा विधेयक प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने का समय निर्धारित किया जाना चाहिये । विधान सभाओं को अपने विचार व्यक्त करने का उचित समय दिया जाना आवश्यक है और साथ ही राज्य सरकारों को यह अनुदेश भी दिया जाना चाहिये कि वे विशिष्ट अवधि के अन्दर विधान सभा का सत्र समवेत करें ।

अमरीका आदि राज्यों में जब किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना होता है तो उस समय का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है । भारत में इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होने वाले अधिक विलंब को रोकने के लिये हम इस प्रक्रिया पर आग्रह नहीं करते, किन्तु हमें इस बात की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार या

[श्री कामत]

संसद् में बहुत अधिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण न होने पाये और राज्य सूची में जो मामले दिये गये हैं, उन के बारे में किसी भी प्रकार से राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिये ।

अतः मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री यह स्पष्ट करें कि क्या इस उपबंध में इस मामले के दोनों पहलू अन्तर्निहित हैं । गत संसद में एक विधेयक रखा गया था जिसमें आसाम राज्य के कुछ क्षेत्रों में सिक्किम को दे दिया गया था और आसाम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया गया था । आसाम विधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी और एक संकल्प पारित किया गया था, और उसके पश्चात् संसद् द्वारा वह विधेयक पारित किया गया था । परन्तु इस विधेयक में केवल राज्य सरकार की सम्मति ज्ञात करना ही अपेक्षित है । मेरा निवेदन है कि न केवल विभिन्न राज्य विधान सभाओं को अपितु सम्बद्ध राज्यों की जनता को भी अपनी सम्मति देने का अवसर दिया जाना चाहिये । उनको इसके लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये । यदि प्रवर समिति द्वारा यह परिवर्तन किये गये तो यह विधेयक अधिक उत्तम हो जायेगा अन्यथा इससे राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों का हनन होगा । यदि इस सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट की अविलम्बनीयता के कारण उपबन्धों में कोई हेर-फेर किया जाये तो इस बात का ध्यान रखा जाये कि किसी भी राज्य विधान सभा को यह शिकायत करने का अवसर न मिले कि उनके अधिकारों तथा शक्तियों को कम कर दिया गया है ।

श्री कासलीवाल (कोटा—झालावाड़): मूल अनुच्छेदों में चार परिवर्तन अपेक्षित हैं । पहला यह है कि एक नये शब्द 'क्षेत्र' को निविष्ट करने की प्रस्थापना है । मैं इस परिवर्तन का समर्थन करता हूं ।

दूसरा परिवर्तन यह किया गया है कि यदि कोई विधेयक पुरःस्थापित किया जाये तो उसको पुरःस्थापित करने सम्बन्धी प्रस्थापना को राज्य विधान सभाओं को निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है । यह स्पष्ट है कि जब भी कभी किसी राज्य विधान सभा से किसी प्रस्थापित विधेयक के सम्बन्ध में सम्मति प्रकट करने को कहा जाये तो कतिपय उपबन्धों सहित उक्त विधेयक राज्य विधान सभा के समक्ष होना चाहिये । केवल इसी अवस्था में ही राज्य विधान सभा अपनी सम्मति प्रकट कर सकती है । मेरे विचार से यह नया खंड—विधेयक के उपबन्धों के विषय में अपनी सम्मति को प्रकट करना पर्याप्त है ।

तीसरा परिवर्तन यह है, कि शब्द "ज्ञात करना", के स्थान पर "अपनी सम्मति प्रकट करते हुए" शब्द रखे गये हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि "ज्ञात करना" के स्थान पर "प्रकट करते हुए" रखने से क्या आशय है । यदि माननीय मंत्री का आशय मूल अनुच्छेद की भाषा को संवारना है तो बात दूसरी है, अन्यथा मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री यह परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं ।

चौथा परिवर्तन अवधि के सम्बन्ध में है और इस का निर्देश किया जा चुका है । अवधि निश्चित किये जाने से आशय यह है कि राज्यों को अपनी सम्मति प्रकट करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाये । मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित करना ठीक नहीं है । इस अनुच्छेद को इसी प्रकार रहने दिया जाये और राज्य विधान सभाओं को अपनी सम्मति प्रकट करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाये ।

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व जिला अलमोडा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर) : मेरा विचार है कि हमारे लिये संविधान में इतने शीघ्र संशोधन

करना उचित नहीं है। दो माह की अवधि में संविधान में संशोधन संख्या ५, ६ तथा ७ प्रस्तुत करने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार संविधान में बहुत परिवर्तन करना चाहती है। संविधान में संशोधन के गत अवसर पर भी मैंने कांग्रेस दल को बताया था, संविधान में इतनी जल्दी सशोधन नहीं करना चाहिये। मैं मानता हूं कि यह विधेयक लाभदायक है परन्तु हमें इस सम्बन्ध में अभी कुछ दिन राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिये। हां, यदि उन से समय के भीतर कोई उत्तर न मिले तो प्रायः इस दिशा में आगे कदम उठा सकते हैं। मेरी सम्मति है कि यदि हम कुछ दिन प्रतीक्षा करते तथा संविधान में सशोधन करने वाले इन तीनों विधेयकों को स्वीकृत कर के प्रस्तुत करते तो अधिक अच्छा होता। अमरीका में १७५ वर्षों में संविधान का संशोधन केवल १९ बार किया गया जबकि हमारे देश के कुल ४ वर्षों में सात सशोधन प्रस्तुत किये जा चुके हैं। इसलिये भविष्य के लिय मेरा सुझाव है कि संविधान के संशोधन इतने शीघ्र नहीं किये जाने चाहियें।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : संभवतया इस संशोधन को बहुत से राज्यों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह सच है कि हमारी सरकार फेडेरल सरकार नहीं है तथा एक यूनिटरी प्रकार की सरकार है परन्तु फिर भी जनता की ऐसी ही धारणा है कि हमारी फेडरल सरकार है क्योंकि फेडरेशन शब्द वहां पर है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इसी संशोधन में हमें यह भी संशोधन रख देना चाहिय कि "सबन्धित राज्य के विधान मंडल द्वारा सर्वसम्मति से अननुमोदित कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा"। आज मध्य भारत में क्या हो रहा है। मध्य भारत की जनता मध्य प्रदेश में मिलना नहीं चाहती है क्योंकि लोग जानते हैं कि पुराने देशीय राज्यों के व्यक्तियों को चाहे वे जन साधारण सरकारी कर्मचारी हों अथवा अन्य पदाधिकारी हों, राज्य के व्यक्ति तथा पदाधिकारी अपने स्तर से नीचा समझते हैं। मध्य भारत के व्यक्तियों से भी मध्य प्रदेश में इसी प्रकार का व्यवहार होगा जैसा कि माउन्ट आबू की जनता को बम्बई सरकार से प्राप्त हुआ था इसलिये केवल कुछ व्यक्तियों की इच्छापूर्ति के लिये हमें मध्य भारत की विधान सभा को विचार प्रस्तुत करने से रोकना उचित नहीं है। यदि विधान सभा के समस्त सदस्य, दूसरे राज्य में मिलने के इच्छुक न हों तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहियें।

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद २३९ तथा २४० के अधीन, भाग 'ग' राज्य हैं तथा अनुच्छेद ३ के अधीन उनको राज्य पुनर्गठन आयोग प्रतिवेदन पर चर्चा का अधिकार नहीं है तब कुछ भाग 'ग' राज्यों में हुए रिपोर्ट पर चर्चा क्यों हो रही है। दूसरी ओर अन्य राज्यों के विचारों का कोई मूल्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिये।

मैं डा० कृष्णस्वामी तथा श्री कामत के सुझाव से सहमत हूं तथा यह और कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को सीमा में परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये ६ माह की अवधि देनी चाहिये। यह प्रश्न किसी दल विशेष से संबन्धित नहीं है अपितु इसका सम्बन्ध तो सम्पूर्ण विधान सभा से है और इसलिये शीघ्रता नहीं होनी चाहिये, तथा निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिये जो कि इतना हो जिसमें विधान सभायें पुर्णतया विचार कर सकें। मेरा निवेदन है कि संयुक्त समिति, इन दोनों सशोधनों पर विचार करे—एक तो यह कि राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित की जाने वाली कालावधि ६ मास से कम न हो तथा दूसरा यह कि ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाये जो किसी राज्य के विधान मडल द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित कर दिया गया हो।

श्री जयपाल सिंह (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसुचित आदिम जातियां) : आप तथा मैं दोनों ही संविधान निर्माताओं में थे। आजकल संविधान की अनुल्लंघनीयता पर जो इतना अधिक जोर दिया जा रहा है वह मेरी समझ में ठीक नहीं है। लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है तथा मेरा अपना अनुभव है कि जो व्यक्ति लोकतंत्र के संबंध में कुछ भी नहीं जानते वही लोकतंत्र का प्रचार करते हैं। मेरा विचार है कि हमें देश का विकास गांवों से करना चाहिये। हम संसद् में बैठ कर यह समझते हैं कि देश के समस्त कार्य हमें ही करने चाहिये परन्तु जहां तक राज्यों की सीमा, नाम आदि का संबंध है, इन बातों का निर्णय करने का अधिकार सम्बन्धित राज्य सरकारों को ही होना चाहिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, परन्तु मैं इस अधिकार को प्रशासन दल को सौंपने के पक्ष में नहीं हूं कि वह उचित कालावधि निश्चित करे। हमें इस प्रश्न पर इतनी शीघ्रता से विचार नहीं करना चाहिये।

पिछली बार जब मैं संसदीय कार्य मंत्री से मिला था तो उन्होंने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति ने यह स्वीकार कर लिया है कि यह विधेयक एकदम संसद् में प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु जनतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। अच्छे तथा बुरे सभी प्रकार के विधेयकों को निर्धारित रास्ते तय करने पड़ते हैं। यदि हम जनतंत्र के समर्थक हैं तो हमें निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा करनी चाहिये। मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति संविधान को अनुल्लंघनीय बताते हैं उनकी बात में भी काफी तर्क है; परन्तु अब स्थिति बदल गई है।

[पंडितठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

एक तर्क किया गया कि यदि कोई राज्य विधान मंडल किसी प्रश्न पर पूर्णतः एकमत हो तो देश को उस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यह बड़े खेद की बात है क्योंकि यहां एक राज्य का प्रश्न नहीं प्रत्युत समस्त देश का प्रश्न है। समस्त देश एक है तथा उसको एक साथ ही कार्य करना है। हमें इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिये।

उस ओर के सज्जनों के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। वे कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि हैं तथा जनता ने उनको भेजा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जनता ने उनको देश का विभाजन करने के लिये भेजा है? हमें यह सोच कर कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं तथा जनता हमारे पीछे है मनमानी नहीं करनी चाहिये। में जनता के विचारों को भी जानना चाहिये। मैं इसका समर्थन करते हुये यह बता देना चाहता हूं कि हमें निश्चित अवधि अवश्य निर्धारित करनी चाहिये।

श्री धुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : मैं सभा को तथा वित्त मंत्री को य बता देना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा संविधान की भाषा में कोई अन्तर नहीं होता है तथा मेरा विचार है कि संविधान के वर्तमान अनुच्छेद ३ के द्वारा इस विधेयक के समस्त उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि यदि राष्ट्रपति विधान सभाओं की समिति, निश्चित अवधि में प्राप्त करना चाहते हैं तो वह राज्य विधान सभाओं को लिख सकते हैं कि इस अवधि में अपनी समिति भेज दीजिये। इसलिये मेरा विचार है कि इस विधेयक के द्वारा संविधान की भाषा में कुछ सुधार नहीं होता है।

दूसरे वर्तमान विधेयक में यह दिया गया है कि विधेयक को राज्य विधान सभाओं की सम्मति के लिये भेजा जायेगा। अब तक संविधान के अनुसार विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रस्थापना भेजी जाती थी। इस प्रकार मेरा विचार है कि "प्रस्थापना पर सम्मत्ति लेना" शब्द अधिक व्यापक है तथा राष्ट्रपति को इसके द्वारा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त विधेयक भेजने से राज्य विधान सभायें विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करेंगी तथा इस प्रकार विधेयक का रूप ही परिवर्तित हो जायेगा। संविधान में ऐसी व्यवस्था हमने रखी थी कि प्रस्थापना के

सम्बन्ध में राज्य विधान मंडलों के विचार जाने जायें। हो सकता है कि ये विचार ज्ञापन के रूप में हों, संशोधनों के रूप में न हों। ये ज्ञापन विधान-मंडलों द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात राष्ट्रपति को भेजे जा सकते हैं। और हम लोगों के समक्ष भी रखे जा सकते हैं जिससे समस्त संसद् सदस्य राज्य विधान-मंडलों के विचारों को जान सकें तथा जब नया विधेयक पेश हो तो उसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। इसलिये मेरा मत है कि इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान संविधान से पूर्ण हो जाता है। तीसरी बात, आप भाग 'ग' के राज्यों के अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते। जब आप एक संशोधन प्रस्तुत कर रहे तो आप इसपर भाग 'ग' के राज्यों के भी मत क्यों नहीं लेते।

इस विधेयक के द्वारा आप जो कुछ करना चाहते हैं वह संविधान के वर्तमान उपबन्धों के द्वारा भी किया जा सकता है।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : यह एक बडा सीधा साधा विधेयक है। फिर भी संविधान में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन करने के औचित्य के बारे में एक मूलभूत प्रश्न उठाया गया है। इस प्रश्न के बारे में दो विभिन्न मत हैं। एक मत यह है कि संविधान एक सर्वोच्च विधि है जो राष्ट्र के विकास के लिये एक नमूना प्रस्तुत करता है। इस मत के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यदि संविधान में जल्दी जल्दी और सरलता पूर्वक संशोधन किया गया तो सम्भव है कि बहुसंख्यक दल में क्रूरता आ जाये। फिर पूछा जाता है कि ऐसी स्थिति में अल्प संख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये क्या व्यवस्था है। दूसरा मत यह है कि सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की आधुनिक परिवर्तनशीलता में जीवन के रूप में शीघ्र परिवर्तन होते हैं और परिणामस्वरूप वैधानिक, न्यायिक तथा प्रशासकीय व्यवस्थाओं में भी परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। राष्ट्र के विकास में कोई भी विधि, चाहे वह संविधानीय हो या अन्यथा, अड़चन नहीं बननी चाहिये। हमारी जनता ने दूसरे मत को अपनाया है। संविधानीय उपबन्ध में तीन बातें होती हैं, अर्थात् विधेयक का पुरःस्थापन राष्ट्रपति की आवश्यक है सिफारिश और राज्य विधान मंडलों का मत जानने के लिये उन्हें भेजना। प्रस्थापित संशोधन में भी इन्हीं तीन बातों का उपबन्धसं किया गया है इनके अतिरिक्त केवल यह और कहा गया है "उल्लिखित कालावधि के भीतर"।

एक बात यह कही गई है कि कुछ लोगों को उनकी इच्छा के विरूद्ध दूसरे राज्य में क्यों रखा जाये। इस सम्बन्ध में और निवेदन यह है कि सीमा संबंधी प्रबन्ध किसी नागरिक का मूलभूत अभिधकार नहीं है। यह देखना प्रशासन और संसद् का काम है कि जनता स्वाभाविक रूप में आगे बढ़े अतः नागरिक यह दावा नहीं कर सकता कि वह इस राज्य में रहेगा या उस में। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री बी० जी० देशपांडे (गुना) : इस संविधान का संशोधन करते समय मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि इतनी जल्दी से यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। मेरे माननीय मित्र श्री पांडे जी की स्पष्ट वक्तृता के लिये में उनको बधाई देता हूं, क्योंकि बात यह है कि जिस प्रकार की सिफारिशें इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने की हैं उसके कारण आठवां संशोधन भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इस संशोधन में आपने पार्ट ए० और पार्ट बी० स्टेट्स (भाग क और भाग ख राज्य) का उल्लेख किया है। इसके पश्चात आप पार्ट ए० और पार्ट बी० स्टेट्स को समाप्त करने वाले हैं। नया बिल जब आवेगा तो उसमें पार्ट ए० और बी० पार्ट बी० स्टेट्स नहीं रहेंगी और फिर उसमें यह संशोधन करना पड़ेगा। यह जो संविधान का संशोधन किया जा रहा है यह शाश्वत काल के लिये किया जा रहा है और इस लिये यह विधेयक स्वीकृत होने के पश्चात् आपको आठवां संशोधन लाना पड़ेगा।

[श्री वी० जी० देशपांडे]

मुझे एक बात समझ में नहीं आती । कांग्रेस का राज्य केन्द्र में है और कांग्रेस का ही राज्य प्रान्तों में है । मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई विधान सभा निश्चित समय के अन्दर अपना मत प्रदर्शित नहीं करेगी इसके लिये यह संशोधन हो रहा है ऐसा मानने में शायद कुछ गलतफहमी हो । मेरे मित्र मोरे साहब ने जैसा कहा है, हो सकता है कि इसका फायदा ले कर यदि कोई विधान सभा यह चाहे कि उसका मत व्यक्त न हो तो वह ऐसा करने के लिये इसका उपयोग करे । आपने इस में शब्द "एक्सप्रेशन आफ व्यू" (विचार की अभिव्यक्ति) रखे हैं और इनमें आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं । आप देख रहे हैं कि आजकल विभिन्न विधान सभाओं में राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है । मेरे पास आज मध्यभारत से खबर आई है कि वहां की विधान सभा में मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव रखा है "देट दी रिपोर्ट बी टेकिन इंटू कंसीडरेशन" (कि प्रतिवेदन पर विचार आरम्भ किया जाये) और जब उस पर कई सदस्यों ने अपने अपने संशोधन भेजे कि ग्वालियर को राजधानी बनाया जाये या मध्यभारत को मध्यप्रदेश में न मिलाया जाये तो स्पीकर (अध्यक्ष) ने यह निर्णय दिया कि सब्स्टेंटेटिव मोशन (मूल प्रस्ताव) न होने के कारण आप इस में कोई संशोधन नहीं दे सकते । मैं नहीं जानता कि प्रक्रिया या प्रोसीज्योर की दृष्टि से वह यह रूलिंग (निर्णय) दे सकते हैं या नहीं । पर कांग्रेस दल के मन में यह भय था कि शायद वह लेजिस्लेचर यह मत व्यक्त करे कि मध्यभारत को मध्यप्रदेश में नहीं मिलाना चाहिये और शायद कांग्रेस के मेम्बरों (सदस्यों) की परिस्थिति आगे चुनावों में खराब हो जाय, इस लिये यह कोशिश की जा रही है कि वहां से कोई प्रस्ताव न भेजा जाय । इस लिये मैं चाहता हूं कि इस बिल में इस प्रकार की शब्द-रचना की जाय कि यदि कोई मंत्रिमंडल या दल "एक्सप्रेशन आफ व्यूज', को रोकना चाहे तो ऐसा न किया जा सके । केन्द्रीय सरकार को निश्चित रूप से विधान सभाओं का मत जानना चाहिये । मैं समझता हूं कि उनको प्रस्ताव के रूप में अपना मत व्यक्त करने का अवसर देना चाहिये, और दूसरी बात यह है कि यदि कोई मंत्रिमंडल जान बूझ कर केन्द्र के कानों तक उनका मत न जाने देने की कोशिश करे तो इस प्रकार की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहिये कि केन्द्र के आदेशानुसार वहां का राज्यपाल या राज प्रमुख एक निश्चित काल के लिये वहां की विधान सभा को आमंत्रित करे ।

दूसरी बात यह है कि आज जो टाइम टेबिल (समय सारिणी) है उसके अनुसार बजट की अधिवेशन अब आने वाला है । और काम की अधिकता के कारण लोग यह भी कह सकते हैं कि दो तीन दिन में इसका फैसला हो जाय । आपको देखना पड़ेगा कि लोगों को अपना मत व्यक्त करने के लिये पूरी सुविधा मिलनी चाहिये । उनका मत चाहे कुछ भी हो, लेकिन गणतंत्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि चाहे हम उनका मत मानें या न मानें हमको उनका मत जानना चाहिये । इस लिए मेरा कहना कि इस समय इस बिल की आवश्यकता नहीं है । आपको इस में जो आपने निश्चित अवधि की बात रखी है उसको निकाल देना चाहिये । आज कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि लोग अपना मत व्यक्त नहीं करेंगे । आज आवश्यकता यह है कि आप यह बता दें कि निश्चित रूप में उनका मत प्रस्ताव के रूप में प्रदर्शित होना चाहिये । इस प्रकार का संशोधन आपको करना चाहिये । इतना ही ही मुझे निवेदन करना है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णगिरि) : संविधान का प्रस्तावित संशोधन बहुत ही सीधा साधा दिखाई देता है । परन्तु मैं महसूस करता हूं कि इसके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे । संविधान में केन्द्र का होना अनिवार्य है, परन्तु राज्यों का नहीं । अतः मेरा निवेदन है कि यद्यपि यह प्रस्तावित परिवर्तन बड़ा

ही सीधा साधा है और राष्ट्रपति को समय-सीमा निर्धारित करने का अधिकार देता है, परन्तु वास्तव में यह राष्ट्रपति को राज्यों के लिये यह प्रस्ताव जारी करने का अधिकार देता है कि वे निश्चित काल के भीतर अपना उत्तर भेज दें । वस्तुतः यह संविधान के स्वरूप में परिवर्तन करता है । अतः मैं नहीं चाहता कि सदस्यगण यह विचार करें कि यह एक बहुत ही सीधा परिवर्तन है । मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

श्री विश्वास : इस विधेयक पर जिसे मैं अब भी सीधा साधा विधेयक मानता हूं इस सभा के विभिन्न सदस्यों ने जो टीका टिप्पणी की है वह मैं ने बहुत रुचिपूर्वक सुनी की हैं । मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्रों भी बहुसंख्या विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करती है । परन्तु उन्हें कुछ बातों के बारे में भ्रम है और वे उनका स्पष्टीकरण चाहते हैं । वास्तव में, मैं नहीं समझता कि अब पूर्णतः स्पष्टीकरण करना मेरे लिये, उस थोड़े से समय को ध्यान में रखते हुए जो मुझे मिला है । उचित होगा । परन्तु इन सब बातों का सरकार के पास पर्याप्त और सन्तोषजनक उतर है और मुझे विश्वास है कि ये सारी बातें प्रवर समिति में समाप्त हो जायेंगी । और हमारा दृष्टिकोण माननीय सदस्यों के समक्ष रखा जायेगा ।

परन्तु अब भी इन में से कुछ बातों का उल्लेख मुझे अवश्य करना चाहिये । सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करता हूं कि जहां तक राज्य विधान मंडलों के विचार जानने का सम्बन्ध है विधेयक के उपबन्ध और संविधान के अनुच्छेद ३ के परन्तुक में है कोई परिवर्तन नहीं । यदि अनुच्छेद ३ को देखें तो आप देखेंगे कि उस अनुच्छेद का पहिला मूल उपबन्ध नये राज्यों के निर्माण और क्षेत्रों, सीमाओं का विधान राज्यों के नामों में परिवर्तन का है । फिर, इसके बाद एक परन्तुक है, और उसमें उस स्थिति का वर्णन है जबकि इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये विधेयक पुरः-स्थापित किया जा सकता है । परन्तुक में कहा गया है कि राष्ट्रपति भी सिफारिश के बिना कोई भी ऐसा विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता । यह एक शर्त है । दूसरी शर्त है--राज्य विधान-मंडलों के विचार जानने के लिये उनके पास भेजें और उसके विचार जाने बिना यह पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता । दूसरे शब्दों में, विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये उस समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जबतक सारे सम्बद्ध राज्य विधानमंडल अपने विचार नहीं भेजते । जहां तक उनके विचार प्रकट किये जाने का सम्बन्ध है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है । नये परन्तुक में जो हम परःस्थापित कर रहे हैं, राज्यों द्वारा विचार प्रकट किये जाने की व्यवस्था है । परन्तु विद्यमान अनुच्छेद में 'निश्चित रूप से जाने गये' शब्द, होने के कारण आपको उनका विचार जानने तक प्रतीक्षा करनी होगी । इसमें परिवर्तन किया जा रहा है । केवल विचार का महत्व है । सरकार चाहती है कि अन्तिम कार्यवाही करने के पूर्व ही उन्हें विचार मालूम हो जायें यह सारभूत बात है । जहांतक के विचारों का सम्बन्ध है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है । इसी मुख्य बात के लिये यह परन्तुक अधि-नियमित किया गया है । हम अब जो संशोधन कर रहे हैं, उसके अनुसार हमें सारे विचार जानने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है । आप सौंपने के बाद विधेयक पुरः-स्थापित कर सकते हैं । अतः ऐसा कोइ उप-बन्ध बनाने की कोई आवश्यकता, कोई कारण, नहीं है जिसमें यह कहा जाये कि विचार केवल विधेयक के उपबन्धों के बारे में ही नहीं मांगे जायें अपितु विधेयक पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में भी मांगे जायें । हो सकता है कि राज्य विधान मंडलों के भेजने के पश्चात विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया हो । इसके अनुसार विधेयक के पुरःस्थापन किये जाने के प्रश्न पर विचार की अभिव्यक्ति के लिये उपबन्ध करने में कोई औचित्य नहीं है ।

सभापति महोदय : तर्क यह है कि क्या विधेयक विधान मंडलों द्वारा मत प्रकट किये जाने से पहिले पुरःस्थापित किया जा सकता है ?

श्री विश्वास : जी हां ।

फिर प्रश्न यह उत्पन्न होता है, यदि आप इस समय तक प्रतीक्षा करना नहीं चाहते जबतक सारे मत मालूम हों, तो क्या किसी एसी उचित कालावधि का उपबन्ध करने का कोई साधन है जिसके भीतर राज्य अपने विचार प्रकट कर सकें ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । वास्तव, में, उचित रूप में यह पूछा जा सकता है कि हमने कोई कालावधि निर्धारित क्यों नहीं की है—एक मास, दो मास, तीन मास, या एक मास, दो मास, तीन मास, आदि से अधिक नहीं या कम नहीं । यह प्रवर समिति की इच्छा है कि वह अन्य शब्दों का प्रयोग करे । परन्तु बात यह है । परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रपति समय का समायोजन करेंगे । मान लीजिय कि आप बहुत ही छोटा परिवर्तन कर रहे हैं । उसके लिये आप को तीन मास की आवश्यकता नहीं है । समय-सीमा ऐसी होगी जिससे राज्यों को अपने विचार प्रकट करने का उचित अवसर मिलेगा ।

अब मैं उस सुझाव पर आता हूं जिसमें कहा गया है कि एक ऐसा स्पष्ट उपबन्ध होना चाहिये जो आवश्यक होने पर राष्ट्रपति को समय बढ़ाने की सामर्थ्य दे । मैं यह पूर्णतया समझ सकता हूं । इसमें इस प्रकार का संरक्षण हो सकता है और प्रवर समिति इस बात पर निश्चय ही ध्यानपूर्वक विचार करेगी । परन्तु मैं यह बताना चाहता था कि सरकार का विचार यह है कि राज्यों को विचार प्रकट करने के लिये उचित समय दिया जाये ।

श्री घुलेकर : आपका अभिप्राय यह है कि पत्र भेजना पर्याप्त है ।

श्री विश्वास : पूर्णतया यही बात है । इस परन्तुक का पूर्ण उद्देश्य यही है कि राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त होते ही और राज्य विधान मंडलों को विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने के लिये पत्र भेजते ही, सरकार को विधेयक पुरःस्थापित करने का अधिकार होगा । आरम्भ में ही मैं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल किसी ऐसी आकस्मिकता के लिये संरक्षण है जो एक नया राज्य बनाने के लिये विधेयक को, किसी विशेष राज्य की हठधर्मी के कारण पास होने से रोक दे ।

मैं ने यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर दी थी । मैं ने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख उदाहरण रूप में किया था, क्योंकि इस समय उसका बडा महत्व है । अन्यथा, कोई परिवर्तन नहीं है । केवल परिवर्तन यह है कि हम राज्य विधान-मंडलों के विचारों की प्राप्ति की प्रतीक्षा किये बिना विधेयक पुरःस्थापित करने का अधिकार ले रहे हैं ।

श्री जयपाल सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी विशेष बात है जो कि केन्द्रीय सरकार को, कोई भी विधान बनाने से पूर्व उसके सम्बन्ध में राज्य विधान-मण्डलों से परामर्श प्राप्त करने से रोकती है ?

द्वितीय, मैं इस कथन का तात्पर्य समझना चाहता हूं कि "जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी, तो वे विधेयक पुरःस्थापित करेंगे और विधान-मण्डलों के विचारों की प्रतीक्षा नहीं करेंगे । "

श्री विश्वास : मैं तो यह कह रहा हूं कि उन्हें प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय की स्थिति स्पष्ट है । सरकार को राज्य-विधान मण्डलों के विचारों की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री विश्वास : मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई प्रथम बात का उत्तर देना चाहता हूं। सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करने के लिये किसी संविहित आभार के अधीन नहीं है : तो भी सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से उनके विचार मांगे हैं। यह बात स्पष्ट बताती है कि सरकार सभी संभव बातों के सम्बन्ध में परामर्श प्राप्त करने की इच्छुक है। सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। वह सभी राज्यों के विचारों को जानना चाहती है। राज्य विधान मण्डल इस प्रतिवेदन पर विचार विमर्श कर रहे हैं और अपने दृष्टिकोण प्रकट कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार उनके दृष्टिकोणों का मान करती है। जहां तक औपचारिक ढंग से निर्देश करने का सम्बन्ध है, हम सम्पूर्ण आवश्यक कार्य कर रहे हैं। परन्तु सभी राज्यों से राय प्राप्त हो जाने तक हमें प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं।

फैडरल संविधानों के पूर्व दृष्टांत के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि जब तक सम्बन्धित राज्य प्रस्तावित परिवर्तनों से सहमत नहीं होते, तब तक परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये। परन्तु हमारा संविधान ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हमारा संविधान फैडरल संविधान नहीं है ?

श्री विश्वास : हमारे संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि उस बात पर राज्य अवश्य सहमत हों। वर्तमान उपबन्ध तो केवल इतना ही चाहता है कि उसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों का भी दृष्टिकोण प्राप्त कर लिया जाये। सरकार उनके दृष्टिकोणों को मान लेने के लिये बाध्य नहीं है और न ही प्रस्थापना को केवल इसी आधार पर अस्वीकार करने के लिये बाध्य है कि किसी विशेष राज्य ने उस के बारे में अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

इस बात पर एक अन्य दृष्टि कोण से विचार कीजिये। मान लो कि कोई एक राज्य इस पर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करता, तो क्या वह बात रुक जायेगी सम्बन्ध में अन्य सभी राज्य सहमत हैं ? अब हम भारत के सारे मान चित्र को एक अन्य रूप दे रहे हैं।

श्री धुलेकर : एक औचित्य प्रश्न है। माननीय मंत्री ने इस संशोधन का निर्वचन इस प्रकार से किया है मानों उसका तात्पर्य यह हो कि विधेयक को राज्य सरकारों के पास भेज देना मात्र ही पर्याप्त है और उनके विचारों की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय ; यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। इस के सम्बन्ध में दो प्रकार के मत है। एक मत तो मंत्री महोदय ने अभिव्यक्त कर दिया है और दूसरा मत यह है कि इसके सम्बन्ध में राज्य विधान-मण्डलों द्वारा विचार प्रकट किये जाने तक प्रतिक्षा की जानी चाहिये। अस्तु, यह मामला प्रवर समिति को निर्देशित किया जा रहा है और वही इस के सम्बन्ध में सोच विचार करेगी। अतः इस स्थान पर व्यर्थ में वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं समझता हूं कि मेरा नाम प्रवर समिति के सदस्यों में रखा गया है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रवर समिति किस आधार पर कार्य करेगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया हूँ कि श्री मुकर्जी क्या जानना चाहते हैं। यह विधेयक प्रवर समिति को निर्देशित किया जा रहा है। यदि प्रवर समिति के सदस्य यह अनुभव करते हैं कि इस विधेयक की भाषा ठीक है तो यह ऐसी ही रहेगी। और यदि वे यह अनुभव करे कि यह भाषा ठीक नहीं है, तो वे इसे बदल सकेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं केवल एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूँ। जब भी कोई विधेयक प्रवर समिति को निर्देशित किया जाता है तो सभा उसके मूल सिद्धान्त से सहमत होती है जहां तक इस विधेयक के सिद्धांत का सम्बन्ध है, हमने इसे किसी विशेष कारण के आधार पर स्वीकार किया था और वह यह है कि इस का वास्तविक उद्देश्य यह है कि राज्यपुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा विचार अभिव्यक्त किये जाने के बारे में कोई कालावधि निर्धारित की जायेगी परन्तु मंत्री महोदय का तो यह कथन है कि हमें उन राज्यों के विचारों की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अतः जब तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक हम प्रवर समिति में काम नहीं कर सकते।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसे प्रवर समिति को निर्देशित करने के लिये जब यह प्रस्ताव प्रस्तत किया गया था, तो हमने इस के उद्देश्यों के आधार पर यही समझा था कि सभी राज्यों को इस के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा। परन्तु मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि राज्यों द्वारा विचार अभिव्यक्त किये जाने से पूर्व ही इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत कर दिया जाये। मै मंत्री महोदय के इस कथन का समर्थन नहीं करता। यदि हम मंत्री महोदय की बात मान लें तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की कुछ भी परवाह न करते हुए जो मन में आये वही कर सकती है। हम यह चाहते हैं कि राज्य विधान-मंडलों को विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाये और इसके लिये एक कालावधि निर्धारित कर दी जाये ।

श्री विश्वास : मैं ने समझा दिया है कि अनुच्छेद के साधारण शब्दों का अर्थ क्या है। बस इस के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री सत्यनारायण सिंह : जहां तक मैं समझता हूँ, मंत्री महोदय और विपक्ष के सदस्यों के कथनों में वास्तव में कोई अन्तर नहीं है। विधि मंत्री भी इस बात पर सहमत है कि हम केवल इतना ही चाहते हैं कि कोई भी राज्य विलम्बकारी ढंगों से इस कार्य के मार्ग में बाधा न डाले। यही हमारा उद्देश्य है।

उपाधक्ष महोदय : मैं विधि मंत्री से एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या सरकार यह चाहती है कि राज्य सरकारों द्वारा विचार प्रकट किये जाने से पूर्व ही इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत कर दिया जाये, अथवा सरकार की यह इच्छा है कि राज्यों द्वारा विचार प्रकट किये जाने के उपरान्त ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाये ?

श्री विश्वास : राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित कालावधि के समाप्त होने से पूर्व कुछ भी नहीं किया जायेगा। विधयक में भी यह लिखा हुआ है और मैंने स्वयं भी इस बात को कई बार दोहराया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में अब तो किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिये।

श्री जयपाल सिंह । : इस स्पष्टीकरण के लिये सारी सभा मंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञ है।

उपाधक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को इन २१ सदस्यों, डा० कैलाश नाथ काटजू, श्री कोथा रघुरामैया, श्री देवेश्वर सर्मा, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री नरेन्द्र पी० नथवानी, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री श्रीमन्नारायण, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री बीर किशोर रे, श्री दिवान चन्द शर्मा, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, डा० सुशील रंजन चटर्जी, श्री के० टी० अच्युतन, स्वामी रामानन्द तीर्थ, श्री शिवराम रंगो राने, श्री अशोक मेहता, श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री फ्रेंक एन्थनी

डा० लंका सुन्दरम् और प्रस्तावक की एक समिति को सौंपा जाये और उसे १ दिसम्बर १९५५ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ : पक्ष में २४६; विपक्ष में २

श्री त्यागी : मैं एक औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूँ । जहां तक मैं संविधान को समझता हूँ यह मतदान मत विभाजन पर नहीं हुआ था और व्यर्थ में ही कई सदस्यों को मतदान से वंचित किया गया है । साधारणतया रीति यह है कि जब कभी भी मतविभाजन होता है तो सभी द्वार बन्द कर दिये जाते हैं । परन्तु ऐसा तभी होता है जब कि मतविभाजन की मांग की जायें परन्तु यहां पर तो मत विभाजन के लिये किसी ने भी मांग नहीं की है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैंने विपक्ष में मत दिया है ।

श्री त्यागी : यह तो एक सामान्य मतदान था । 'हां' या 'ना' कहने की बजाय सदस्यों की संख्या गिनी गई । अतः वे सदस्य जो बाहिर रह गये ह उन्ह अन्दर आने की अनुमति दी जाये । जब कोई मत विभाजन न हो, तब सदस्यों को बाहिर हो रोके रखना अवैधानिक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : गनक अभी मत गिन रह हैं इसलिय जब तक गिनती पूरी नहीं हो पाती तब तक कोई भी औचित्य प्रश्न उठाया नहीं जा सकता । जब तक मैं स्वस्थान पर बैठ नहीं जाता तब तक औचित्य प्रश्न उठाने का कोई अर्थ नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा सदस्य है जिसने मतदान नहीं किया है ?

श्री त्यागी : मैं इसमें और कोई अनियमितता नहीं देखता । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब भी संविधान में संशोधन करना चाहने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसे मत विभाजन नहीं कहते । हस्ताक्षर तो केवल इस लिये लिये जाते हैं कि सदस्यों की संख्या का विनिश्चय किया जा सके । जब तक वास्तविक मत विभाजन न हो तब तक द्वार बन्द नहीं करने चाहियें । यदि किसी विधेयक पर मत विभाजन हो तब तो द्वार बन्द करने ठीक हैं । इसलिए मेरा यह विचार है कि यदि माननीय सदस्य इस भवन के अन्दर है तो उन्हें मतदान देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि दो बार मत दान लिया जाये ताकि वे सदस्य जो बाहिर हैं वे भी मत दे सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है । यह प्रश्न उठाया गया है कि कई एक सदस्य ३ मिनट के समय के अन्दर भीतर आ नहीं सके । साधारणतया तीन मिनट तक घंटी बजती है और इस समय के अन्दर जो सदस्य भीतर नहीं आ सकते उन्हें मतदान की अनुमति नहीं दी जाती । अतः इस प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता नहीं है ।

परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिसके लिये सामान्यतया अधिक सदस्य पक्ष में हैं । इसलिये ऐसी परिस्थिति में अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या मैं इस मत दान को परिणाम घोषित कर दूं अथवा दोबारा मत दान के लिये अनुमति दूं । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान है अतः इसके बारे में दोबारा मत प्राप्त करने में कोई हानि न होगी । मैं इस बात पर आप के विचार जानना चाहता हूं ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोडा) : आपने जो प्रतर्क प्रस्तुत किया है मैं उसे ही लूंगा । आपने कहा है कि सदन में कोई गम्भीर विरोध नहीं है और इसलिए क्यों न हम पुनर्गठन की अनुमति दें । मान लीजिए कि हम में से १०० कार्यवाही में भाग लेते हैं, यदि हम सब इस बात पर सहमत हो भी जायें कि किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहियें और हम में मत भद नहीं होना चाहियें तब भी यह १०० सदस्य संविधान

[श्री राघवाचारी]

द्वारा अपेक्षित बहुमत को पूरा नहीं करते हैं। क्या आप तब तक बार बार गिनती करते रहेंगे जब तक कि संख्या पूरी नहीं हो जाती। इस सम्बन्ध में आप देखेंगे कि प्रक्रिया नियत की हुई है। यदि अपेक्षित बहुमत स संख्या कम है तब आप को परिणाम जानना चाहिए बजाए इसके कि यह कहें "इस से मामले में देर ही तो हो ी, और हम फिर से गणना करेंगे।" मैं ी यह चाहता हूं कि विलम्ब नहीं होना चाहिए। हम सब अपना मत दे चुके हैं। परन्तु फिर भी इस प्रकार के एक आवश्यक विषय के सम्बन्ध में प्रक्रिया प्रश्न पर, जिस पर संविधान ने विशेष बहुमत की अपेक्षा की व्यवस्था की है, चाहे वह अपेक्षित बहुमत नहीं है तो आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि हम प्रस्ताव हार गये हैं और यह नहीं कहना चाहिये "मैं पुनर्गणना की अनुमति दूंगा," पुर्नगणना, इस सदन की प्रक्रिया के उचित प्रशासन के हित में न हो ी।

श्री जयपाल सिंह : आप जानते हैं कि लोग कहते कुछ हैं और अपना मत उसके विपरीत देते हैं। सदन में लोगों ने जो कुछ कहा है उसे शलाका व्यवस्था द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मैं आपको रहस्य की बात बतलाता हूं कि मैं ने इस विधेयक का समर्थन किया है परन्तु पुनर्गणना के लिए मैं आप से सहमत होने को तैयार नहीं हूं। केवल आप के आंकडे बता देने के कारण लोग यह कहते फिर रहे हैं कि ६ मत कम है, ७ मत कम हैं आदि। विपरीत मत दे कर मैं इसे दस मत कम बना सकता था।

मतदान, श्रीमान् फिर भी मतदान ही है ैर रक्षा संगठन मंत्री के लिए यह कहना उचित नहीं कि मतदान उचित रूप से नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने अपने दोनों कान बन्द कर रखे थे इस लिए वह बाहर बज रही घंटी को द सुन सके।

प्रश्न यह नहीं है कि प्रश्न महत्वपूर्ण है अथवा नहीं है। इस सम्बन्ध में एक विशेष निश्चित प्रक्रिया है और यदि सदस्य मतदान के लिए नहीं आए, केवल इस कारण कि आंकडे यहां प्राप्त हैं, आप प्रक्रिया को नहीं बदल सकते। हार गये तो पाइंट आफआर्डर उठता है। अगर जीत जाते तो पाइंट आफ आर्डर न उठता। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको एक कायदे से चलना चाहिये। रास्ता एक होना चाहिये चाहे आप संविधान में संशोधन करते हों या एक कानून को एबालिश करते हों। आप दो मुखी* न बनिये। हमको एक ही राह चलना चाहिए। नियम सब के लिए बराबर होना चाहिए आप उधर हों या इधर हों। जब आप ने ....

पंडित क० सी० शर्मा : जो शब्द* प्रयुक्त हुआ है वह बहुत बुरा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने अभी हिन्दी में ऐसे शब्दों को नहीं सीखा है इसलिए मैं इस शब्द के सम्बन्ध में कुछ निर्णय की स्थिति में नहीं हूं। यदि श्री जयपाल सिंह समझते हैं कि यह बुरा शब्द है तो उन्हें इसे वापस ले लेना चाहिये। क्या किसी और माननीय सदस्य को इस विषय में कुछ कहना है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपर) : पिछले २० वर्षों के अपने संसदीय अनुभव में मुझे एक भी ऐसा उदाहरण स्मरण नहीं है जिस में यह कहा गया हो एक बार जो निर्णय किया जा चुका है उस पर फिर निर्णय किया जाएगा। यदि हम ने कोई गलती की है तो हमें उस गलती की जिम्मेदारी उठाना भी सीखना चाहिये। मेरे विचार में एक बार जो मतदान हो चुका है उसे ही रहना चाहिए। हम यहां पर पूर्ण दृष्टान्त स्थापित करना चाहते हैं और मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस विषय पर इस दृष्टिकोण से विचार करें कि सदन में क्या बात अच्छे पूर्व दृष्टान्त

---

*प्रयुक्त शब्द के स्थान पर अध्यक्ष महोदय के निदेश स यह शब्द रखा गया।

के रूप में जाएगी। ऐसी कोई बात न की जाए जिससे कल यह कहा जा सके कि वह एक अच्छा पूर्व दृष्टान्त नहीं थी। आपके इसी निर्णय को सभी जगह सभी विधान मंडलों में मान्य समझा जाएगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : अनुच्छेद ३६८ के उपबन्धों के अधीन हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भाग २० में संविधान संशोधित करने के लिए यह प्रक्रिया दी गई है :

> "इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात इस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित कर के ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता है. . ."इत्यादि।

इस लिए आप जिस प्रस्ताव को मतदान के लिए रखते हैं सदन में उपस्थित सदस्यों को उस मतदान में भाग लेने का हक है और बहुमत, अथवा अपेक्षित बहुमत प्राप्त हो तब निर्देश का प्रस्ताव पारित समझा जाता है। यह बात हमारे नियमों में भी स्पष्ट की गई है।

यदि आप हमारे नियमों को देखें तो नियम १६९ में यह पायेंगे कि "यदि ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव यह है कि उसे सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाय तो वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समझा जायेगा यदि वह सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जायें।"

आपको मालूम होगा कि प्रवर समिति ने इस पर इस दृष्टिकोण से विचार किया था कि क्या इस नियम का अपनी आवश्यकता से अधिक तो कोई अर्थ नहीं है। सर्व सहमति से यह निर्णय किया गया कि यह अनुच्छेद ३६८ के अनुसार है। इसलिए जब मत लिया जाय उस के पश्चात आप यह नहीं कह सकते कि कुछ लोग जो उस समय सदन में उपस्थित थे उन्हें भी मतदान म भाग लेने की अनुमति दी जाए। यह बात संविधान के विरुद्ध होगी।

श्री एस० एस० मोर : म आप का ध्यान नियम १७० की ओर दिलाऊंगा। इसम अध्यक्ष की इच्छा पर कोई बात नहीं छोडी गई। इस ओर या उस ओर परिणाम विघोषित करना ही होगा।

श्री त्यागी : विभाजन के सम्बन्ध में कुछ नियम हैं। इन नियमों में भी द्वार बन्द करने की चर्चा नहीं की गई है। सभा-कक्षों के द्वार प्रथा द्वार ही बन्द किए जाते नियमों हैं, के अनुसार नहीं नियमों में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सदस्यों को सभा-कक्ष म जाने और मत देने की स्वतंत्रता है, तो इस का अर्थ, यह नहीं है कि केवल वह सदस्य जो सदन में है वहीं मत देंगे बल्कि जो सभा-कक्षों में बैठे हैं वे भी आ सकते हैं और मत दे सकते हैं क्यों कि वे सदन से बाहर नहीं है। जब द्वार बन्द भी हों, वे बाहर बठे सदस्य भी विभाजन के समय सदा भाग ले सकते ह। अब यह बात ठीक ठीक विभाजन की नहीं थी बल्कि यह मत लिए जाने का एक मामला था। इसलिए समय की कोई पाबन्दी नियत "नहीं थी कि केवल वही सदस्य जो इतने समय के भीतर आयेंगे वही मत दे सकेंगे। म यह कहना चाहता हूं कि उस समय तक सदस्यों के आने के लिए द्वार खले रहने चाहियें थे जब तक कि अन्तिम सदस्य हस्ताक्षर न कर लेता। इस लिए आप फिर से मत गणना चाहे न करें, मैं उसका दावा नहीं करता, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक में जिन सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया उन्हें मत देने के अधिकार से क्यों वंचित रखा जाए। यह ठीक ठीक विभाजन नहीं था और ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अधीन उन्हें मत देने से रोका जा सके।

श्री एन० सी० चटर्जी : माननीय मंत्री भूल गए हैं कि अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि मतदान इस समय के लगभग होगा। यही कारण था कि विचारणीय विषयों के क्रम में परिवर्तन किया गया और हमने दूसरे विधेयक पर विचार करना आरम्भ किया था।

श्री घुलेकर : हम पुनर्गणना के विरुद्ध हैं। हमें ऐसे सिद्धान्त नियत करने चाहियें जिन पर पूर्व दृष्टान्त के रूप में हमारे बच्चे भविष्य में चल सकें। हमें कोई बुरा सिद्धान्त नहीं बनाना चाहिए। मतदान का जो परिणाम निकला है उसे ही अन्तिम समझना चाहिये।

श्री त्यागी : मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जिन सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया उन्हें अब आकर मत देने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री मोहनलाल सक्सेना (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : श्री त्यागी को यह प्रश्न वास्तविक गणना किये जाने से पूर्व उठाना चाहिए था। अब बहुत विलम्ब हो चुका है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : विभाजन घंटी तीन मिनट तक बजनी चाहिये थी। यह केवल दो मिनट तक ही बजी।

श्री टंडन : हमें परिणाम को प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। चाहे इसमें सरकार को कुछ असुविधा ही क्यों न हो। सत्य की भांति संविधान भी कई बार बहुत असुविधा-जनक होता है। हमें निर्णय स्वीकार करना होगा। इससे कोई विपत्ति उत्पन्न न होगी। इस स्थिति में परिणाम को स्वीकार करना ही उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्यागी ने विभाजन के आदेश के पश्चात्, घंटियां बजने के पश्चात्, तीन मिनट समाप्त होने के पश्चात् और माननीय सदस्यों के एक सभाकक्ष में या दूसरे सभाकक्ष में जा चुकने के पश्चात् औचित्य प्रश्न उठाया था। उन्होंने यह आपत्ति उठाई थी कि संविधान के किसी संशोधन पर कोई निर्णय या मत लिए जाने के लिए एक विभिन्न प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए थी। दूसरे जिन सदस्योंने मतदान में भाग नहीं लिया उन्हें भीतर आने दिया जाना चाहिए था और उन्हें मतदान में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि द्वार बन्द नहीं किये जाने चाहियें थे। यदि द्वार बन्द न किये जायें तो बहुत सा समय इस कार्यवाही में लगेगा और हमें मतदान की लम्बे समय तक प्रतीक्षा करते रहना होगा। इसलिए मैं कोई कारण नहीं देखता कि मैं भी क्यों न प्राचीन और पूर्व दृष्टान्त सिद्धान्त पर ही चलूं। सदस्यों की उपस्थिति के सम्बन्ध म श्री त्यागी ने औचित्य प्रश्न बहुत देर से उठाया। अब मैं विभाजन का परिणाम विघोषित करता हूं। परिणाम है : पक्ष में २४६; विपक्ष में २। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, क्या घोषित किया जाना चाहिए, इस पर मैं कल तक विचार सुरक्षित रखता हूं। मुझे देखना होगा कि '५१ प्रतिशत सदस्यों' का वास्तविक अर्थ क्या है। अब दूसरे सदस्यों को यहां आकर अपना मत देने की मैं अनुमति नहीं दूंगा, सदस्यों की कुल संख्या क्या है ?

एक माननीय सदस्य : ४९९।

श्री त्यागी : सदन के पूर्ण बहुमत का अर्थ है सदस्यों की वर्तमान संख्या मान लीजिये कुछ उप-निर्वाचन हो रहे हैं और सभा में कुछ स्थान रिक्त हैं। इसलिए आज सदन की समस्त सदस्य संख्या कुल वैधानिक संख्या में से उन निर्वाचन क्षेत्रों को घटा कर है जिनके सदस्यों का निर्वाचन नहीं हो सका। संविधान में कहीं इस बात की चर्चा भी है कि चाहे सदन पूर्ण हो या न हो सदन अपनी कार्यवाही इस प्रकार करता रहेगा जैसे वह पूर्ण हो, चाहे कुछ उपचुनाव भी हो रहे हों। इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा कि परिणाम घोषित करते समय, आप सदन की वर्तमान समस्त सदस्य-संख्या को ही लें, अर्थात् निर्वाचित सदस्य, और वे निर्वाचन क्षेत्र नहीं, जिनके सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ है।

श्री एस० एस० मोरे : नियम १७० में यह कहा गया है कि प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से स्वीकृत होना चाहिये । संविधान के अनुसार सभा की समस्त सदस्य संख्या ४९९ है । परिणाम की घोषणा करते समय आपको यह बताना होगा कि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ या नहीं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : घोषणा करने का अधिकार पूर्णतः पीठासीन व्यक्ति को है । उसे इस बात का अधिकार है कि वह जिस समय ठीक समझे, घोषणा करे । फिर, जब आपने यह कह दिया कि आप मामले पर विचार कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सदन को यह बात माननी चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : नियमों में यह नहीं कहा गया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह बात मंत्री होने के नाते नहीं कह रहा हूं । हमें पीठासीन व्यक्ति द्वारा दिये गये विनिर्णय का पालन न करके प्रथा भंग नहीं करनी चाहिये । उन्हें इस विषय पर विचार करने दिया जाये ।

पंडित के० सी० शर्मा : मेरा अभिप्राय यह है कि सभा की समस्त सदस्य संख्या की आवश्यकता तो तब होती है जबकि संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया जाना हो । इस समय तो उपस्थित सदस्यों का बहुमत ही पर्याप्त है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरे माननीय मित्र नियम १६९ को भूल रहे हैं जिसमें यह स्पष्ट रूप में से उपबन्धित है कि यदि संविधान का संशोधन चाहने वाले विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव यह है कि उसे सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये तो वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तब समझा जायेगा जब वह सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोरे ने नियम १७० की ओर ध्यान दिलाया है जिसमें यह कहा गया है कि अध्यक्ष परिणाम विघोषित करते हुए कहेगा कि प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ है या नहीं । श्री चटर्जी ने नियम १६९ की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें यह उपबन्धित है कि यदि संविधान का संशोधन चाहने वाले विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव यह है कि उसे सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये तो वह प्रस्ताव तब स्वीकृत हुआ समझा जायेगा जब वह सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाये । इसलिये मुझे नियमों का अनुसरण करना ही होगा और प्रस्ताव का परिणाम घोषित करना होगा । प्रस्ताव लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १६९ के अनुसार और संविधान के अनुसार स्वीकृत नहीं हुआ ।

प्रस्ताव प्रक्रिया नियमों के नियम १६९ के अनुसार स्वीकृत नहीं हुआ ।

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि मनीपुर में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की स्थापना की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य मनीपुर राज्य में न्यायालयों की एकरूप प्रणाली जारी करना है ।

मनीपुर राज्य में पहाड़ी क्षेत्र तथा मैदान दोनों ही हैं । अब तक मनीपुर राज्य में इस सम्बन्ध में दो विधियां थी । एक थी १९५० के मनीपुर राज्य न्यायालय संशोधक आदेश

[श्री दातार]

द्वारा संशोधित रूप में १९४७ का मनीपुर राज्य न्यायालय अधिनियम यह मुख्यत: मैदानी क्षेत्रों में लागू होता था। जहां तक मनीपुर राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों का का सम्बन्ध है, वहां १९५० का मनीपुर राज्य (पहाड़ी स्थान) विनियमन अधिनियम लागू होता था । यह समझा गया कि वर्तमान स्थिति असंगत है । कुछ कमियों के कारण मनीपुर राज्य में न्याय प्रशासन सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो पाता था। इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ताकि सम्पूर्ण राज्य में एकरूप प्रशासन व्यवस्था जारी की जा सके । इसके लिये न्यायालयों की एक श्रृंखला बनानी पड़ेगी । सर्वोपरि न्यायिक आयुक्त का न्यायालय होगा। उसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त का न्यायालय भी होना चाहिये क्योंकि काम बढ़ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मनीपुर के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश क्या है ?

श्री दातार : उसने यह कहा है कि वह केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र के रूप में बना रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी अन्य राज्य में नहीं मिलाया जाये ?

श्री दातार : फिलहाल तो नहीं। अतएव हमें प्रशासन लगभग उसी ढंग पर करना है जिस ढंग पर कि विंध्य प्रदेश या भोपाल जैसे भाग 'ग' राज्यों में होता है । वर्तमान विधेयक उसी प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है जो इस समय इन दो भाग 'ग' राज्यों में विद्यमान है । इसलिए अब यह कि व्यवस्था करने का विचार है कि न्यायालयों की एक श्रृंखला हो। सबसे ऊपर एक न्यायिक आयुक्त होगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसके साथ एक अतिरिक्त, न्यायिक आयुक्त भी रखा जायगा । उसके नीचे जिला न्यायाधीश की अदालत होगी और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायाधीश और फिर मुंसिफ की अदालत । न्याय का काम चलाने के लिए इन विभिन्न न्याययलयों की स्थापना की जानी है । आप एक बात और देखेंगे । हाल ही में दण्ड प्रक्रिया संहिता पुर:स्थापित की गयी है । उसके अन्तर्गत कई अपराध न्यायालयों की विधिवत् स्थापना करनी पड़ेगी । इनकी स्थापना मनीपुर राज्य न्यायालय अधिनियम के अधीन नहीं होगी बल्कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत होगी। आप जानते हैं कि एक सत्र न्यायालय होता है और कई दण्डाधिकारियों ——श्रेणी १, श्रेणी २ और श्रेणी ३——के न्यायालय हैं। जहां तक दण्ड सम्बन्धी न्याय का सम्बन्ध है, हमें इन न्यायालयों का विधिवत गठन करना है। जहां तक व्यवहार सम्बन्धी न्याय का सम्बन्ध है, उस पर तो प्रस्तुत मनीपुर न्यायालय अधिनियम लागू होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जहां तक इस काम के न्यायिक पहलू का सम्बन्ध है, वह काम तो न्यायिक अदालतों का है, अर्थात्, न्यायिक आयुक्त, जिला न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों का । जहां तक प्रशासन के कार्यापालन का सम्बन्ध है मनीपुर भाग 'ग' राज्य है और यह स्वाभाविक है कि प्रशासन का मुखिया वहां का मुख्य आयुक्त है। प्रशासन का काम मुख्य आयुक्त का है। इन सभी मामलों में नियुक्तियां, यथास्थिति, राष्ट्रपति या न्यायिक आयुक्त या मुख्य आयुक्त करेगा । व्यवस्था यह है कि ये नियुक्तियां करते समय इन में से एक अधिकारी दूसरे से परामर्श करेगा । मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि न्यायिक आयुक्त या अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति तो राष्ट्रपति को ही करनी है क्योंकि संविधान के अन्तर्गत इन राज्यों के शासन की जिम्मेदारी अन्त में राष्ट्रपति पर ही है । इसलिए सबसे बड़े न्यायिक पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा और राष्ट्रपति की इच्छा से ही नियुक्ति बहाल रहेगी । जिला न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य आयक्त न्यायिक आयुक्त

के परामर्श से करेगा। ये शब्द इस विधेयक के उपबन्धों में विभिन्न स्थानों पर आए हैं। अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुंसिफों की नियुक्ति न्यायिक आयुक्त द्वारा नामनिर्देशन पर मुख्य आयुक्त द्वारा की जायगी। आप देखेंगे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके अनुसार सबसे अधिक महत्व न्यायिक आयुक्त को दिया गया है, चाहे इस मामले में, नियुक्ति मुख्य आयुक्त द्वारा ही की जाय क्योंकि, जैसा कि मैं कह चुका हूं, मनीपुर राज्य में सारे प्रशासन का मुखिया मुख्यायुक्त ही है।

इसके बाद विभिन्न न्यायालयों की प्रदेश तथा धन सम्बन्धी सीमाओं के सम्बन्ध में और भी उपबन्ध हैं। इन उपबन्धों में न्यायिक आयुक्त की शक्तियों की चर्चा है, न केवल उसके अपने न्यायालय के सम्बन्ध में बल्कि अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के सम्बन्ध में भी; अर्थात् जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और मुंसिफ के न्यायालय को वे भारत के अन्य भागों की तरह यहां भी न्यायिक आयुक्त के अधीक्षण में रहेंगे। कई ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें इस शक्ति को ऐसे ही रहने दिया गया है। कार्यपालन या प्रशासन सम्बन्धी काम ही मुख्यायुक्त पर छोड़ा गया है।

एक और बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए। इन न्यायालयों की मार्फत न्याय के कार्य में विशेष कर पहाड़ी क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें आवश्यक हैं। मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने या सन्देश पहुंचाने में कठिनाई होती है। यदि हम केवल यह करें कि कुछ स्थानों पर न्यायालय स्थापित कर दें तो वर्षा के मौसम में इन राज्यों के लोगों के लिए न्यायालयों तक पहुंचना बड़ा कठिन हो जायगा। इसीलिए यह उपबन्ध किया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में नियुक्त कुछ अधिकारियों को अधीनस्थ न्यायाधीश या मुंसिफ की न्यायिक शक्तियां दे दी जायंगी। यह इसलिए आवश्यक है कि आने-जाने में कठिनाई होती है और जब वे न्यायिक अधिकारी नियुक्त हो जायंगे तो यह स्वाभाविक ही है कि उन पर न्यायिक आयुक्त का नियंत्रण रहेगा। आप देखेंगे कि इस प्रकार दूरी पर स्थित न्यायालयों तक पहुंचने की कठिनाई बहुत कम कर दी गयी है।

जहां तक पहाड़ी लोगों का सम्बन्ध है, उन्हें बड़ी सीधी-सादी न्याय प्रक्रिया की आदत पड़ी हुई है। यदि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के साधारण उपबन्धों पर चला जाय तो इससे उनके लिए कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जायंगी। उदाहरण के लिए, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जब मुकदमा या वाद-पत्र दिया जाता है तो एक लिखित बयान भी देना पड़ता है। इन शब्दों से ही यह प्रकट होता है कि आपत्तियां लिखित बयान के रूप में बतानी पड़ती हैं। और फिर मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुछ प्रार्थनाएं करनी होती हैं जो लिखकर देनी पड़ती ह। यह व्यवस्था की गयी है कि सारे प्रविधि नियम हटा दिए जायंगे और ऐसे क्षेत्रों में स्थित न्यायालयों को बाद में किये गये दावे के उत्तर में मौखिक बयान लेने का अधिकार होगा या कुछ अनुतोष प्राप्त करने के लिए अन्य प्रार्थना-पत्र लेने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त यह भी उपबन्ध है कि जैसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जब लघुवाद न्यायालयों को सरसरी कार्यवाही की शक्ति दी जाती है या दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सरसरी कार्यवाही की व्यवस्था की जाती है तो ऐसे मामलों में साक्ष्य सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुसरण ऐसी पूर्णता या ऐसे प्रविधिक ढंग से करने की आवश्यकता नहीं जैसे कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता या दण्ड प्रक्रिया संहिता में व्यवस्था की गयी है। एक सीधी सादी प्रक्रिया बनाई गयी ह जिसके अनुसार न्यायाधीश इस बात का फैसला कर सकता है कि साक्ष्य की कौन-सी बात लिखी जाय। न्यायाधीश यह देखगा कि इन सभी मामलों में साक्ष्य में बताई गयी सभी महत्वपूर्ण बातें लिखनी पड़ेंगी क्योंकि अन्त में इस कार्यवाही के बारे में ऊंची अदालत म अपील हो

[श्री दातार]

सकती है । यह प्रयत्न किया गया है कि एक सीधी-सादी प्रक्रिया बनाई जाय परन्तु साथ ही न्याय पर बुरा प्रभाव न पड़े । जैसा कि मैंने कहा है दण्ड प्रक्रिया संहिता रखा ही जा चुका है और यदि मनीपुर न्यायालय विधेयक में, जो सभा के विचाराधीन है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता से कोई भिन्न बात या उसका कोई संशोधन हो तो व्यवहार प्रक्रिया सहिता भी रखा जायगा ।

पुराना मनीपुर न्यायालय अधिनियम इस विधेयक के पारित हो जाने पर पूरी तरह निराकृत हो जायगा । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, गांवों के अधिकारों के सम्बन्ध में एक और अधिनियम या विनियम है अर्थात् १९५० का मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग विनियम सरकार ने इस बात पर फिर विचार किया था कि यह विनिश्चय कहां तक सन्तोष-जनक है और कि इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं । जहां तक न्यायालयों की प्रस्तुत श्रृंखला का सम्बन्ध है, मनीपुर न्यायालय अधिनियम के भाग ५ में इसके बारे में उपबन्ध हैं । जब वह पूरा अधिनियम ही रद्द हो जायगा तो उस का परिणाम यह होगा कि जहां तक व्यवहार सम्बन्धी न्याय के काम का सम्बन्ध है, न्यायालयों की एक ही पद्धति होगी । सारे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में यही पद्धति होगी । मैं यह भी कह दूं कि सरकार उन बातों को निबटाने के लिए एक और विधेयक रखेगी जिन पर मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग विनियम में विचार किया गया है । परन्तु जहां तक न्यायालयों का सम्बन्ध है मनीपुर राज्य न्यायालय अधिनियम का निरसन इस बात की गारंटी है कि मनीपुर (न्यायालय) विधयक के पारित हो जाने पर यह सारे राज्य पर लागू होगा क्योंकि एक खण्ड में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गयी है कि यह सारे मनीपुर राज्य पर लागू होगा ।

तो आप देखेंगे कि जहां तक वर्तमान उपबन्धों का सम्बन्ध है, वे सन्तोषजनक हैं । उनका उद्देश्य यही है कि दीवानी मामलों में पूरा न्याय हो । और जहां भी आवश्यक हुआ है, पहाड़ी लोगों के हित में विशेष उपबन्ध किये गये हैं क्योंकि उन्हें न्यायालयों तक, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में स्थित न्यायालयों तक पहुचने में काफी दूर-दूर तक जाना पड़ता है । सरकार यह समझती है कि इन प्रयोजनों के लिए एक-सा कानून होना चाहिए जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, यह विधेयक विंध्य प्रदेश और भोपाल के अधिनियमों के आधार पर बनाया गया है ।

इसलिए मुझे विश्वास है कि सभा इस विधेयक के उपबन्धों को मान लेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एल० जोगश्वर सिंह : (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । सच तो यह है कि यह विधेयक बहुत पहले आना चाहिए था । आशा है कि सभा इसे स्वीकार करेगी ।

बृटिश राज के दिनों मनीपुर के पहाड़ी लोगों से भेदभाव किया जाता था क्योंकि उनके लिए अदालत उनके क्षेत्र म नहीं होती थीं । मैदानी क्षेत्रों के लोगों के लिए तो उन्हीं क्षेत्रों में अदालतें होती थीं । यह भेदभाव अब भी जारी है ।

विधेयक में कुछ नियम और प्रक्रिया सरल बना दी गयी है जो कि बड़ी अच्छी बात है । अब लिखित बयान देने की आवश्यकता नहीं है । यह उचित ही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों मे पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है । हमें यह याद रखना चाहिए कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षित व्यक्ति कम हैं इसलिए पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए एक से कानून बनाना ठीक नहीं मैं विधेयक के इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं कि न्यायाधीशों और मुसिफों आदि की नियुक्ति मुख्त आयुक्त करेगा परन्तु इस बात की और माननीय

मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन पदों पर स्थानीय वकीलों की नियुक्ति होनी चाहिए क्योंकि वहां की भाषा जाने बिना वे मौखिक बयान या गवाही को समझ नहीं सकेंगे। अंग्रेजों के समय में भी यह व्यवस्था थी कि इन क्षेत्रों में केवल ऐसे अधिकारी रखे जाते थे जिन्हें वहां की भाषा का ज्ञान हो।

इसलिये मेरा सुझाव है कि कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाये जो मनीपुरी भाषा से परिचित हो क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, न्यायालय के अधिष्ठाता पक्षों के मौखिक बयान ठीक-ठीक लिख नहीं पायेंगे और न कुछ समझ पायेंगे क्योंकि वादियों की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी नहीं वरन् मनीपुरी होगी। मनीपुर के विधि जीवी संघ में बहुत अच्छे विधि-स्नातक हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस मामले में प्रथम अधिमान सुपात्र और पक्ष मनीपुरियों को दिया जाना चाहिये। यदि ऐसे मनीपुरी न मिल सकें और किसी बाहरी व्यक्ति को न्यायिक आयुक्त या सहन्यायिक आयुक्त बनाना पड़े तो यह आवश्यक होना चाहिये नियुक्ति के बाद छै मास या एक वर्ष में वे मनीपुरी सदिब लें पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकारियों की नियुक्ति करना इसीलिये सरल कार्य नहीं। अंग्रेजी शासन में भी जो अधिकारी नियुक्त किये जाते थे वे ऐसे व्यक्ति होते थे जो मनीपुर के स्थानीय रिवाजों या प्राचीन विधियों से परिचित हो।

जटिलताओं को दूर करने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के जो उपबन्ध इस विधेयक में रखे गये हैं वे सराहनीय हैं क्योंकि मनीपुर के लोग न तो शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े हुए हैं और न उनमें अधिक लोग शिक्षित हैं। इन उपबन्धों से आदिम जाति के क्षेत्रों की जनता को बहुत लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं?

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : मुझे अपना भाषण कल पर जारी रखने दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

[इस के पश्चात लोक-सभा गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५ क ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई]

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५]

विषय	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव . .	६२०७-०८
अध्यक्ष महोदय ने अगरतला (त्रिपुरा) के राताचेरी में, प्रालेख के कथित अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री दशरथ देव और श्री वीरेन दत्त के स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में अपना निर्णय स्थगित किया।	
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	६२०९
योजना उपमंत्री ने प्रश्न काल के आरम्भ में तारांकित प्रश्न संख्या २९० पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६२०९
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर चर्चा के दौरान २९ जुलाई, १९५५ को दिये गये वचन के अनुसरण में दशमिक मुद्राओं के नामांकन तथा मूल्यांकन के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय की दो अधिसूचनाओं के मसौदे की प्रतियां सभा-पटल पर रखी गई।	
विधेयकों पर प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थान के लिए अवधि की वृद्धि .	६२१०-११
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व द्वितीय (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थान के समय में क्रमशः ६ दिसम्बर, १९५५ और १५ फरवरी, १९५६ तक की वृद्धि की गई।	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन . . .	६२१२
चालीसवां प्रतिवेदन उपस्थित किया गया।	
कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। . .	६२१३-१५
कार्यमंत्रणा समिति का अठाइसवां प्रतिवेदन निम्न संशोधनों सहित स्वीकृत किया गया :—	
(१) संविधान सप्तम (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति को सोंपने के लिये तीन घंटों के स्थान पर केवल दो घंटे दिये जायें।	
(२) कि विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में उस पर विचार करने तथा पारित करने के लिये नियत समय एक घंटे के स्थान पर दो घंटे होगा।	
पारित किया गया विधेयक	६२१५-३७
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, कषाघात उत्पादन विधेयक	
विधेयक को प्रवर समिति को सोंपने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ	६२३८-८०
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति को सोंपने के लिये श्री विश्वास ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा उस पर चर्चा की गई प्रस्ताव पर लोक सभा में मत विभाजन हुआ। 'हां' वाले २४६, 'ना' वाले २। प्रक्रिया नियमों के नियम १६९ तथा संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत घोषित किया गया।	
विधेयक पर विचार . .	६२८०-८८
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक पर विचार किया गया। विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त रही।	